


उत्तर प्रदेश में क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (CSGPAP) विकास हेतु फ्रेमवर्क एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)



पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश

दिसम्बर 2024



उत्तर प्रदेश में क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (CSGPAP) विकास हेतु फ्रेमवर्क एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)



पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश

दिसम्बर 2024

श्रेय

प्रकाशन

पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश (डीओई) (DOE) एवं उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

ईमेल: doeuplko@yahoo.com वेबसाइट: upenv.upsdc.gov.in

तकनीकी सहयोग

वसुधा फाउंडेशन

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

बाह्य समीक्षा

डॉ. के.वी. राजू, आर्थिक सलाहकार, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

श्री मनोज सिंह, आईएएस, अपर मुख्य सचिव (भूतपूर्व), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

डॉ. मनमोहन कापशे, प्रोफेसर, वास्तुकला और योजना विभाग, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल

लेखक

श्री आशीष तिवारी, आईएफएस, सचिव (भूतपूर्व), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

डॉ. शिराज़ वजीह, अध्यक्ष, गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप

श्री श्रीनिवास कृष्णास्वामी, सीईओ, वसुधा फाउंडेशन

सुश्री रिया सेठिया, सहायक प्रबंधक (जलवायु), वसुधा फाउंडेशन

सुश्री रिनी दत्त, सहायक निदेशक (जलवायु), वसुधा फाउंडेशन

सुश्री शिविका सोलंकी, वरिष्ठ प्रबंधक (जलवायु), वसुधा फाउंडेशन

डॉ. प्रीति सिंह, वरिष्ठ सलाहकार (जलवायु एवं ऊर्जा), वसुधा फाउंडेशन

श्री रमन मेहता, कार्यक्रम निदेशक, वसुधा फाउंडेशन

डॉ. एस. सतपथी, विशेषज्ञ सलाहकार, वसुधा फाउंडेशन


सुश्री नुपुर राय, जूनियर रिसर्च फेलो, पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश

डिज़ाइन एवं लेआउट


श्री संतोष कुमार सिंह, प्रबंधक (गैफ़्रिक डिज़ाइन), वसुधा फाउंडेशन

सुश्री स्वाति बंसल, वरिष्ठ प्रबंधक (स्ट्रैटेजिक आउटरीच), वसुधा फाउंडेशन

सुश्री प्रिया कालिया, सहायक निदेशक (कम्युनिकेशन), वसुधा फाउंडेशन







ओम प्रकाश राजभर

मंत्री

पंचायती राज तथा अल्पसंख्यक कल्याण
मुस्लिम वक्फ एवं हज्र विभाग



विधान भवन सचिवालय No. 564

कक्ष सं. 62-62 ए

दूरभाष (आफिस) 0522-2238519

आवास

ए-1 श्रेणी-4 विधायक निवास

पार्क रोड, लखनऊ

दूरभाष (आवास) 0522-2237990

लखनऊ दिनांक

जलवायु परिवर्तन हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, जिससे इस महत्वपूर्ण मुद्दे से निपटने के लिए एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश राज्य ने जलवायु विषय पर कार्यवाही में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 द्वारा मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश, जलवायु पहल में अग्रणी राज्यों में से एक के रूप में उभरा है। हमारे प्रयासों को एक सामूहिक आंदोलन, विशेष रूप से ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिज- कॉप26 (COP26) में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 'पंचामृत' लक्ष्य के आलोक में और मिशन LiFE के अनुरूप, परिवर्तित करने की अनिवार्य आवश्यकता है।

इस दृष्टिकोण की दिशा में एक प्रयास के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य, जिला, शहर से लेकर ग्राम पंचायतों तक सभी स्तरों पर 'जलवायु कार्रवाई का स्थानीयकरण' शुरू किया है। हमारी ग्राम पंचायतों को जलवायु अनुकूल और जलवायु अनुकूल बनाने के लिए, ग्राम पंचायतों के लिए जलवायु स्मार्ट कार्य योजना (सीएसएपी) के विकास के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित की गई है। यह दस्तावेज़ ग्रामीण शासन संस्थानों के लिए एक मार्गदर्शक ढांचे के रूप में कार्य करता है। समृद्ध भारतीय संस्कृति और मूल्य प्रणाली ने हमेशा प्रकृति की पूजा की है और पर्यावरण की रक्षा की है। भारत में शांति पथ की संस्कृति है, जिसमें पर्यावरण के हर पहलू को संरक्षित करने का संकल्प लिया जाता है, जो प्रकृति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इन मूल्यों को इस मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना में आत्मसात किया गया है जो जमीनी स्तर पर एक ऐसे परिवर्तन की शुरुआत करेगा जो सतत और जलवायु के प्रति जागरूक हो।

मैं क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना के विकास के लिए एक विस्तृत एसओपी तैयार करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, वसुधा फाउंडेशन और गोरखपुर एनवायरनमेंट एक्शन ग्रुप (जीईएजी) की सराहना करता हूँ।

मैं उत्तर प्रदेश के सभी विभागों से जलवायु अनुकूल विकास के लिए प्रयास करने और संरक्षण के पारंपरिक मूल्यों में निहित जीवन के स्थायी तरीके को बढ़ावा देने का आग्रह करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजनाओं के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का कार्यान्वयन इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।


Om Prakash Rajbhar

11-12-2024

(ओम प्रकाश राजभर)

मंत्री

पंचायतीराज तथा अल्पसंख्यक कल्याण,
मुस्लिम वक्फ एवं हज्र,
उत्तर प्रदेश।



संदेश

डा. अरुण कुमार

एम.बी.बी.एस. (लखनऊ)

डी.एन.बी., एफ.सी.जी.पी.

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश।



कक्ष संख्या - एफ ब्लॉक 1/2

प्रथम तल, बापू भवन,

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

कार्यालय : 0522-2235740

सी० एच० : 0522-2214800

संदेश

हमारे दैनिक जीवन में जलवायु संकट की उभरती हुई गम्भीर वास्तविकता है। हमारा देश नवीन पर्यावरण कार्यक्रमों का वैश्विक समर्थक रहा है। उत्तर प्रदेश इस गम्भीर संकट के खिलाफ भारत की लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए प्रतिबद्ध है। जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार ने समन्वय और निगरानी के लिए जलवायु परिवर्तन सेल की स्थापना करके राज्य की जनता को जलवायु परिवर्तन की प्रतिकूल घटनाओं से बचाने की पहल की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु लचीलापन हासिल करना, विकासात्मक आकांक्षाओं और प्रकृति संरक्षण के बीच एक संतुलन बनाना है।


मैं ग्राम पंचायतों के लिए जलवायु-स्मार्ट कार्य योजना बनाने के लिए एक विस्तृत एसओपी तैयार करने के लिए वसुधा फाउंडेशन और गोरखपुर पर्यावरण एक्शन ग्रुप (जीईएजी) की सराहना करता हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि ग्राम पंचायतों के लिए सीएसजीपीएपी ग्रामीण स्तर पर जलवायु कार्यवाही में व्यक्तिगत योगदान को प्रेरित करेगा, जिससे पूरे ग्रामीण समुदाय का उत्थान होगा। जलवायु-स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना जलवायु-लचीले ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों की क्षमता को उजागर करेगी।

जलवायु-स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजनाओं को विकसित करने में एसओपी के प्रभावी उपयोग के लिए फाउंडेशन को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

श्रीनिवास कृष्णास्वामी,
सी०ई०ओ वसुधा फाउण्डेशन,
नई दिल्ली।

11.12.2024

(डॉ० अरुण कुमार)
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान
एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश।



संदेश

मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव
Manoj Kumar Singh
Chief Secretary



उत्तर प्रदेश शासन
लोक भवन, लखनऊ - 226001
Government of Uttar Pradesh
Lok Bhawan, Lucknow-226001




Message


India's remarkable growth in renewable energy and sustainability has set a benchmark for climate resilient development. The state of Uttar Pradesh is already playing and will continue to play a pivotal role in this transition and sustainable growth under the leadership of the Honourable Chief Minister, Shri Yogi Adityanath Ji. The Government of Uttar Pradesh is diligently addressing the climate impact on communities, particularly focusing on uplifting rural areas.

The Uttar Pradesh State Action Plan on Climate Change (SAPCC) encompasses seven missions with well-planned actions and strategies to address the climate impacts. The actions specifically concentrate on grassroots-level initiatives, as demonstrated by endeavors such as the Sustainable Agriculture Mission. The inclusion of villages into the broader climate action strategy embracing a bottom-up approach is a significant step toward inclusive growth. The initiative to develop the Standard Operating Procedure (SOP) for Development of Climate Smart Action Plan (CSAP) for Gram Panchayats is reflective of this. This comprehensive SOP intends to address climate issues on rural communities and formulate action plans to build resilience and climate smart villages. The alignment of CSAP with the Gram Panchayat Development Plan (GPDP) will enhance people's participation in the sustainable development journey of Uttar Pradesh. These efforts have been designed to be aligned with the principles of Mission LiFE (Lifestyle for Environment) pioneered by the Honourable Prime Minister of India.

I express my appreciation for the commendable efforts of the Department of Environment, Forest and Climate Change, Vasudha Foundation and Gorakhpur Environmental Action Group (GEAG) in developing the SOP for climate-resilient Gram Panchayats in Uttar Pradesh. I firmly believe that under the CSAP for Gram Panchayats, rural communities will serve as environmental stewards by elevating their awareness levels and demonstrating their commitment.

I wish for the successful implementation of the SOP for the development of Climate Smart Action Plans in Gram Panchayats and integrate climate action with development activities. This reflects a commitment to sustainable development, environmental conservation, and climate justice to protect the vulnerable from the impacts of climate change.


(Manoj Kumar Singh)



संदेश

डा. के.वी. राजू
आर्थिक सलाहकार, मा. मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश

Dr. K.V. Raju
Economic Advisor to Hon'ble Chief Minister,
Uttar Pradesh



कार्यालय

कक्ष सं०-522, पंचम तल, लाल बहादुर शास्त्री भवन
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

Room No. - 522, Fifth floor, Lal Bahadur Shastri
Bhawan, Lucknow, Uttar Pradesh-226001

Phone No.: 0522-2238226, 2215509

E-mail: kvraju2008@gmail.com

दिनांक: 16/12/2024

पत्रांक: 139/E.A.-CM/2024

Dr. K.V. Raju
Economic Advisor to the Hon'ble Chief Minister, Uttar Pradesh

Message

The state of Uttar Pradesh contributes significantly to India's growing economy. A large portion of the state's population is engaged in agricultural and allied activities, which contribute approximately 42% to the Uttar Pradesh Gross State Domestic Product (GSDP). Climate change has adverse impacts on various sectors which includes agricultural productivity and livelihoods of rural communities. There is an urgent need for action at the village level to safeguard livelihoods, promote sustainable agriculture practices and build climate resilience while reducing greenhouse emissions.


The pivotal role played by rural areas in the economic contribution of the state underscores the importance of sustainable and inclusive planning at the panchayat level. The Standard Operating Procedure (SOP) for the Development of Climate Smart Action Plan (CSAP) for all the 58,000 Gram Panchayats of Uttar Pradesh, covering a population of approximately 16 Crore serves as a guiding framework to strengthen climate resilience by enhancing adaptive capacity to climate impacts on agriculture, livelihoods, and natural resources. A noteworthy feature of the CSAP for Gram Panchayats is its potential to generate green livelihoods and entrepreneurship opportunities that will boost the income of the population. Further, I believe that the climate smart Gram Panchayats will significantly contribute towards the State's goal of reaching 1 Trillion dollar economy by 2027.


Additionally, I am happy to see that both the SOP will enable the CSAPs to be aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs) while fostering social welfare and inclusive development at the grassroot level. The CSAP is intended to promote a sustainable way of life that can potentially ensure both economic development and environmental protection. These plans will play a pivotal role in empowering the capacity of Panchayati Raj Institutions (PRI) and enhancing governance for sustainable economic growth. Further, I am delighted to share that the SOP also provides guidance to converge CSAP with the Gram Panchayat Development Plan (GPDP) to ensure streamlining of schemes and budget allocation.

I commend the collaborative efforts of the Department of Environment, Forest, and Climate Change, Vasudha Foundation, and Gorakhpur Environmental Action Group (GEAG) for developing the SOP for the Development of the Climate Smart Gram Panchayats Action Plan for Uttar Pradesh.

I extend my best wishes for the successful implementation of the SOP for the development of Climate-Smart Gram Panchayat Action Plans. I hope all the relevant departments collaborate effectively to achieve the noble goals of sustainable development by aligning climate actions at the village level with comprehensive developmental plans.

This SOP will appear in both English and Hindi languages, and it will also be an e-version for wider and free circulation.


16/12/2024
(के० वी० राजू)
आर्थिक सलाहकार
(मा० मुख्यमंत्री जी)
उत्तर प्रदेश शासन



संदेश

श्री मनोज सिंह, आई ए एस

अपर मुख्य सचिव (भूतपूर्व),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
उत्तर प्रदेश सरकार

जलवायु परिवर्तन एक गंभीर वैश्विक मुद्दा है जिसका विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है और यह राष्ट्रों के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। ऋतुओं में उतार-चढ़ाव, चरम मौसम की घटनाएं और परिवर्तित वर्षा स्वरूप सीधे कृषि जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, जिससे खाद्यान्न और अन्य कृषि उत्पादों की उत्पादकता और उपज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह चुनौती छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, जिससे समग्र खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है। इसके अतिरिक्त, इसका असर अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है, जिससे अनुकूली क्षमता, स्वास्थ्य और आजीविका प्रभावित होती है। विकासात्मक गतिविधियों के परिणामस्वरूप होने वाला पर्यावरणीय क्षरण प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु प्रणाली से समझौता करते हुए स्थिति को और अधिक गंभीर बना देता है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का तत्काल समाधान करके भविष्य को सुरक्षित करना हमारी साझा जिम्मेदारी है।

उत्तर प्रदेश में बड़ी आबादी के अपनी आजीविका के लिए कृषि, वनों और कृषि वनों पर निर्भर होने के कारण जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ गई है। नतीजतन, ग्राम प्रशासन स्तर से शुरुआत करते हुए नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। इस आवश्यकता को पहचानते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार समावेशी, टिकाऊ और जलवायु-अनुकूल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु-स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजनाओं (सीएसजीपीएपी) के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है। इस पहल का उद्देश्य जलवायु कार्रवाई को स्थानीय बनाना और समुदायों को जमीनी स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सशक्त बनाना है।

इस एसओपी को एक मार्गदर्शक ढांचे के रूप में उपयोग करते हुए, राज्य भर में जलवायु-स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजनाएँ तैयार की जाएंगी। राज्य सरकार का उद्देश्य जलवायु-अनुकूल गांवों की स्थापना करना और योजना प्रक्रिया में समावेशी भागीदारी पर जोर देते हुए अनुकूली प्रथाओं को बढ़ावा देना है। इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण में सभी हितधारक शामिल हैं, जो ग्रामीण उत्तर प्रदेश में जलवायु लचीलेपन के निर्माण में उनकी भागीदारी के महत्व को रेखांकित करता है।

आजीविका के लचीलेपन को सुनिश्चित करना, स्वच्छ और हरित पर्यावरण को बढ़ावा देना और ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना एक टिकाऊ और जलवायु-लचीले भविष्य के लिए आवश्यक है। मैं उत्तर प्रदेश के गांवों के लिए सीएसजीपीएपी विकसित करने में उनके समर्पित प्रयासों के लिए पर्यावरण, वन

और जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ-साथ उनके सहयोगियों वसुधा फाउंडेशन और जीईएजी की सराहना करता हूँ।

मुझे विश्वास है कि यह मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) राज्य में ग्राम पंचायतों के लिए जलवायु-स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना (सीएसजीपीएपी) के विकास में अमूल्य साबित होगी। जलवायु लचीलेपन पर जोर देते हुए, मैं पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता हूँ जो हमारे समुदायों के समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है।



(मनोज सिंह)

प्रस्तावना

श्री आशीष तिवारी

आई.एफ.एस.

सचिव (भूतपूर्व), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,


उत्तर प्रदेश सरकार

प्रचुर नदियों, प्राकृतिक वनों, समृद्ध जैव विविधता और उपजाऊ मिट्टी से संपन्न उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है, जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को प्रभावित करने वाली जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती का सामना कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप यहाँ के निवासियों की आजीविका और स्वास्थ्य प्रभावित हो रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न अवरोधों के उत्तर में और राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि, जल, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत परिवहन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न नीतिगत उपाय लागू किए हैं। जलवायु परिवर्तन के स्थानीय स्तर के प्रभावों को संबोधित करते हुए, उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना (एसएपीसीसी) 2021-2030 निरूपित की गई है जिसमें जलवायु कार्यवाही को बढ़ावा देने के लिए समर्पित 09 मिशन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पंचायत स्तर पर जलवायु कार्रवाई को पहचानने और मजबूत करने के लिए कांफ्रेंस ऑफ पंचायत (सीओपी) आयोजित करने जैसी पहल की गई है।

प्रदेश में जलवायु कार्रवाई को सही मायने में स्थानीयकृत करने और लचीलेपन को बढ़ाते हुए जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को संबोधित करने हेतु पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए, क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) निर्माण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करने के लिए एक पहल की गई है। यह एसओपी ग्राम पंचायत स्तर पर सक्रिय अनुकूलन और शमन कार्यों के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रदान करती है, जो जलवायु परिवर्तन के बाहरी कारकों को स्थानीय स्तर पर संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें सभी हितधारकों, पंचायत स्तर के संस्थानों और समुदायों के बीच समन्वय शामिल है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि स्थानीय स्तर पर विकास टिकाऊ, हरित और जलवायु के अनुकूल हो। उपलब्ध संसाधनों को अनुकूलित करने के लिए, जलवायु और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए सीएसजीपीएपी को ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के संयोजन में विकसित किया जा रहा है। इस एकीकृत दृष्टिकोण का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में जलवायु-लचीले गांवों को बढ़ावा देना है, जो कि LIFE मिशन के साथ जुड़कर यह सुनिश्चित करता है कि ग्राम पंचायतें वास्तव में जलवायु-स्मार्ट बनें।

उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से प्रस्तुत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), न केवल लचीलापन बनाने बल्कि उत्तर प्रदेश के हरित विकास में योगदान करने के लिए ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने हेतु एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करेगी। मैं एसओपी और सीएसजीपीएपी दोनों दस्तावेजों को विकसित करने में उनके सहयोग के लिए वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली और गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप की विशेष सराहना करता हूँ।



विषय वस्तु

मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) (SOP) कार्यकारी सारांश	1
1. ग्राम पंचायत स्तरीय विकास योजना में जलवायु स्मार्ट कार्ययोजना को सम्मिलित करना	3
1.1 कार्ययोजना की आवश्यकता और इसके लिए कौन-से कारण उत्तरदायी हैं?	5
1.2 ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) का अभिसरण	7
1.3 कार्ययोजना के अंश	9
1.4 कार्ययोजना निर्माण की प्रक्रिया	10
2. कार्ययोजना निर्माण के लिए प्रारंभिक गतिविधियां (सीएसजीपीएपी) (CSGPAP)	11
2.1 गतिविधियों के क्रियान्वयन की आवश्यकता को समझना	13
2.2 ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, संवेदनशीलता और जोखिमों का मानचित्र तैयार करना	14
2.2.1 जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के कारण होने वाली संवेदनशीलताओं और जोखिमों को जानना	14
2.2.2 संवेदनशीलताओं और जोखिमों की पहचान करना	15
2.3 ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान लगाना	27
2.3.1 ग्राम पंचायत में कार्बन फुटप्रिंट के क्या स्रोत हैं?	27
2.3.2 ग्राम पंचायत में कार्बन फुटप्रिंट के स्रोतों की पहचान कैसे करनी है?	27
2.4 उत्तरदायित्वों को समझना	29
3. संभावित हस्तक्षेप : सहनशीलता निर्माण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन	31
3.1 मुद्दों की पहचान और संबंधित संस्तुतियाँ/प्रस्तावित सुझाव/गतिविधियाँ : संदर्भ निर्धारित करना	34
3.2 चरणवार लक्ष्य और अनुमानित लागत	43
3.3 कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन संरचना	88
4. जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना हेतु प्रारूप	89
अनुलग्नक :	
i. द्वितीयक डेटा और संभावित विभाग एवं स्रोत	95
ii. ग्राम पंचायत (जीपी) सर्वेक्षण के लिए प्राथमिक प्रश्नावली	102
iii. एसएपीसीसी 2.0 से जिला सुभेद्यता का मानचित्रण	128
iv. ग्राम पंचायत रूपरेखा प्रारूप	130
v. राष्ट्रीय दृष्टिकोण और जलवायु लक्ष्य	131
vi. CSGPAP को लागू करने में सहायक योजनाएं और विभाग	132
vii. अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिए प्रस्तावित संकेतक	141
viii. उत्तर प्रदेश में कृषि-जलवायु क्षेत्रों की सूची	146

मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) (SOP) कार्यकारी सारांश

भारत के गावों का जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे तापमान में वृद्धि, कुछ स्थानों में बहुत कम या बहुत अधिक बारिश होना, तेज़ लू, अकाल, शीत लहर आदि से प्रभावित होने की संभावना बहुत अधिक है। ये प्रभाव गंभीर रूप से कृषि, पानी के स्रोतों/आपूर्ति, स्वास्थ्य, ऊर्जा, आजीविका और ग्राम पंचायत के पर्यावरण और जैवविविधता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसलिए, आवश्यक है कि ग्राम पंचायत को सुव्यवस्थित स्मार्ट, सहनशील, सतत और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने योग्य बनाया जाए।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) (CSGPAP)

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना एक "क्लाइमेट स्मार्ट गांव" की कल्पना करती है जो वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और भविष्य में आने वाली चुनौतियों को चिन्हित कर उनका निवारण करने में समर्थ हो। इसका उद्देश्य जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना, पानी की बचत करना, एक चक्रीय अर्थव्यवस्था का विकास करना, गांव के निवासियों को स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा प्रदान करना, उनके लिए सतत यातायात का प्रबंध करना, बेहतर स्वास्थ्य, आजीविका के अवसर प्रदान करना और गांव में खुशहाल पर्यावरण और जैवविविधता को बढ़ावा देना है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत के प्रयासों द्वारा ऐसा जलवायु अनुकूल भविष्य विकसित होगा जिसमें एक सहयोगी, सहकारी, समावेशी और सतत समुदाय का निवास होगा। साथ ही, इसका उद्देश्य व्यक्तिगत, घरेलू और सामुदायिक स्तरों पर भी जलवायु के प्रति सजग और स्थिरता लाने वाले परिवर्तन करना भी है।

43 ग्राम पंचायतों के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना

प्रथमतः उत्तर प्रदेश की 43 ग्राम पंचायतों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजनाएं तैयार की जा रही हैं। यह 43 ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश के सभी मुख्य कृषि-जलवायु क्षेत्र में स्थित हैं। 'उत्तर प्रदेश की जलवायु परिवर्तन राज्य कार्ययोजना (एसएपीसीसी 2.0) (SAPCC 2.0)' और 'उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना के लिए स्कोपिंग आंकलन' पर रिपोर्ट के आधार पर बहु-मानदंड त्वरित मूल्यांकन कर के अत्यधिक पिछड़े जिलों में से 'जलवायु-अनुकूल' ग्राम पंचायतों को चुना गया है।

चयनित 43 ग्राम पंचायतों के लिए तैयार की जा रही क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना 170 से अधिक गावों और लगभग 2.5 लाख लोगों तक पहुंचेगी। तथ्य/डेटा इकट्ठा करने और मुद्दों की पहचान कर उनकी पुष्टि करने सहित आवश्यक ज़मीनी स्तरीय मूल्यांकन पूर्ण किया जा चुका है और 43 ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना सीएसजीपीएपी (CSGPAP) तैयार किए जाने का कार्य अलग-अलग चरणों पर है।

सभी ~58,000 ग्राम पंचायतों के लिए इस प्रयास को गति देने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की गई है जो कि एक चरणबद्ध प्रक्रिया है और जिसका उपयोग प्रदेश के समस्त ग्राम प्रधान (या कोई और हितधारक) अपने ग्राम पंचायत की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना तैयार करने के लिए कर सकते हैं।

मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) (SOP)*

यह मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (CSGPAP) विकसित करने की आवश्यकता और कारणों की व्याख्या करती है और क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना को ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) (GPDP) में सम्मिलित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह विस्तार में क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास प्रक्रिया की व्याख्या करती है और ग्राम पंचायत क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना की जानकारी भी प्रदान करती है।

* इस मानक संचालन प्रक्रिया के निर्माण में कई-हितधारकों की भागीदारी है और कड़ी समीक्षा के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया है। इसे मजबूत और परिष्कृत करने के लिए शिक्षा जगत, संबंधित विभागों, क्षेत्रीय विशेषज्ञों, सीएसओ (CSO), समुदाय, निजी रोल प्लेयर्स और अन्य विशेषज्ञों के साथ हितधारक परामर्श और संवाद के कई दौर आयोजित किए गए।

साथ ही, इस मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए प्रारम्भिक आवश्यक गतिविधियों का उल्लेख भी किया गया है। क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विभिन्न चरणों में तथ्य एकत्र करना, उसका विश्लेषण, योजना विकास, योजना स्वीकृति, उसके लिए सहयोग और अंत में इसको क्रियान्वित करने संबंधी विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों की सूची भी (धारा 2.4 देखें) प्रदान की गई है।

यह विस्तृत दस्तावेज़ चरण-दर-चरण गतिविधियों की सूची भी प्रदान करता है (हर चरण का लक्ष्य तय है और उसके लिए अनुमानित लागत भी दी गई है) (अध्याय 3 देखें)। प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने कृषि-जलवायु क्षेत्र, मुद्दे, चुनौतियों और अवसरों के अनुसार गतिविधियों को चुनकर अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकती है।

एक प्रभावी क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के लिए आवश्यक है की ग्राम पंचायत की समस्याओं, चुनौतियों और अवसरों की जांच जलवायु परिवर्तन और उसके दुष्प्रभावों को सहने की क्षमता पर आधारित होना चाहिए।

ग्राम पंचायत के बारे में तथ्य और सटीक जानकारी दो प्रक्रियाएं द्वारा एकत्रित की जा सकती है:

- a. गांव के निवासियों की क्या राय है और
- b. इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में सरकारी आंकड़ें क्या कहते हैं

मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) (SOP) का उपयोग

यह मानक संचालन प्रक्रिया ग्राम प्रधानों, समुदाय के सदस्यों, विद्यार्थी और स्वयंसेवकों के लिए बनाई गई है ताकि इसका उपयोग कर ग्राम पंचायत की ज़रूरतों के अनुरूप क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना का निर्माण किया जा सके।

मानव संचालन प्रक्रिया की सहायता से प्रभागीय वन अधिकारी अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (CSGPAP) तैयार करने के लिए ग्राम प्रधानों और समुदाय के सदस्यों को आवश्यक तकनीकी ज्ञान और अन्य सहायता प्रदान करने में सक्षम होंगे। आवश्यकता होने पर प्रभागीय वन अधिकारी योजना तैयार करने में अन्य ज़िले, खंड और पंचायत के अधिकारियों की तकनीकी सलाह भी ले सकते हैं।

1

ग्राम पंचायत स्तरीय
विकास योजना में जलवायु
स्मार्ट कार्ययोजना को
सम्मिलित करना



1

ग्राम पंचायत स्तरीय विकास योजना में जलवायु स्मार्ट कार्ययोजना को सम्मिलित करना

1.1 कार्ययोजना की आवश्यकता और इसके लिए कौन-से कारण उत्तरदायी हैं?

वर्षों से हम सभी ने न सिर्फ मौसम में बदलाव देखे हैं बल्कि कृषि, पशुधन और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर ग्रामीण आजीविका पर इनके दुष्प्रभावों को भी देखा है। हमने न सिर्फ तापमान को बढ़ते हुए देखा है बल्कि यह भी देखा है कि अधिक दिनों के लिए गर्मियां रहने लगी हैं, ठंड के दिनों में कमी आई है, बारिश अब उतनी तेज़ नहीं होती और मौसम अब अपने तय समय पर नहीं आते। इससे कृषि उत्पादन और पशुधन, फसल चक्र, खेती के तरीकों आदि पर बुरा असर हुआ है। पानी की उपलब्धता भी लगातार घटती जा रही है और हरित क्षेत्रों में कमी आयी है। इन बदलावों की वजह से न सिर्फ हमारी जीविका प्रभावित हुई है अपितु हमारे जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण पर भी नकारात्मक प्रभाव हुए हैं।

निश्चित तौर पर, मौसम बदल रहे हैं और अब वर्ष के अधिकतर दिन हमें एयर-कंडीशनरों या कूलरों की आवश्यकता पड़ती है, नदी और तालाब छोटे होते जा रहे हैं और हम हर समय यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं अगली फ़सल की उत्पादकता और गुणवत्ता क्या होगी?

इन बदलावों के लिए मनुष्य ही उत्तरदायी है, जिसने धरती माँ का आवश्यकता से अधिक उपयोग किया और ऐसे तरीके अपनाए जिससे प्राकृतिक संसाधनों का अंत होता रहा। इससे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वॉर्मिंग होने लगी है।

विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया है कि मुख्य तौर पर जलवायु परिवर्तन के लिए मनुष्य ही मुख्य रूप से जिम्मेदार है। वैश्विक शोध संस्थानों की रिपोर्ट और दुनिया भर के देश भी इसकी पुष्टि करते हैं।

जीवाश्म ईंधनों (पेट्रोल/डीजल) का आवश्यकता से अधिक उपयोग व उनके उत्पादों और सेवाओं की आवश्यकता से अधिक मांग ने भी जलवायु परिवर्तन और इसके दुष्प्रभावों को विकराल रूप देने में योगदान दिया है। पहले, लोग खुद अपना नाश्ता और कपड़े, और यहां तक कि अपना फर्नीचर भी घर पर ही तैयार करते थे। लेकिन, आजकल हर चीज़ फैक्ट्रियों में बड़ी संख्या में बनाई जाती है जिससे प्रदूषण होता है और प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकता से अधिक उपयोग भी होता है। कागज़ की पैकिंग जो कि पहले बहुत आम थी, उसकी जगह प्लास्टिक की पैकिंग होने लगी है जिससे दुनियाभर पर हानिकारक प्लास्टिक का खतरा छाया हुआ है।

मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट (लाइफ) का परिचय देते हुए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी ने सकारात्मक बदलाव के लिए हर एक इंसान द्वारा उठाये कदम के महत्व पर ज़ोर डाला। उनकी इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, एक समुदाय के रूप में हम उत्तर प्रदेश राज्य और हमारे देश को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध समय रहते कदम उठाने में सहायता कर सकते हैं।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना गतिविधियों की एक सूची प्रदान करती है जो ग्राम पंचायत स्तर के उत्सर्जन पर गौर करते हुए, जलवायु परिवर्तन के कारण ग्राम पंचायत की संवेदनशीलताओं को कम करती है और उनसे निपटने के लिए सक्षम बनाती है।



पर्यावरण और जलवायु बचाव गतिविधियों को सम्मिलित करके जलवायु स्मार्ट कार्ययोजना ग्राम पंचायत विकास योजना के पूरक के रूप में काम करेगी

अनुकूलन क्षमता¹ को बढ़ाकर और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचाव² के उपाय सुझाकर ग्राम पंचायत की सहनशीलता को बढ़ाएगी



पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करेगी (जीवाश्म ईंधन)

भरोसेमंद, किफ़ायती और अधिक दिन चलने वाली ऊर्जा को सबके लिए उपलब्ध कराएगी



प्राकृतिक संसाधनों को बेहतर बनाएगी: जंगल, आद्रभूमि, नदी/तालाब और मिट्टी

हवा, पानी और भूमि प्रदूषण को कम करेगी



ऐसे कृषि साधन और तरीके बताएगी जिससे बेहतर उपज होगी

कृषि/पेड़ संबंधी आजीविका के उपाय साझा कर आजीविका बढ़ाएगी



गरीबी में कमी होगी, सामाजिक कल्याण और सभी का विकास होगा

स्वच्छता में सुधार के साथ ही सभी के लिए स्वास्थ्य लाभों में वृद्धि होगी



जलवायु संबंधी सकारात्मक गतिविधियों के लिए स्थानीय चैंपियन ढूंढेगी

1 अनुकूल क्षमता का मतलब किसी व्यवस्था में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल, अपने आप को ढाल लेने या जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए अपनी परिवर्तनशीलता की सीमा को बढ़ाना।
2 किसी भी व्यवस्था (प्राकृतिक या इंसानी) से संघर्ष करने की क्षमता इस आधार पर तय की जाती है कि वह किस हद तक प्राकृतिक आपदा से निपटा जा सकता है और किस तरह किसी अशांति, मध्यम स्तर की क्षति को झेल सकता है तथा किस हद तक अपने अवसरों का उपयोग कर अपने आप को परिणामों के अनुकूल ढाल सकता है।

1.2 ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) का अभिसरण

ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) गांव के विकास के लिए एलएसडीजी (सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण) के 9 विषयों और भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची³ में 29 विषयों के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों का पालन करने का सुझाव देती है। जीपीडीपी इन प्रस्तावित गतिविधियों पर आने वाले व्यय को पूरा करने के लिए उचित स्रोतों का चयन भी करती है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना निम्न प्रकार से जीपीडीपी (GDP) को सुदृढ़ बनाएगी:

- वर्तमान विकास कार्यों और गतिविधियों में जलवायु दृष्टिकोण को सम्मिलित करेगी
- जीपीडीपी में सुझाई गई गतिविधियों के संग जलवायु परिवर्तन पर चल रहे राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों को जोड़ेगी

जैसे, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीसीसी) (NAPCC) के अंतर्गत 8 मिशन, उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (एसएपीसीसी) के अंतर्गत मिशन/गतिविधियां, आदि।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के अंतर्गत गतिविधियों और वार्षिक लक्ष्यों को जीपीडीपी की तय गतिविधियों के साथ सम्मिलित किया जा सकता है। जीपीडीपी के अंतर्गत कुछ कार्यक्रमों के लिए रखे गए बजट का एक हिस्सा क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के अनुकूलन और राहत कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका गारंटी अधिनियम (मनरेगा) (MGNREGA) जैसी योजनाओं के अंतर्गत तालाबों, नदियों में पानी के स्तर के बढ़ने जैसे जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से ग्राम पंचायत मजबूती से निपट सकेगी।

उसी प्रकार, ग्यारहवीं अनुसूची के "गैर-पारम्परिक ऊर्जा" विषय के अंतर्गत तय वित्त को जीपीडीपी (GDP) द्वारा ग्राम पंचायत में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है (जैसा कि अगले चित्र में प्रस्तुत है)। क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (CSGPAP) के अंतर्गत जो अतिरिक्त गतिविधियां सुझाई गई हैं उनके लिए वित्त की व्यवस्था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी) और प्राइवेट सेक्टर सहित विभिन्न योजनाओं, मिशनों और कार्यक्रमों के माध्यम से हो सकती है।


3 73वां संशोधन: स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज संस्थाओं) को शक्तियों का विकेंद्रीकरण; <https://www.mea.gov.in/Images/pdf1/S11.pdf>

वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट और सतत ग्राम पंचायत

जलवायु संबंधी गतिविधियों को विकास कार्यों में शामिल करना



क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ




1.3 कार्ययोजना के अंश



कार्यकारी सारांश



ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल



कार्बन फुटप्रिंट रूपरेखा



ग्राम पंचायत में प्रमुख मुद्दे और उनका दुष्प्रभाव



मुद्दे सुलझाने के सुझाव



वित्तपोषण के स्रोत



सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) (SDGs) और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (एनडीसी) (NDCs) के अनुरूप होना



आगे बढ़ना

1.4 कार्ययोजना निर्माण की प्रक्रिया



2

कार्ययोजना निर्माण
के लिए प्रारंभिक
गतिविधियां
(सीएसजीपीएपी)
(CSGPAP)



2

कार्ययोजना निर्माण के लिए प्रारंभिक गतिविधियां (सीएसजीपीएपी) (CSGPAP)

2.1 गतिविधियों के क्रियान्वन की आवश्यकता को समझना

ग्राम पंचायत के जलवायु संबंधी मुख्य मुद्दों और समस्याओं को जानना

एक प्रभावी क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर उठाए जाने वाले कदमों और गतिविधियों की जानकारी होगी, ऐसी योजना का निर्माण करने से पहले यह पता लगाना आवश्यक है कि जलवायु से जुड़े मौजूदा कौन-कौन से मुद्दे, कमियां हैं तथा इन्हें सुलझाने के लिए वर्तमान में ग्राम पंचायत स्तर पर कौन-से अवसर हैं।

इसके लिए ग्राम पंचायत पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, संवेदनशीलताओं और जोखिमों को समझने और साथ ही, ग्राम पंचायत की सीमा के अंदर कार्बन फुटप्रिंट के मुख्य स्रोत (जो जलवायु परिवर्तन के कारण हैं) की पहचान करने की आवश्यकता है। इन मूल्यांकनों के साधनों की व्याख्या नीचे प्रस्तुत अंशों में की गई है (अंश 2.1 व 2.2)।

इसके लिए दो प्रक्रियाओं का पालन करने की आवश्यकता है,

1. गाँव के लोगों की क्या राय है ?
2. इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में सरकारी आंकड़ें क्या कहते हैं ?

आदर्श रूप से, गांव के निवासियों से प्राप्त जानकारी और सरकारी आंकड़ों में समानता होनी चाहिए ; लेकिन, ऐसा न होने की स्थिति में निर्णय मैट्रिक्स का उपयोग कर इस बेमेलता को समझकर उसे सुलझाने के लिए समाधानों की खोज की जा सकती है।



निर्णय लेना



क्षेत्रवार संवेदनशीलताओं और मुद्दों के लिए डेटा के स्रोत

द्वितीयक डेटा
(सरकारी स्रोत)

गांव के लोगों की राय (केन्द्रित सामूहिक चर्चा और भूमि सर्वेक्षण)

प्राप्त तथ्यों/डेटा की पुष्टि करना

क्या गांव के लोगों की राय द्वितीयक डेटा से मेल खाती है?

हाँ

कुछ हद तक मेल खाती है या बहुत बेमेल है

कार्ययोजना तैयार करना
मुद्दों को सुलझाने, संवेदनशीलताओं और उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य शामिल करना

- समझना कि बेमेलपन कौन-से डेटा सेट/क्षेत्रवार कमज़ोरी में है और उसके कारण का पता लगाना
- क्षेत्रवार संवेदनशीलताओं और सेक्टरों के बीच संबंधों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना ताकि गांव से प्राप्त इनपुट और द्वितीयक डेटा में बेमेलपन को कम किया जा सके।

अंतिम आउटपुट




2.2 ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, संवेदनशीलता और जोखिमों का मानचित्र तैयार करना

2.2.1 जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के कारण होने वाली संवेदनशीलताओं और जोखिमों को जानना

जलवायु परिवर्तन से सतह का तापमान बढ़ जाता है जिससे वर्षा चक्र में बदलाव आते हैं जिससे कुछ स्थानों के मुकाबले अन्य स्थानों में बारिश अधिक बार होती है, साथ ही, मौसम अपना तीव्र रूप भी दिखाने लगता है जैसे तेज गर्मी, बाढ़, अकाल, आदि। जलवायु परिवर्तन और उसके परिणामों से वर्षों तक मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं पर भी असर पड़ता है।



ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) (GHG) उत्सर्जन के मुख्य कारण



जलवायु परिवर्तन और मौसमी बदलावों का प्रत्यक्ष प्रभाव



जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से प्रभावित सेक्टर (उनका विनाश और क्षति)

जलवायु परिवर्तन से कृषि, पानी, ऊर्जा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, आजीविका, पर्यावरण और जैवविविधता आदि पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। ये सभी सेक्टर अलग-अलग तरह से संवेदनशील हैं। यहां पर संवेदनशील होने का मतलब है किसी व्यवस्था का जलवायु बदलावों और उसकी अत्यधिक कठोरता सहित जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को सहन न कर पाना। व्यवस्था की नाजुकता को मापने के लिए तीन चीजों को देखा जाता है: आंधी, बाढ़ जैसी आपदाओं के क्या प्रभाव हैं, उनसे हुए नुकसानों की तीव्रता, एवं उनसे लड़ने की कितनी क्षमता है।⁴

भविष्य में ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण तापमान 1.5 सेल्सियस अधिक हो जाने के कारण अत्यधिक प्राकृतिक आपदाएं होने लगेंगी और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र तथा हमें कई जोखिमों का सामना करना पड़ेगा (संभवना बहुत अधिक)।⁵

जोखिम का स्तर इस पर निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में क्षेत्र कितना संवेदनशील बनता है, उसे कितनी आपदाओं का सामना करना पड़ता है, सामाजिक-आर्थिक विकास स्तर कितना है और ग्राम पंचायत की अनुकूली क्षमता कितनी है (संभावना अधिक)। अगर इन जोखिमों और संवेदनशीलताओं पर गौर नहीं किया गया तो बीमारियां, आजीविका और विकास को धक्का लगने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाएगी।

2.2.2 संवेदनशीलताओं और जोखिमों की पहचान करना

निम्नलिखित साधनों और तरीकों के माध्यम से ग्राम पंचायत में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के स्रोतों की जानकारी एकत्र कर उसका विश्लेषण किया जा सकता है। यह जानकारी निम्नलिखित तरीके से प्राप्त होगी:

- **ग्राम पंचायत पर जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव दिख रहे हैं और;**
- **ग्राम पंचायत की मुख्य क्षेत्रीय और सामाजिक-आर्थिक संवेदनशीलताएं क्या हैं;**
 - i. **डेस्क शोध द्वारा द्वितीयक जानकारी** एकत्रित कर पिछले 20 से 30 वर्षों के जलवायु बदलाव संबंधी तथ्य/डेटा और ग्राम पंचायत की कृषि-जलवायु क्षेत्र और विशेषताएं (तापमान, वर्षा, मिट्टी का प्रकार, उगाई जाने वाली फसलें, आदि) का मूल्यांकन किया जाना चाहिए (जैसा की सरकारी रिकॉर्ड/पोर्टल में प्रस्तुत है)।
 - ii. **प्राथमिक सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चाओं (एफ़जीडी) (FGD)** द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण प्रश्नावली (संलग्नक II में प्रस्तुत है) की सहायता से स्थानीय लोगों (गांव के निवासियों) और चुनिंदा समूहों (गांव का अति संवेदनशील वर्ग खास तौर पर गांव के बुजुर्ग) से जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों और उन्हें अधिक खराब बनाने वाले कारणों का पता लगाया जाना चाहिए इसके अलावा, स्व-मूल्यांकन साधनों का उद्देश्य (जिसका विकास प्राथमिक सर्वेक्षण प्रश्नावली के अनुरूप किया गया है) जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों के बारे में गांव समुदाय की राय जानना है।

स्व-मूल्यांकन साधन⁶ (निम्नसूचित) सहभागी दृष्टिकोण का हिस्सा हैं जो गांव के निवासियों को सम्मिलित कर उनके अनुभवों और टिप्पड़ियों को रिकॉर्ड करते हैं।

- a. **मौसमी मानचित्रण और जलवायु के प्रभाव-** सहभागी (प्रश्नावली) साधन जो वर्षों से मौसमी उतार-चढ़ाव या कम-अधिक (तापमान/बारिश) होने के बारे में गांव के निवासियों की राय एकत्र करता है।

4. एक्सपोज़र का मतलब है आपदा होने की स्थिति में लोग और उनकी संपत्तियां कितनी प्रभावित हो सकती हैं; संवेदनशीलता का मतलब है कि एक्सपोज़र के कारण लोगों और उनकी संपत्तियों को कितना नुकसान हो सकता है; और अनुकूलन काबिलियत का मतलब है कि एक्सपोज़र और संवेदनशीलता को कम करने के लिए ग्राम पंचायत कौन-कौन से कदम उठा सकती है।

5. आईपीसीसी एआर6 (IPCC AR6): <https://ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/summary-for-policymakers/>

6. जैसा कि ऊपर बताया गया है, स्व-मूल्यांकन साधन 'प्राथमिक सर्वेक्षण प्रश्नावली' का हिस्सा हैं। ये स्व-मूल्यांकन साधन/टेम्पलेट ग्राम पंचायत को कार्ययोजना तैयार करने के लिए मुख्य 'प्राथमिक सर्वेक्षण प्रश्नावली' को भरने और विभिन्न मूल्यांकन करने में सहायता करेगा।

जलवायु परिवर्तन के कारण हुए मौसमी बदलावों के बारे में विचार

अनुभव किए गए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव (गांववासियों के विचार) ⁷		
	क्या पिछले 10 वर्षों में गर्मी के महीनों/दिनों की संख्या में कोई बदलाव आया है?	क्या पिछले 10 वर्षों में गर्मी के तापमान में कोई बदलाव आया है?
हां		
यदि हां तो, यह घटा है या बढ़ा है?		
नहीं		
	क्या पिछले 10 वर्षों में मानसून/बरसात/वर्षा के महीनों/दिनों की संख्या में कोई बदलाव आया है?	क्या पिछले 10 वर्षों में बरसात/वर्षा में कमी या बढ़ोतरी हुई है? ⁸
हां		
यदि हां तो, यह घटा है या बढ़ा है?		
नहीं		
	क्या पिछले 10 वर्षों में सर्दियों के महीनों/दिनों की संख्या में कोई बदलाव आया है?	क्या पिछले 10 वर्षों में सर्दियों के तापमान में कोई बदलाव आया है?
हां		
यदि हां तो, यह घटा है या बढ़ा है?		
नहीं		

- b. **आपदा मैपिंग और जोखिम रिकॉर्ड** - सहभागी (प्रश्रावली) पद्धति से प्राकृतिक आपदाओं के होने और उनके कारण परिवारों, घरों, कृषि, इमारतों/सडकों और पर्यावरण पर हुए दुष्प्रभावों के बारे में गांव के निवासियों के विचार एकत्र करना।

⁷ गर्मी, सर्दी और मानसून के मौसम के तापमान और वर्षा के बारे में गांव वालों की राय को दर्ज करने के लिए दिए गए जवाबों (हां या नहीं) के सामने निशान लगाना है। अगर जवाब में हां मिलता है तो एक और प्रश्न आ जाता है कि क्या तापमान या मौसम के दिनों/महीनों की संख्या में कोई बढ़ोतरी या कमी आई है?

⁸ बारिश के अधिक या कम होने के बारे में जवाब पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश के आधार पर दिया जाएगा जैसे, अगर जवाब है कि बारिश अधिक हुई तो मतलब कुछ दिनों में बहुत अधिक बारिश हुई है

माहवार वार्षिक आपदा मैपिंग ⁹												
आपदा	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर
जलभराव												
बाढ़												
अकाल												
तेज़ गर्म हवा/लू												
ओलावृष्टि												
शीत लहर												
बिजली गरजना और आंधी- तूफ़ान												
गेल												

क्षेत्र में हुई आपदाओं के प्रभावों को मैप करना							
आपदा	संवेदनशील क्षेत्र ¹⁰	सेक्टरों पर प्रभाव (संकेतकों की व्याख्या तालिका के बाद की गई है*) ¹¹					
		मानव जीवन	घर	कृषि और पशुधन	अन्य आजीविका	सामुदायिक संरचनाएं (ईमारत/रास्ते और सामाजिक)	प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण
जलभराव							
बाढ़							
अकाल	लागू नहीं						
तेज़ गर्म हवा/लू	लागू नहीं						
ओलावृष्टि	लागू नहीं						
शीत लहर	लागू नहीं						
बिजली गरजना और आंधी-तूफ़ान	लागू नहीं						
गेल	लागू नहीं						

एनए (NA) - लागू नहीं

9 प्रत्येक आपदा के होने को मैप करने के लिए उस महीने के आगे सही का निशान लगाएं जब वह आपदा हुई थी

10 जिन क्षेत्रों में आपदा के दुष्प्रभाव देखे गए उनकी सूची बनाई जाएगी

11 हर आपदा के क्षेत्रवार प्रभावों को मैप करने लिए उन सभी सेक्टरों के आगे सही का निशान लगाया जाता है जो उन आपदाओं से प्रभावित हुए हैं


***क्षेत्रवार प्रभावों के संकेतक:**

- मानव जीवन - (मृत्यु, चोट, स्थायी विकलांगता)
- घर - (कितना नुकसान हुआ, किस तरह का घर है, किस तरह का नुकसान)
- कृषि और पशुधन- (फ़सल और पशुओं को कितना नुकसान पहुंचा, उत्पादकता को कितनी हानि हुई, कितने पशुओं की मृत्यु हुई)
- अन्य आजीविका - (कुटीर उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, कितने व्यवसाय बंद हुए, कितनी नौकरियां छूटीं, कितने दैनिक मजदूरों का काम छूटा)
- सामुदायिक संरचनाएँ (इमारत, आदि और सामाजिक) - (पानी की आपूर्ति, उसकी निकासी/नालियां, यातायात और संचार, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक, सामुदायिक/धार्मिक स्थानों को क्या और कितना नुकसान पहुंचा)
- प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण - (पानी के संसाधनों, ज़मीन, पेड़/जंगल, जैवविविधता को क्या और कितना नुकसान पहुंचा)

iii. सामाजिक और संसाधन मानचित्रण

- घरों की बसावट को दर्शाने के साथ-साथ घरों के प्रकार और सामाजिक संरचनाएं जैसे, सड़कें, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था, विद्यालय, पीने के पानी की उपलब्धता, आदि को भी दर्शाया जाता है। इसे स्थानीय लोग बनाते हैं और इससे अपने गांव के बारे में उनकी राय भी पता चलती है।
- संसाधन मानचित्र में प्राकृतिक संसाधन दर्शाये जाते हैं जैसे भूमि, पहाड़ियां, जलाशय, खेत, वनस्पति, जंगल, मिट्टी के प्रकार, भूमि उपयोग आदि, और इससे गांव के निवासियों की अपने प्राकृतिक संसाधनों के बारे में राय का पता चलता है।

जैसे, नीचे प्रस्तुत चित्र नेहिया खुर्द पंचायत, ज़िला सन्त कबीर नगर का सामाजिक चित्रण दर्शाता है।



- iv. **क्षेत्रीय भेद्यता उपकरण** - उत्तर प्रदेश एसएपीसीसी 2.0 (SAPCC 2.0)¹² ने राज्य के जिलों के लिए क्षेत्रीय और समग्र संवेदनशीलताओं को श्रेणियों में बांटा है जैसा कि संलग्नक III में प्रस्तुत है। निम्न टूल पहचानी गयी संवेदनशीलताओं की सहायता से विभिन्न क्षेत्रों में पंचायत में उपस्थित संवेदनशीलताओं का मूल्यांकन करने में सहायता करता है।

जल संबंधी संवेदनशीलता (W)

क्रमांक	भेद्यता संकेतक	ग्राम पंचायत के उत्तर ¹³ (नीचे किसी एक विकल्प के पर सही का निशान लगाएं)			
		बहुत अधिक सहमत	सहमत	सहमत नहीं हूँ	बिलकुल सहमत नहीं हूँ
घरों में जलापूर्ति					
1	ग्राम पंचायत के सभी घरों में पाइप से पानी आता है				
2	पानी हर दिन आता है				
3	पानी की मात्रा पर्याप्त है				
4	पानी साफ़ होता है				
जल संसाधन (सतही जल एवं भूजल)					
5	जलाशयों (ग्राम पंचायत की सीमा के अंदर तालाब/झील/नदियां) का अतिक्रमण नहीं हुआ है				
6	जलाशयों का पानी दूषित नहीं है और नियमित रूप से उनकी सफ़ाई का कार्य किया जाता है अर्थात पानी स्वच्छ है।				
7	ग्राम पंचायत के पास भूमिगत जल की पर्याप्त उपलब्धता है और सभी गांववालों की जल तक पहुँच है।				

12 अनाधिक प्रयासों को कम करने हेतु, एसएपीसीसी 2.0 में दिए गए जिले के भेद्यता/संवेदनशीलता मूल्यांकन को ग्राम पंचायत स्तरीय संवेदनशीलता समझने के लिए संदर्भ के रूप में लिया गया है; हालांकि, नीचे दी गयी तकनीक ग्राम पंचायत के संदर्भ में भेद्यता/संवेदनशीलता के मूल्यांकन को मजबूत करने और उसका आंकलन करने हेतु विकसित की गयी हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि ग्राम पंचायत स्तर पर एक व्यापक संवेदनशीलता मूल्यांकन करना एक जटिल अभ्यास है और ग्राम पंचायत स्तर की संवेदनशीलता के आंकलन हेतु कोई मौजूदा प्रारूप/रूपरेखा नहीं है।

13 बहुत अधिक सहमत = संवेदनशील नहीं है; सहमत = थोड़ा संवेदनशील है; सहमत नहीं = संवेदनशील है; बिलकुल सहमत नहीं = बहुत अधिक संवेदनशील है

कृषि संबंधी जोखिम (A)

क्रमांक	भेद्यता संकेतक	ग्राम पंचायत के उत्तर ¹³ (नीचे किसी एक विकल्प के लिए सही का निशान लगाएं)			
		बहुत अधिक सहमत	सहमत	सहमत नहीं	बिलकुल सहमत नहीं
कृषि					
1	जलवायु परिवर्तन के कारण बीज बोने के समय में कोई बदलाव नहीं आया है				
2	सिंचाई (पानी) की आवश्यकता में जलवायु परिवर्तन के कारण कोई बदलाव नहीं आया है				
3	जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फ़सलों का नुकसान नहीं हुआ है (जैसे, बाढ़, गर्म हवाएं/ लू, अकाल, ओलावृष्टि आदि)				
4	पिछले 5 से 10 वर्षों में कोई नया फसल कीट नहीं दिखा है				
5	पिछले 5 से 10 वर्षों में फ़सल कीट आक्रमणों में बढ़ोतरी नहीं हुई है				
6	सभी (100%) किसानों के पास फ़सल बीमा है				
7	रासायनिक उर्वरक/कीटनाशकों के उपयोग में कमी आई है और अधिक जैविक उर्वरक/कीटनाशकों का उपयोग होने लगा है				
8	ग्राम पंचायत में/उसके आसपास पौधशालाएं/नर्सरी और बीज बैंक उपलब्ध हैं और सभी गांव वाले वहां से पौधे/बीज ले सकते हैं				
पशुपालन/मुर्गीपालन/मछली पालन					
9	तेज़ गर्मी व अन्य जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के कारण कोई बीमारी, मृत्यु और उत्पादकता में कमी नहीं आई है				
10	अच्छी गुणवत्ता वाली पशु चिकित्सा सेवाएं (क्लिनिक और चिकित्सक) ग्राम पंचायत में/उसके आसपास उपलब्ध हैं जिन्हें वर्तमान पशुपालन पद्धतियों का ज्ञान है और सभी गांव वाले उनके पास जा सकते हैं				

वन, हरित स्थानों और जैवविविधता संबंधी जोखिम (FGB)

क्रमांक	भेद्यता संकेतक	ग्राम पंचायत के उत्तर ¹⁴ (नीचे किसी एक विकल्प के लिए सही का निशान लगाएं)			
		बहुत ज़्यादा सहमत	सहमत	सहमत नहीं	बिलकुल सहमत नहीं
वन और हरित स्थान					
1	ग्राम पंचायत में वन क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं है				
2	पिछले 5 वर्षों में वन को नुकसान नहीं पहुंचा है				
3	ग्राम पंचायत में पर्याप्त हरित स्थान हैं और नियमित रूप से पौधे व वृक्ष लगाए जाते हैं (वन के बाहर, सड़कों के किनारे, तालाब/झीलों के आसपास पेड़ लगाना आदि)				
4	खेतों के आसपास के पेड़, हरित क्षेत्र और लोगों के उपयोग के लिए लगे पेड़ बहुत तेज़ गर्मी/तापमान, पानी की कमी, आदि के कारण कम नहीं हुए हैं				
5	ग्राम पंचायत में पर्याप्त मात्रा में हरित स्थान (पार्क/ बगीचे) हैं				
जैवविविधता					
6	ग्राम पंचायत में फलते-फूलते (बढ़ते हुए) पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी-बूटियाँ, देसी फ़सलें, आदि हैं				
7	ग्राम पंचायत में पर्याप्त संख्या में (बढ़ती के साथ) जानवर (जंगली जानवर), चिड़िया, छोटे जानवर, कीट आदि हैं				
8	स्थानीय जैवविविधता प्रबंधन समिति गठित है और क्रियाशील है				
9	जैवविविधता रजिस्टर (जिसमें जैवविविधता के प्रकार और उनकी संख्या लिखी है) उपलब्ध है और समय-समय पर उसमें नई जानकारी सम्मिलित की जाती है				

14 बहुत अधिक सहमत = संवेदनशील नहीं है; सहमत = थोड़ा संवेदनशील है; सहमत नहीं = संवेदनशील है; बिलकुल सहमत नहीं = बहुत अधिक संवेदनशील है

स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जोखिम (HS)

क्रमांक	भेद्यता संकेतक	ग्राम पंचायत के उत्तर ¹⁵ (नीचे किसी एक विकल्प के लिए सही का निशान लगाएं)			
		बहुत अधिक सहमत	सहमत	सहमत नहीं	बिलकुल सहमत नहीं
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन					
1	प्रत्येक घर, दुकान, होटल, ऑफिस आदि से कचरा एकत्र किया जाता है (100%)				
2	कचरा हर दिन एकत्र किया जाता है				
3	अपशिष्ट प्रथक्करण- सूखे, गीले और खतरनाक कचरे को एकत्र कर सही प्रकार से निपटान किया जाता है				
4	कचरे को सड़कों व उसके किनारों पर या तालाब/ नदी, खाली भूमियों, आदि में नहीं फेंका जाता है				
5	जैव अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था (कम्पोस्ट बनाने की सुविधा/बायोगास प्लांट, आदि): उपलब्ध है और क्रियाशील है				
6	प्लास्टिक कचरा निपटान व्यवस्था: उपलब्ध है और क्रियाशील है				
अपशिष्ट जल प्रबंधन					
7	ग्राम पंचायत के सभी घरों में शौचालय है (100%)				
8	ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता। पंचायत खुले में शौच से मुक्त अर्थात् ओडीएफ (ODF) है।				
9	ग्राम पंचायत के सभी स्थानों में नालियां बनी हुई हैं				
10	बारिश के पानी और गंदे पानी के लिए अलग-अलग नालियां हैं				

15 बहुत अधिक सहमत = संवेदनशील नहीं है; सहमत = थोड़ा संवेदनशील है; सहमत नहीं = संवेदनशील है; बिलकुल सहमत नहीं = बहुत अधिक संवेदनशील है

11	ग्राम पंचायत के घरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल (100%) का प्रबंधन किया जाता है (सेप्टिक टैंक, सोखता गड्ढा, आदि) और अपशिष्ट जल को बाहर नदी या तालाब में नहीं छोड़ा जाता				
स्वास्थ्य					
13	पिछले 5 वर्षों में मच्छरों/कीड़ों से होने वाली, पानी से होने वाली और फेफड़ों की बीमारियों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है				
14	प्राथमिक उपचार केंद्र (पीएचसी) (PHCs) या सामुदायिक चिकित्सा केंद्र (सीएचसी) (CHCs): उपलब्ध हैं और सभी गांव वाले इनका लाभ उठा सकते हैं				
15	आशा केंद्र/आंगनबाड़ी: उपलब्ध हैं और सभी गांव वाले इनका लाभ उठा सकते हैं				
16	स्थानीय चिकित्सक प्रशिक्षित हैं और उन्हें अलग-अलग बीमारियों का इलाज आता है				

आपदा संबंधी नाजुकतायें (D)

क्रमांक	भेद्यता संकेतक	ग्राम पंचायत के उत्तर ¹⁶ (नीचे किसी एक विकल्प के लिए सही का निशान लगाएं)			
		बहुत अधिक सहमत	सहमत	सहमत नहीं	बिलकुल सहमत नहीं
आपदाओं के बारे में तथ्य¹⁷					
1	पिछले 5 वर्षों से प्रत्येक वर्ष होने वाली निम्नलिखित आपदाओं में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है ¹⁸ : <ul style="list-style-type: none"> ▪ अकाल ▪ बाढ़ ▪ तेज़ गर्म हवा/लू ▪ ओलावृष्टि ▪ शीत लहर ▪ ओले गिरना ▪ बिजली गरजना और आंधी-तूफान 				

16 बहुत अधिक सहमत = संवेदनशील नहीं है; सहमत = थोड़ा संवेदनशील है; सहमत नहीं = संवेदनशील है; बिलकुल सहमत नहीं = बहुत अधिक संवेदनशील है

17 आपदाओं की विस्तार से मैपिंग (उनके होने और उनके प्रकार) प्राथमिक सर्वेक्षण प्रश्नावली और स्व-मूल्यांकन साधनों में सम्मिलित है

18 हर एक आपदा के लिए अलग से सही का निशान लगाना है

लोगों और घरों के लिए खतरा

2	ग्राम पंचायत में घरों को कोई खतरा नहीं है (कोई कच्चा मकान नहीं, जलभराव वाले स्थान के पास/निचले स्थानों में कोई घर नहीं, आदि)				
आपदा से निपटने की तैयारी और प्रतिक्रियाएं					
3	ग्राम आपदा प्रबंधन योजना (वीडीएमपी) (VDMP): ग्राम पंचायत में उपलब्ध है				
4	ग्राम आपदा प्रबंधन समिति: गठित है और सक्रिय है				
5	ग्राम पंचायत स्तरीय पूर्व चेतावनी व्यवस्था/ मौसम चेतावनी व्यवस्था/एडब्ल्यूएस (AWS): उपलब्ध है और सक्रिय है				
6	आपदा से निपटने के लिए सुविधाएं और संरचनाएं: आपातकालीन खाने के पैकेट, टॉर्च, चूल्हा, कम्बल, आदि: उपलब्ध है और सभी परिवारों की इन सुविधाओं तक पहुँच है				

ऊर्जा संबंधी जोखिम (E)

क्रमांक	भेद्यता संकेतक	ग्राम पंचायत के उत्तर ¹⁹ (नीचे किसी एक विकल्प के लिए सही का निशान लगाएं)			
		बहुत अधिक सहमत	सहमत	सहमत नहीं	बिलकुल सहमत नहीं
बिजली					
1	ग्राम पंचायत के सभी घरों में बिजली है				
2	बिजली बिना रुकावट आती है (बार-बार बिजली नहीं जाती या लंबे समय के लिए बिजली नहीं जाती)				
3	सभी घरों के लिए बिजली का एक और स्रोत (पावर बैकअप) उपलब्ध है				

19 बहुत अधिक सहमत = संवेदनशील नहीं है; सहमत = थोड़ा संवेदनशील है; सहमत नहीं = संवेदनशील है; बिलकुल सहमत नहीं = बहुत अधिक संवेदनशील है

नवीकरणीय और ऊर्जा दक्षक स्रोत					
4	सरकारी/पंचायती संस्थानों की इमारतों और घरों की छतों पर सोलर पैनल लगे हैं (सोलर रूफटॉप)				
5	ग्राम पंचायत में सोलर स्ट्रीटलाइट हैं				
6	ग्राम पंचायत में ऊर्जा बचाने वाली (एलईडी) (LED) स्ट्रीटलाइट हैं				
7	बायोगैस प्लांट: उपलब्ध है और क्रियाशील हैं				
8	घरों में पारंपरिक चूल्हों (बायोमास) (गोबर/लकड़ी से जलने वाले) का उपयोग नहीं होता				

गतिशीलता संबंधी जोखिम (M)

क्रमांक	भेद्यता संकेतक	ग्राम पंचायत के उत्तर ²⁰ (नीचे किसी एक विकल्प के लिए सही का निशान लगाएं)			
		बहुत अधिक सहमत	सहमत	सहमत नहीं	बिलकुल सहमत नहीं
सड़क संरचनाएं					
1	ग्राम पंचायत की सड़कों में जलभराव नहीं होता है				
2	ग्राम पंचायत की हर सड़क पक्की है				
3	ग्राम पंचायत की सड़कों में कोई गड्ढे नहीं हैं				
4	ग्राम पंचायत की सभी सड़कों पर पर्याप्त स्ट्रीटलाइट्स हैं				

²⁰ बहुत अधिक सहमत = संवेदनशील नहीं है; सहमत = थोड़ा संवेदनशील है; सहमत नहीं = संवेदनशील है; बिलकुल सहमत नहीं = बहुत अधिक संवेदनशील है

सार्वजनिक यातायात और ग्राम पंचायत के सभी स्थानों तक पहुंच की स्थिति

5	ग्राम पंचायत के अन्दर आने और बाहर जाने के लिए सार्वजनिक यातायात उपलब्ध हैं और सभी उसका लाभ उठा सकते हैं				
6	ग्राम पंचायत के अन्दर आने और बाहर जाने के लिए सार्वजनिक यातायात का नियमित आगमन है (बस नियमित रूप से व समय पर आती है)				
7	ग्राम पंचायत के अन्दर छोटी दूरी तय करने के लिए नियमित रूप से ऑटो रिक्शा उपलब्ध हैं और सभी उसका लाभ उठा सकते हैं				
बस स्टॉप/रिक्शा स्टैंड					
8	सभी आवश्यक स्थानों (बाजारों, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं, सार्वजनिक क्षेत्रों, पंचायत की (PRI) इमारतों, आदि) के पास बस स्टॉप/रिक्शा स्टैंड हैं				
9	बस स्टैंड/रिक्शा स्टैंड की हालत अच्छी है (जैसे वे ढके हुए हैं, उनमें बैठने की व्यवस्था है, आदि)				

2.3 ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान लगाना

2.3.1 ग्राम पंचायत में कार्बन फुटप्रिंट के क्या स्रोत हैं?

ग्राम पंचायतों में कार्बन फुटप्रिंट (ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन) के कारणों में बिजली की खपत²¹, खाना पकाने के लिए लकड़ी जलाने और एलपीजी (LPG) का उपयोग, खेती के लिए डीज़ल पंप का उपयोग, बिजली के एक और स्रोत के लिए डीज़ल जनरेटर का उपयोग और सार्वजनिक यातायात के साधनों में जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीज़ल) का उपयोग सम्मिलित है। खेती से जुड़े कार्यों जैसे धान की खेती, उर्वरक का उपयोग, फ़सल अवशेष को जलाना, पशुधन संबंधी गतिविधियां जैसे गायों/भैंसों में आंत्रिक किण्वन (एंटरिक फरमेंटेशन) और उनके शौच के निपटान की प्रक्रिया से भी उत्सर्जन होता है। घरों से निकला हुआ गंदा पानी भी ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान देता है।

ग्राम पंचायत में ग्रीनहाउस गैस के स्रोत

क्रमांक	स्रोत	उत्सर्जन का कारण
1	खाना पकाना	एलपीजी (LPG), लकड़ी और गोबर, मिट्टी का तेल
2	यातायात	पेट्रोल, डीज़ल, एलपीजी (LPG), सीएनजी (CNG) का उपयोग
3	पावर बैकअप (बिजली का एक और स्रोत)	डीज़ल का उपयोग
4	डीज़ल पंप द्वारा सिंचाई	डीज़ल का उपयोग
5	धान की खेती	क्षेत्र जहां धान की खेती होती है
6	उर्वरक	यूरिया और अन्य नाइट्रोजन वाले उर्वरक
7	फ़सल अवशेष को जलाना	फ़सल अवशेष के जलने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन
8	पशुधन में आंत्रिक किण्वन (एंटरिक फरमेंटेशन)	पशुओं के आंतों से निकला मीथेन
9	पशु शौच का निपटान	गोबर का प्रबंधन एवं भण्डारण
10	घरों से निकला गंदा पानी	गंदे पानी में मिले हुए जैविक तत्व
11	बिजली	बिजली की खपत

2.3.2 ग्राम पंचायत में कार्बन फुटप्रिंट के स्रोतों की पहचान कैसे करनी है?

निम्नलिखित साधनों और तकनीकों के माध्यम से ग्राम पंचायत में कार्बन फुटप्रिंट के स्रोतों के बारे में जानकारी एकत्र कर उनका मूल्यांकन किया जा सकता है।

- उत्सर्जनों के स्रोतों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए फ़ील्ड सर्वेक्षण, समूह केन्द्रित चर्चाएं (एफ़जीडी) (FGDs) और प्राथमिक सर्वेक्षण प्रश्नावली (अनुलग्नक II में सम्मिलित है) के माध्यम से स्थानीय लोगों (गांववालों) और चुनिंदा समूहों (समुदाय के अति संवेदनशील वर्ग) से सुझाव प्राप्त किए जा सकते हैं।
- स्व-मूल्यांकन साधन जो कि भागीदारी दृष्टिकोण का हिस्सा है, वह लोगों का मार्गदर्शन करता है कि किस प्रकार वे गांव के निवासियों के व्यक्तिगत और घरों में ऊर्जा, खेती, पशुधन, कचरा और बिजली की खपत से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की गणना कर सकते हैं।

²¹ ग्राम पंचायत में बिजली की खपत से होने वाले उत्सर्जन को द्वितीय श्रेणी/स्कोप 2 के उत्सर्जन के रूप में लिया गया है (संबन्धित आंकड़ों को यूपीपीसीएल से प्राप्त किया जा सकता है)

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के स्रोत	अनुमानित उत्सर्जन
डीज़ल का उपयोग	1 लीटर डीज़ल = 2.72 किलो CO ₂ e उत्सर्जन
पेट्रोल का उपयोग	1 लीटर पेट्रोल = 2.34 किलो CO ₂ e उत्सर्जन
कोयले का उपयोग	1 किलो कोयला = 2.5 - 3 किलो CO ₂ e उत्सर्जन
खाना बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग	1 किलो लकड़ी = 0.12 किलो CO ₂ e उत्सर्जन
एलपीजी (LPG) का उपयोग	1 एलपीजी (LPG) सिलिंडर (14.2 किलो) = 42.45 किलो CO ₂ e उत्सर्जन
नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग (यूरिया + अन्य नाइट्रोजन उर्वरक)	1 किलो नाइट्रोजन उर्वरक = 1.22 किलो CO ₂ e उत्सर्जन
पशुधन	<p>1 दूध देने वाली देसी गाय = 661.5 किलो CO₂e प्रति वर्ष</p> <p>1 दूध न देने वाली देसी गाय (वयस्क) = 732.9 किलो CO₂e प्रति वर्ष</p> <p>1 दूध देने वाली संकर नस्ल की गाय = 982.8 किलो CO₂e प्रति वर्ष</p> <p>1 दूध न देने वाली संकर नस्ल की गाय = 745.5 किलो CO₂e प्रति वर्ष</p> <p>1 दूध देने वाली भैंस = 1142.4 किलो CO₂e प्रति वर्ष</p> <p>1 दूध न देने वाली भैंस (वयस्क) = 1008 किलो CO₂e प्रति वर्ष</p> <p>1 बकरी = 109.62 किलो CO₂e प्रति वर्ष</p> <p>1 भेड़ = 109.20 किलो CO₂e प्रति वर्ष</p> <p>1 घोड़ा = 423.99 किलो CO₂e प्रति वर्ष</p> <p>1 गधा = 228.90 किलो CO₂e प्रति वर्ष</p> <p>1 सूअर = 105 किलो CO₂e प्रति वर्ष</p>
धान की खेती	<p>धान की खेती से होने वाला उत्सर्जन (1 हेक्टेयर भूमि में अलग-अलग पानी के स्तर):</p> <p>लगातार पानी का स्तर बनाए रखना = 3402 किलो CO₂e</p> <p>नियमित अन्तराल पर एक बार वायु में मिलाना = 1386 किलो CO₂e</p> <p>नियमित अन्तराल पर कई बार वायु में मिलाना = 378 किलो CO₂e</p> <p>ऐसे स्थान जहां कई बार बाढ़ आती है = 3990 किलो CO₂e</p> <p>ऐसे स्थान जहां बार-बार अकाल पड़ता है = 1386 किलो CO₂e</p> <p>गहरा पानी = 3990 kg CO₂e</p>
घरों से निकला गंदा पानी	घरों से निकले अपशिष्ट जल के कारण उत्सर्जन = 41.62 किलो CO ₂ e / व्यक्ति/वर्ष
बिजली का उपयोग	1 kwh या 1 यूनिट बिजली = 0.82 किलो CO ₂ e उत्सर्जन

2.4 उत्तरदायित्वों को समझना

निम्नलिखित तालिका क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के निर्माण के चरणों की व्याख्या करती है और हर एक चरण के लिए उत्तरदायी हितधारक का उल्लेख करती हैं। क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना को समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करने, विभिन्न हितधारकों (खंड विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी) से सहमति लेने और स्वीकार करने के उपरांत इसके क्रियान्वयन का कार्य निम्नलिखित चरणों के साथ किया जाएगा:-

- ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव योजना के क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त विभागों की पहचान करेंगे
- पंचायत कार्यालय (पीओ) (PO) और खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) (BDO) विभागों के साथ परामर्श कर हर एक गतिविधि के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) (DPRs)/प्रस्ताव की तैयारी को आगे बढ़ाएंगे।
- विभागों और स्थानीय सीएसआर (CSRs), एजेंसी के साथ परामर्श कर विक्रेता चुनने की प्रक्रिया पूरी करेंगे

चरण	हर एक चरण के लिए गतिविधियां	कौन करेगा?
चरण 1 : तथ्य/डेटा एकत्र करना	सरकारी विभागों, उनके डैशबोर्ड और पोर्टल से द्वितीयक आंकड़े एकत्र करना	<ol style="list-style-type: none"> 1. ग्राम प्रधान 2. पंचायत के सदस्य 3. पंचायत सचिव 4. स्थानीय समितियां (जैसे शिक्षा समिति, नियोजन और विकास समिति, और दूसरी आवश्यक स्थायी समितियां, आदि) 5. समूह (महिला समूह, स्वयं सहायता समूह, विद्यार्थी और युवा समूह) 6. स्वयं-सेवी समूह (भूमि कार्य करने वाले)
	सर्वेक्षण प्रश्नावली और केन्द्रित समूह चर्चा (एफ़जीडी) (FGDs)	
	ग्रामीण सहभागी आंकलन (पीआरए)	
	ग्राम पंचायत का सामाजिक और संसाधन मानचित्र	
	किसी के पास जानकारी न हो तो उसे जानकारी बताना	
चरण 2: विश्लेषण और मूल्यांकन	ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन	<ol style="list-style-type: none"> 1. पंचायत के सदस्य 2. ग्राम प्रधान 3. पंचायत सचिव किसान उत्पादक संस्थाएं (एफ़पीओ) (FPOs) और अन्य किसान समूह 4. विद्यार्थी और युवा समूह 5. स्थानीय समितियां: <ol style="list-style-type: none"> a. जल और स्वच्छता समिति b. स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति c. नियोजन और विकास समिति d. आपदा प्रबंधन समिति e. अन्य आवश्यक स्थायी समितियां, आदि 6. संस्था (अगर है): <ol style="list-style-type: none"> a. कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके)(KVK) b. पॉलिटैक्निक संस्थाएं c. स्थानीय विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थाएं d. स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय 7. स्थानीय गैर-सरकारी संस्थाएं और सीएसआर (CSRs) एजेंसी
	सेक्टरवार जोखिमों का मूल्यांकन	
	खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता और क्षमता आंकलन (एचआरवीसीए) (HRVCA)	
	जलवायु परिवर्तन (तापमान और बारिश) और जलवायु परिवर्तन का भूमि पर दुष्प्रभाव	
	जलवायु के दृष्टिकोण से ग्राम पंचायत की समस्याओं की पहचान करना	

चरण 3: कार्ययोजना तैयार करना	उन क्षेत्रों की पहचान करना जिनमें समस्याओं के समाधान हेतु सुझावों और चरणवार गतिविधियों की आवश्यकता है	<ol style="list-style-type: none"> 1. पंचायत के सदस्य 2. ग्राम प्रधान 3. पंचायत सचिव 4. स्थानीय समितियां: <ol style="list-style-type: none"> a. जल और स्वच्छता समिति b. स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति c. नियोजन और विकास समिति d. आपदा प्रबंधन समिति e. दूसरी आवश्यक स्थायी समितियां, आदि 5. स्थानीय गैर-सरकारी संस्थाएं और सीएसआर (CSRs) एजन्सी
	प्रत्येक चरण के लिए एक लक्ष्य तय करना और हर एक गतिविधि के लिए अनुमानित खर्च तय करना	
	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (एम&ई) (M&E) संरचना तैयार करना	
चरण 4: वित्त के स्रोत और ग्राम पंचायत विकास योजना के साथ अभिसरण	योजना की गतिविधियों को पूरा करने के लिए वित्त ²² प्राप्त करने के स्रोतों की पहचान करना	<ol style="list-style-type: none"> 1. पंचायत के सदस्य 2. ग्राम प्रधान 3. पंचायत सचिव 4. नियोजन और विकास समिति
	ग्राम पंचायत विकास योजना के साथ अभिसरण करना ताकि ग्राम पंचायत के महत्वपूर्ण कार्यों को और लाभदायक बनाया जा सके	
चरण 5: योजना के लिए स्वीकृति प्राप्त करना	कार्ययोजना पर अनुमोदन हेतु योजना को गांव के निवासियों के सामने प्रस्तुत करना	<ol style="list-style-type: none"> 1. पंचायत के सदस्य 2. ग्राम प्रधान 3. नियोजन और विकास समिति
चरण 6: योजना अनुमोदन	खंड विकास अधिकारी/जिलाधिकारी को योजना प्रस्तुत करना	<ol style="list-style-type: none"> 1. पंचायत के सदस्य 2. ग्राम प्रधान 3. पंचायत सचिव 4. स्थानीय समितियां
	कार्ययोजना में अंतिम बदलाव लाना	
	क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना का अनुमोदन	
चरण 7: औपचारिक रूप से योजना जमा कराना	योजना को औपचारिक रूप से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (डीओईएफसीसी) (DoEFCC) या अन्य प्रासंगिक हितधारक/लाइन विभाग को जमा करना	<ol style="list-style-type: none"> 1. ग्राम प्रधान 2. पंचायत सचिव 3. खंड विकास अधिकारी
चरण 8: योजना का आरंभ	योजना को औपचारिक रूप से प्रारम्भ करना तथा क्रियान्वयन में विभिन्न विभागों की योजनाओं/वित्त के अभिसरण को सुनिश्चित करने हेतु सहमति प्राप्त करना	<ol style="list-style-type: none"> 1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (डीओईएफसीसी) (DoEFCC) (मुख्य भूमिका) 2. पंचायती राज विभाग (मुख्य भूमिका) 3. पंचायत के सदस्य 4. ग्राम प्रधान 5. पंचायत सचिव

22 राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं, मिशन और प्राइवेट सेक्टर जिससे सीएसआर (CSR) से प्राप्त वित्त

3

संभावित हस्तक्षेप :
सहनशीलता निर्माण,
जलवायु परिवर्तन
अनुकूलन और शमन



3

संभावित हस्तक्षेप : सहनशीलता निर्माण,
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन



3.1 मुद्दों की पहचान और संबंधित संस्तुतियाँ/प्रस्तावित सुझाव/गतिविधियाँ : संदर्भ निर्धारित करना

ग्राम पंचायत के कृषि-जलवायु क्षेत्र²³, ग्राम पंचायत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, प्रत्येक ग्राम पंचायत के सामाजिक-आर्थिक और क्षेत्रीय संवेदनशीलताएँ और कार्बन फुटप्रिंट के स्रोतों के बारे में जानकारी; ग्राम पंचायत में प्रत्येक क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों और चुनौतियों की पहचान करने में मददकारक है। इन सबसे उपयुक्त, अनुकूलित और आवश्यकता-विशिष्ट संस्तुतियों की पहचान करने में मदद मिलती है।

नीचे गतिविधियों की सूची प्रस्तुत है जिससे ग्राम पंचायत अपनी वर्तमान या होने वाली समस्याओं के आधार पर गतिविधियाँ चुन सकती है।²⁴

क्रमांक	उपयुक्त क्षेत्र ²⁵	प्रस्तावित गतिविधियाँ	सहायक योजनाएँ / मिशन / पहल
1.	वन, हरित क्षेत्र और जैवविविधता संबंधी गतिविधियाँ (FGB)	<p>ग्राम पंचायत में हरित क्षेत्रों को बढ़ाना :</p> <ol style="list-style-type: none"> जंगलों में उपस्थित पेड़ों की देखभाल करना और वृक्षारोपण सभी गांव के निवासियों के साथ मिलकर वृक्षारोपण करना: <ol style="list-style-type: none"> विद्यार्थियों के लिए हरित प्रबंधन कार्यक्रम फलों के पेड़ लगाकर खाद्य जंगलों (फूड फॉरेस्ट) का निर्माण करना बाल वन तैयार करना जंगलों में, सड़को/रास्तों के किनारों पर, नदी/तालाब के आसपास आदि आरोग्य वन का निर्माण; पंचायत सीआईएमपी (CIMP)-लखनऊ, एफपीओ (FPOs), महिला समूहों, युवा समूहों, आदि के साथ साझेदारी स्थापित करना और प्राकृतिक दवाई और अनुपूरक बेचना खेत के बीच और आसपास पेड़ लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना सीआईएमपी (CIMP)-लखनऊ द्वारा सभी हितधारकों के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण विद्यार्थियों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए ट्रेनिंग सत्र 	<ol style="list-style-type: none"> कृषि वानिकी पर उप-मिशन (राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पहल (एमओईएफसीसी) (MoEFCC) 'भारत में जंगलों के बाहर पेड़' हरित भारत मिशन जल जीवन मिशन उ०प्र० राज्य वृक्षारोपण लक्ष्य उ०प्र० राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण निधि (राज्य कैम्पा निधि) मन्रेगा योजना

²³ कृषि-जलवायु क्षेत्रों और उनकी उपयुक्त विशेषताओं की सूची अनुलग्नक VII में जोड़ी गई है

²⁴ ग्राम पंचायत की आवश्यकता के अनुसार इस सूची में अन्य उपयुक्त गतिविधियाँ सम्मिलित की जा सकती हैं

²⁵ जोखिमों और पहचानी गई समस्याओं (एचआरवीसीए (HRVCA), प्राथमिक सर्वेक्षण प्रभावशील और स्व-मूल्यांकन साधनों द्वारा) के आधार पर

क्रमांक	उपयुक्त क्षेत्र	प्रस्तावित गतिविधियां	सहायक योजनाएँ / मिशन / पहल
		<p>जन जैवविविधता रजिस्टर:</p> <ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर को अपडेट करना । समुदाय और हितधारकों के मध्य जागरूकता बढ़ाना 	
2.	जल संबंधी गतिविधियां (W)	<p>वर्षा जल संचयन प्रबंधन:</p> <ol style="list-style-type: none"> सरकारी/पंचायत इमारतों और आवासीय इमारतों में वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना सभी नई इमारतों में वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना <p>नदियों/तालाबों का कायाकल्प और जल संचयन के लिए नए तालाब बनाना:</p> <ol style="list-style-type: none"> वर्तमान तालाबों का जीर्णोद्धार: <ol style="list-style-type: none"> उनकी सफ़ाई करना और मिट्टी निकालना जलभराव वाले स्थानों की गहराई बढ़ाना जलभराव वाले स्थानों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मेड़बन्दी नदियों/तालाबों के आसपास ट्री गार्ड सहित पेड़ लगाना निचले स्थानों में भूमि खोदकर तालाब बनाना नदियों/तालाबों को पहले जैसा बनाने और भूमि खोदकर तालाब बनाने के लिए सभी के सहयोग के लिए प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना ग्राम पंचायत की जल और स्वच्छता समिति (डब्ल्यूएससी) (WSC) और निर्माण कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) (CWC) की क्षमता बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> मनरेगा योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाय) (PMKSY) (जलसंभर विकास घटक) जल शक्ति अभियान: (केच द रेन)
		<p>कुओं का कायाकल्प और भूजल प्रबंधन :</p> <ol style="list-style-type: none"> सभी कुओं की सफ़ाई कर उन्हें पहले जैसा बनाना पीने के पानी के मौजूदा हैण्ड पंपों के गड्डों को फिर से खोदना भूजल को बेहतर बनाने के लिए गड्डे खोदना 	

क्रमांक	उपयुक्त क्षेत्र	प्रस्तावित गतिविधियाँ	सहायक योजनाएँ / मिशन / पहल
		<p>जल निकासी की व्यवस्था को बेहतर बनाना:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. गंदे पानी/वर्षा जल की निकासी के लिए भूमिगत नालियाँ बनाना ताकि सड़कों से पानी न बहे 2. पानी की गुणवत्ता बेहतर करने और खेतों के लिए पानी हेतु नहरें बनाना 3. वर्तमान नालियों की सफाई और उनसे मिट्टी निकालना 4. पानी को बाहर निकालने के लिए छोटी नालियाँ बनाना <p>पंचायत स्तर पर जल बजट:</p> <p>ग्राम पंचायत स्तर पर जल ऑडिट करने और "जल की कमी"/"जल की अधिकता" की गणना करने के लिए जल बजट</p>	
3.	कृषि संबंधी गतिविधियाँ (A)	<p>कृषि के लिए अकाल प्रबंधन:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ड्रिप सिंचाई और स्प्रींकलर सिंचाई जैसे सूक्ष्म-सिंचाई तरीकों से सिंचाई करना 2. खेतों के आसपास मेड़बन्दी 3. कृषि तालाब बनाना 4. चावल और गेहूँ के सूखारोधी प्रकार लगाना 5. ड्राई डायरेक्ट-सीडेड राइस को अपनाना 6. सामुदायिक बीज बैंक द्वारा किसानों को सूखा-सहन करने वाली/सहिष्णु और जलवायु-लचीली/सूक्ष्म फसलों की किस्में उपलब्ध कराना <p>प्राकृतिक खेती अपनाना:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जैविक उर्वरक, जैव-कीटनाशक और जैव- खरपतवार नाशक अपनाना 2. जैविक उपज प्रमाणन प्रक्रिया स्थापित कर उसे अपनाना 3. खेतों से प्राप्त जैविक उपज की बिक्री के लिए बाज़ार ढूँढना और संपर्क बनाना 4. मिश्रित फसल, फसल चक्र, मल्विंग और शून्य जुताई जैसे तरीके अपनाना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाय) (PKVY) 2. मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना 3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाय) (PMKSY) 4. उत्तर प्रदेश बाजरा पुनरुद्धार कार्यक्रम 5. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

क्रमांक	उपयुक्त क्षेत्र	प्रस्तावित गतिविधियां	सहायक योजनाएँ / मिशन / पहल
		<p>5. किसानों, एफपीओ (FPOs) और अन्य हितधारक समूहों के लिए प्रशिक्षण सत्रों और प्रदर्शनों का आयोजन करना ताकि</p> <ol style="list-style-type: none"> उन्हें जैविक खेती और सूखारोधी फसलों के बारे में बताया जा सके ऐसे फसल पैटर्न अपनाएँ जिनमें सहन शक्ति अधिक हो सतत सिंचाई तरीके प्रमाणन व्यवस्थाएं बाजार तक पहुंच और फ़ायदा <p>सतत पशुधन प्रबंधन:</p> <ol style="list-style-type: none"> सौर ऊर्जा संचालित पशुशालाओं का निर्माण मवेशियों के लिए पूरक आहार (हरित ओहारा और टामारिन प्लस जैसे अनुपूरक) ताकि उनसे मीथेन उत्सर्जन कम हो पशुपालन में लगे परिवारों के लिए सतत पशुपालन पद्धतियों, बीमारी की रोकथाम और पशुधन स्वास्थ्य के प्रबंधन पर जागरूकता हेतु कार्यशालाओं का आयोजन पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए समुदाय के सदस्यों को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता/पैरा-वेट्स के रूप में प्रशिक्षित करना 	<ol style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना मौसम आधारित फ़सल बीमा योजना ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना कृषि रक्षा योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना राष्ट्रीय गोकुल मिशन मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम (WINDS) कार्यक्रम
4.	ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियां (SWM)	<p>ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था की स्थापना करना:</p> <ol style="list-style-type: none"> ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना जो घरों और दुकानों से सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग एकत्र करे बिजली से चलने वाले कचरा वाहन उपलब्ध कराना: <ol style="list-style-type: none"> हर घर से सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग एकत्र करना प्लास्टिक के कचरे को सबसे निकटतम प्लास्टिक पुनर्चक्रण केंद्र में ले जाना वर्तमान कचरा जमा करने वाली जगह को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड में बदलना या नया यार्ड बनाना जिसमें निम्न सम्मिलित हों: <ol style="list-style-type: none"> अपशिष्ट पृथक्करण और भंडारण के लिए स्थान कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्डे एक खुला बगीचा जिसमें पेड़ लगे हों (कम्पोस्ट/कचरे से बने उर्वरक का उपयोग) ग्राम पंचायत स्तर पर पुनर्चक्रण और प्लास्टिक श्रेडर सुविधा/मशीन स्थापित करना सार्वजनिक स्थानों में कूड़ेदान रखना (बाजार, विद्यालय, दुकानें, चाय के स्टाल आदि) 	<ol style="list-style-type: none"> स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम - जी) (SBM-G) मनरेगा योजना

क्रमांक	उपयुक्त क्षेत्र	प्रस्तावित गतिविधियाँ	सहायक योजनाएँ / मिशन / पहल
		<p>6. स्वयं सहायता समूह, कचरा एकत्र करने वालों, स्थानीय कबाड़ी वालों का सहयोग प्राप्त कर पंचायत एवं विभिन्न हितधारकों के बीच साझेदारी स्थापित करना:</p> <ol style="list-style-type: none"> कचरे को एकत्र करना और उसे उचित जगह पहुँचाने के लिए: सहायता समूहों, कचरा एकत्र करने वालों, स्थानीय कबाड़ी वाले अपशिष्ट प्रबंधन पार्क का संचालन करना: स्थानीय व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा <p>जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन:</p> <ol style="list-style-type: none"> गांव के सभी लोगों के सहयोग से कम्पोस्ट और वर्मी कम्पोस्ट गड्ढे बनाना उक्त सामुदायिक पहल के प्रोत्साहन हेतु आवश्यक सेवाओं के शुल्क जैसे पानी शुल्क या कचरा संग्रहण शुल्क पर छूट या बायोगैस की खरीद पर सब्सिडी दी जा सकती है। पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल: <ol style="list-style-type: none"> कम्पोस्ट का उत्पादन और बिक्री कृषि अपशिष्ट की बिक्री <p>एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना:</p> <ol style="list-style-type: none"> एकल उपयोग प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध को लागू करना (एसयूपी) (SUPs) जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम: <ol style="list-style-type: none"> ग्राम जल और स्वच्छता समिति विद्यार्थी और युवा समूह समुदाय के सदस्य प्लास्टिक के कचरे से व्यवसाय करने के विचार को साझा करने के लिए सत्र का आयोजन करना और प्लास्टिक के स्थान पर दूसरी चीजों के उपयोग को बढ़ावा देना रेस (RACE) अभियान और लाइफ़ मिशन के माध्यम से जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना प्लास्टिक के स्थान पर दूसरी चीजों से थैले, घर सजाने का सामान, छुरी-कांटा, कापी/पेंसिल, फर्नीचर जैसी सामग्रियाँ बनाने के लिए पंचायत तथा गाँव की महिलाएं और स्वयं सहायता समूहों के साथ साझेदारी स्थापित करना 	

क्रमांक	उपयुक्त क्षेत्र	प्रस्तावित गतिविधियां	सहायक योजनाएँ / मिशन / पहल
5.	गतिशीलता संबंधी गतिविधियां (M)	<p>सड़कें और पैदल चलने वालों के लिए अवसरचानाओं को बेहतर बनाना :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ग्राम पंचायत की सभी सड़कों को पक्की सड़कें बनाना 2. गड़बड़ वाली और टूटी सड़कों की मरम्मत करना 3. चुने गए क्षेत्रों में फुटपाथ /रास्ते बनाना 4. जिन स्थानों में जलभराव होता है वहां की सड़कों को ऊंचा कर देने से समस्या का समाधान संभव है <p>ग्राम पंचायत के सभी स्थानों को जोड़ने के लिए सार्वजनिक यातायात साधन (ई-ऑटोरिक्शा):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ई-ऑटोरिक्शा की उपलब्धता सुनिश्चित करना ताकि ग्राम पंचायत के सभी स्थानों में पहुंचना आसान हो 2. सहभागिता स्थापित करना और ई-ऑटोरिक्शा को किराए पर देने/लेने के व्यवसाय मॉडल/व्यवस्था स्थापित करना जो इस प्रकार होगा: <ol style="list-style-type: none"> a. व्यवसाय/मालिक ई-ऑटोरिक्शा किराए पर देंगे (हरित उद्यमिता/व्यवसायों) b. कामकाजी लोग/युवा ई-ऑटोरिक्शा किराए पर लेंगे (हरित आजीविका) 3. वर्तमान ई-ऑटोरिक्शा की देखरेख और मरम्मत (अगर आवश्यकता हो) 4. ई-ऑटोरिक्शा के स्टैंड के लिए उचित स्थानों का चुनाव ताकि गांव वाले इनका लाभ उठा सके 5. गांव के निवासियों में आईपीटी (IPT) और ई-यातायात के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2. मनरेगा योजना 3. यूपी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 4. इलेक्ट्रिक वाहनों (फेम III) का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण योजना-चरण III

क्रमांक	उपयुक्त क्षेत्र	प्रस्तावित गतिविधियां	सहायक योजनाएँ / मिशन / पहल
		<p>ई-माल वाहक और ई-ट्रेक्टर:</p> <ol style="list-style-type: none"> ई-माल वाहकों और ई-ट्रेक्टरों की उपलब्धता सहभागिता स्थापित करना और इलेक्ट्रिक माल वाहकों और इलेक्ट्रिक ट्रेक्टरों को किराए पर देने/लेने के व्यवसाय मॉडल/व्यवस्था स्थापित करना जो निम्न दो पक्षों के बीच होगा: <ol style="list-style-type: none"> व्यवसाय/मालिक जो ई-माल वाहक और ई-माल वाहक किराए पर देते हैं (हरित उद्यमिता/व्यवसायों) और किसान/कामकाजी लोग/युवा जो ई-माल वाहक और ई-ट्रेक्टर किराए पर लेते हैं (हरित आजीविका) प्रोत्साहन व्यवस्था (किराए पर सब्सिडी देना आदि) ताकि किसान/ट्रांसपोर्टर डीज़ल वाहनों के स्थान पर ई-ट्रेक्टर/कैरीयर चुनें ई-माल वाहकों और ई-ट्रेक्टरों के लाभों के बारे में लोगों (किसान/लॉजिस्टिक्स मालिकों) को बताना 	
6.	ऊर्जा संबंधी गतिविधियां (E)	<p>सोलर रूफ़टॉप की स्थापना:</p> <p>ग्राम पंचायत की सभी सरकारी इमारतों और पक्के घरों में सोलर रूफ़टॉप लगाना</p> <p>कृषि-फोटोवोल्टेक:</p> <p>बागवानी और दलहन फसलों वाले क्षेत्रों में कृषि-फोटोवोल्टेक की स्थापना</p> <p>सोलर पंप:</p> <p>वर्तमान डीज़ल पंपों के स्थान पर सोलर पंप या ऊर्जा दक्ष पंप लगाना</p>	<ol style="list-style-type: none"> उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 प्रधानमंत्री कुसुम योजना के घटक ए, बी और सी अटल ज्योति योजना (एमएनआरई सौर स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम) ईईएसएल (EESL) का सौर ऊर्जा आधारित प्रेरण खाना पकाने के समाधान के लिए बाजार आधारित हस्तक्षेप

क्रमांक	उपयुक्त क्षेत्र	प्रस्तावित गतिविधियां	सहायक योजनाएँ / मिशन / पहल
		<p>रसोई में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग (क्लीन कुकिंग): खाना पकाने के लिए निम्न विकल्प चुनना:</p> <ol style="list-style-type: none"> बायोगैस सौर ऊर्जा से संचालित इंडक्शन कुकस्टोव उन्नत चूल्हे एलपीजी (LPG) <p>कुशल उर्जा: सरकारी इमारतों और आवासीय इमारतों की सभी लाइटों और पंखों के स्थान पर उर्जा कुशल लाइट और पंखों को लगाना</p> <p>सौर स्ट्रीट लाइट: सड़कों, सार्वजनिक क्षेत्रों और अन्य आवश्यक स्थानों पर एलईडी (LED) स्ट्रीट लाइट लगाना</p> <p>कूल रूफ : सरकारी, सामुदायिक इमारतों और मकानों में कूल रूफ (ठंडी छतें) कार्यक्रम लागू करना</p> <p>सौर पेयजल एटीएम (ATM): अकाल प्रभावित ग्राम पंचायतों में सौर उर्जा द्वारा संचालित पेयजल एटीएम लगाना</p> <p>सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज (एफपीओ/एसएचजी/व्यक्तिगत किसान): फसल कटाई के बाद फसल की दक्षता बढ़ाने और नुकसान में कमी लाने का कार्य, अतः किसानों की आय में सुधार</p> <p>सौर अप्रतिरोधी/सहनशील डिजाइन और अप्रतिरोधी/सहनशील शीतलन: ऊर्जा की मांग को कम करने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए इमारतों का सौर रेखागणित के अनुकूल निर्माण और स्थानीय सामग्रियों और सतत बनावट/डिजाइन (प्राकृतिक हवा का आवागमन, प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था, वृक्षारोपण/बागवानी, आदि) को बढ़ावा देना</p>	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम उजाला योजना ग्रिड संबद्ध सौर रूफटॉप कार्यक्रम, एमएनआरई (MNRE) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) योजना - बागवानी उत्पादों के लिए भंडारण स्थान एवं कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत गोबरधन योजना उ०प्र० जैव-ऊर्जा नीति 2022 अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) कार्यक्रम

क्रमांक	उपयुक्त क्षेत्र	प्रस्तावित गतिविधियां	सहायक योजनाएँ / मिशन / पहल
7.	<p>उद्योग संबंधी गतिविधियां (I)</p>	<p>ऊर्जा परिवर्तन:</p> <ol style="list-style-type: none"> उद्योग स्तर पर सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए छूट, कर्ज़/वित्तीय सहायता, हरित शुल्क और कर कटौती जैसे आर्थिक लाभ प्रदान करना उद्योगों और पंचायत के बीच ऐसी सहभागिता और व्यवसाय मॉडल तैयार करना जिससे अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड को भेजी जा सके एवं डीआरई (DRE) का विकास हो सके स्वच्छ तकनीकों का प्रचार और उन्हें अपनाया जाना <p>उत्सर्जन कटौती और अवशोषण:</p> <ol style="list-style-type: none"> वर्तमान उत्सर्जन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों (परिवहन, प्रसंस्करण, आदि) में वैकल्पिक ईंधन या कम उत्सर्जन करने वाले ईंधनों के उपयोग का प्रचार करना (जैसे, जैव ईंधन) उत्पादन प्रक्रिया के दौरान हरित सामग्रियों या कम उत्सर्जन करने वाली सामग्रियों के उपयोग का प्रचार करना उद्योग क्षेत्रों में या उनके आसपास हरित क्षेत्रों/बफ़र स्थानों की संख्या बढ़ाना <p>कुशल ऊर्जा और संसाधन:</p> <ol style="list-style-type: none"> औद्योगिक संयंत्रों का रोधन बेहतर करना, हीट एक्चेंजर उपयोग करने जैसे कदम उठाकर ऊर्जा कुशल तकनीकों का प्रचार करना कुशल ऊर्जा उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना (पीएटी) का प्रचार करना निम्न को अपनाने हेतु जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन : <ol style="list-style-type: none"> स्मार्ट कुशल ऊर्जा व्यवस्थाएं कुशल संसाधन तरीके जैसे पानी का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण, अपशिष्ट उपचार और पुनर्चक्रण, सामग्रियों का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण, आदि 	<ol style="list-style-type: none"> उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 प्रधानमंत्री कुसुम योजना के घटक ए, बी और सी ग्रिड संबद्ध सौर रूफटॉप कार्यक्रम, एमएनआरई एमओईएफ़सीसी द्वारा 'ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया योजना' हरित भारत मिशन सामान्य प्रवाह उपचार संयंत्रों के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना सीईटीपी (CETPs), एमओईएफ़सीसी²⁶

26 <https://www.indiawaterportal.org/articles/revise-guidelines-centrally-sponsored-scheme-common-effluent-treatment-plants-cetps>

3.2 चरणवार लक्ष्य और अनुमानित लागत

प्रत्येक गतिविधि का कार्यान्वयन चरणवार तरीके से किया जाएगा जिसमें तीन मुख्य चरण होंगे। सभी चरणों के लक्ष्य और अनुमानित लागत सहित विस्तृत विवरण नीचे प्रस्तुत तालिका में उल्लिखित हैं।

वन, हरित क्षेत्र और जैवविविधता संबंधी गतिविधियां (एफ़जीबी) (FGB)

चरण I: 2024-25 से 2026-27						
कोड	प्रस्तावित गतिविधियां	लक्ष्य विवरण	वार्षिक लक्ष्य			कुल लागत
			2024-25	2025-26	2026-27	
पूरे ग्राम पंचायत के हरित क्षेत्रों का सुधार करना (एफ़जीबी 1)(FGB 1)						
एफ़जीबी 1.1	वन का नवीनीकरण एवं संरक्षण	वर्तमान जंगलों में पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना				अनुमानित लागत: 1. वृक्षारोपण (तैयारी, पौधा, माली, आदि) = ₹70 2. ट्री गार्ड (धातु) = प्रति यूनिट ₹1,200 3. वृक्षों का रख-रखाव: ₹1.5 लाख प्रति हेक्टेयर 4. एग्रोफ़ोरेस्ट्री: ₹40,000 प्रति हेक्टेयर
एफ़जीबी 1.2	गांववासियों द्वारा वृक्षारोपण करना ²⁷	पौधे लगाना: a. विद्यार्थियों के लिए हरित प्रबंधन कार्यक्रम b. फलदार वृक्ष लगाकर जंगलों का निर्माण करना c. सड़कों/तालाबों के आसपास पौधे लगाना				
एफ़जीबी 1.3	आरोग्य वन	आरोग्य वन के लिए भूमि निर्धारित करना				
एफ़जीबी 1.4	कृषिवानिकी	कृषिवानिकी के बारे में किसानों के लिये ज्ञान और जागरूकता सत्रों का आयोजन				
एफ़जीबी 1.5	जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास	विद्यार्थियों, युवा, और स्थानीय समुदायों के लिए निम्न विषय पर जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र का आयोजन a. जंगलों और हरित क्षेत्रों का महत्व b. वृक्षारोपण और पौधों/वृक्षों की देखभाल कैसे करनी है? c. कौन-से पेड़ लगाए जा सकते हैं और उनकी सहन शक्ति कितनी है?				

²⁷ क्षेत्र में आम तौर पर मिलने वाले पेड़ और लुप्तप्राय/ संवेदनशील प्रजातियां

जन जैवविविधता रजिस्टर (एफ़जीबी 2) (FGB 2)

एफ़जीबी 2.1	अद्यतनीकरण एवं रखरखाव	जन जैवविविधता रजिस्टर लोगों की भागीदारी संबंधी नई जानकारी लिखना			अनुमानित लागत: जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) (BMCs) की स्थापना, पंजीकरण और प्रशिक्षण = ₹25,000	कुल लागत
चरण II: 2027-28 से 2029-30						
कोड	प्रस्तावित गतिविधियां	लक्ष्य विवरण	2027-28	2028-29	2029-30	कुल लागत
पूरे ग्राम पंचायत के हरित क्षेत्रों का सुधार करना (एफ़जीबी 1)(FGB 1)						
एफ़जीबी 1.1	वन नवीनीकरण एवं संरक्षण	<ul style="list-style-type: none"> पेड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए वन में और पौधे लगाना वर्तमान जंगलों/संसाधनों की देखरेख करना 				
एफ़जीबी 1.2	गांव के निवासियों द्वारा वृक्षारोपण करना ²⁸	<ul style="list-style-type: none"> अधिक पौधे लगाना: <ol style="list-style-type: none"> बाल वन तैयार करना²⁹ सड़कों/तालाबों के आसपास जंगलों और अन्य हरित क्षेत्रों की देखरेख करना 				अनुमानित लागत: <ol style="list-style-type: none"> वृक्षारोपण (तैयारी, पौधा, माली, आदि) = ₹70 ट्री गार्ड (धातु) = प्रति यूनिट ₹1,200 वृक्षों का रख-रखाव: ₹1.5 लाख प्रति हेक्टेयर एग्रोफोरेस्ट्री: ₹ 40,000 प्रति हेक्टेयर
एफ़जीबी 1.3	आरोग्य वन	<ul style="list-style-type: none"> आरोग्य वन तैयार करना उत्पादन इकाइयों का विकास प्राकृतिक दवाओं और अनुपूरकों का उत्पादन करने के लिए पंचायत, सीएमएपी (CIMAP), लखनऊ³⁰ 				

²⁸ क्षेत्र में आम तौर पर मिलने वाले पेड़ और लुप्तप्राय/असुरक्षित पेड़

²⁹ नए माता-पिताओं को उनके बच्चे के जन्म के अवसर पर देसी सदाबहार पेड़ों के पौधे दिए जा सकते हैं और उन्हें अपने बच्चे के साथ-साथ उन पौधों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है

³⁰ केंद्रीय औषधीय एवं संगंध पौधा संस्थान

				लखनऊ, एफ़जीओ (FPOs), स्वयं सहायता समूहों, महिला समूहों, के साथ सहभागिता निर्माण करना					
एफ़जीबी 1.4	कृषिवानिकी		किसानों को उपयुक्त भूमि (कम-से-कम 40% भूमि) में कृषि-वानिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना						
एफ़जीबी 1.5	जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास		<ul style="list-style-type: none"> ▪ अयोग्य वन तैयार करने के लिए सीआईएमपी (CIMP) लखनऊ द्वारा सभी हितधारकों के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण ▪ जागरूकता और क्षमता विकास कार्यक्रम (महत्व और लाभ) ▪ विद्यार्थियों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए निम्न विषयों पर प्रशिक्षण सत्र: <ol style="list-style-type: none"> a. जगलों और हरित क्षेत्रों का महत्व b. पेड़ों को लगाना और उनकी देखभाल कैसे करनी है c. कौन-से पेड़ लगाए जा सकते हैं और उनकी सहन शक्ति कितनी है 						
जन जैवविविधता रजिस्टर (एफ़जीबी 2) (FGB 2)									
एफ़जीबी 2.1	अद्यतनीकरण एवं रखरखाव		जन जैवविविधता रजिस्टर का अद्यतनीकरण						अनुमानित लागत: जैवविविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) (BMCs) की स्थापना, पंजीकरण और प्रशिक्षण = ₹25,000
एफ़जीबी 2.2	जागरूकता और क्षमता विकास		जागरूकता और क्षमता विकास सत्रों का नियमित आयोजन						

चरण III: 2030-31 से 2034-35							
कोड	प्रस्तावित गतिविधियां	लक्ष्य विवरण	वार्षिक लक्ष्य				कुल लागत
			2030-31	2031-32	2032-33	2033-34	
ग्राम पंचायत के हरित क्षेत्रों का सुधार करना (एफ़जीबी 1)(FGB 1)							
एफ़जीबी 1.1	वन	<ul style="list-style-type: none"> पेड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण करना वर्तमान जंगलों/संसाधनों की देखरेख करना 					अनुमानित लागत: 1. वृक्षारोपण (तैयारी, पौधा, माली, आदि) = ₹70 2. ट्री गार्ड (धातु) = प्रति यूनिट ₹1,200 3. वृक्षों का रख-रखाव: ₹1.5 लाख प्रति हेक्टेयर 4. एग्रोफ़ोरेस्ट्री: ₹ 40,000 प्रति हेक्टेयर
एफ़जीबी 1.2	गांव के निवासियों द्वारा वृक्षारोपण करना ³¹	<ul style="list-style-type: none"> सड़कों/ पगडंडियों, नदियों और तालाबों के आसपास और ज्यादा पेड़ लगाना बाल वन, खाद्य वन और दूसरे पेड़ों / हरित क्षेत्रों की देखभाल करते रहना 					
एफ़जीबी 1.3	आरोग्य वन	<ul style="list-style-type: none"> आरोग्य वन की देखभाल करना प्राकृतिक दवाओं और अनुपूरकों का उत्पादन करना अन्य गावों/जिलों के साथ सहभागिता का विस्तार करना 					

31 क्षेत्र में आम तौर पर मिलने वाले पेड़ और लुप्तप्राय/असुरक्षित पेड़

<p>एफ़जीबी 1.4</p>	<p>कृषि-वानिकी के लिए उपयुक्त 100% भूमि में कृषि-वानिकी अपनाना</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ अयोग्य वन तैयार करने के लिए सीआईएमपी (CIMP) लखनऊ द्वारा सभी हितधारकों के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण ▪ कृषि वन पर किसानों के लिए जागरूकता और क्षमता विकास कार्यक्रम (महत्व, लाभ) ▪ विद्यार्थियों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए जागरूकता और ट्रेनिंग सत्र: <ol style="list-style-type: none"> a. जंगलों और हरित क्षेत्रों का महत्व b. पेड़ों को लगाना और उनकी देखभाल कैसे करनी है c. कौन-से पेड़ लगाए जा सकते हैं और उनकी सहन शक्ति कितनी है 	<p>कृषि-वानिकी के लिए उपयुक्त 100% भूमि में कृषि-वानिकी अपनाना</p>		
<p>एफ़जीबी 1.5</p>	<p>जागरूकता बढ़ाना, प्रशिक्षण और क्षमता विकास</p>				

जन जैवविधिता रजिस्टर (एफ़जीबी 2) (FGB 2)

एफ़जीबी 2.1	अद्यतनीकरण एवं रखरखाव	जन जैवविधिता रजिस्टर अद्यतनीकरण								अनुमानित लागत: जैवविधिता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) (BMCs) की स्थापना, पंजीकरण और प्रशिक्षण = ₹25,000
एफ़जीबी 2.2	जागरूकता और क्षमता विकास	सभी गांव के निवासियों और हितधारकों के लिए जागरूकता सत्रों का नियमित आयोजन								

जल संबंधी गतिविधियां (डब्ल्यू (W))

चरण I: 2024-25 से 2026-27

कोड	प्रस्तावित गतिविधियां	लक्ष्य विवरण	वार्षिक लक्ष्य			कुल लागत
			2024-25	2025-26	2026-27	
वर्षा जल संचयन प्रणाली (डब्ल्यू 1) (W 1)						
डब्ल्यू 1.1	इमारतों में वर्षा जल संचयन प्रणाली की व्यवस्था करना	सभी सरकारी / पंचायत की इमारतों (100%) (पंचायत भवन, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, इंटर-कॉलेज, प्राथमिक उपचार केंद्र (पीएचसी) (PHC) में वर्षा जल संचयन प्रणाली की व्यवस्था करना				अनुमानित लागत: 10 m ³ रिचार्ज गड्डे युक्त वर्षा जल संचयन प्रणाली = प्रति यूनिट ₹35,000
नदियों/तालाबों का कार्याकल्प एवं अवधारण तालाबों का निर्माण (रिटेंशन तालाब) (डब्ल्यू 2) (W 2)						
डब्ल्यू 2.1	वर्तमान जलाशयों (झील/तालाब) का जीर्णोद्धार	<ul style="list-style-type: none"> तालाबों/नदियों की सफ़ाई और उनसे मिट्टी निकालना जलग्रह स्थानों की गहराई बढ़ाना जलग्रह स्थानों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मेड़बन्दी ट्री गार्ड सहित पेड़ लगाना (तालाबों/नदियों के आसपास) 				अनुमानित लागत: 1. 1 तालाब का उद्धार (सफ़ाई, मिट्टी निकालना, जलभराव वाले स्थानों की गहराई बढ़ाना, आदि) = ₹7 लाख 2. 1 अवधारण तालाब (रिटेंशन तालाब) (300 m ³ क्षमता) का निर्माण = ₹7 लाख

डब्ल्यू 2.2	अवधारण तालाब (रिटेंशन तालाब)	निचले स्थानों में अवधारण तालाबों (रिटेंशन तालाब) का निर्माण करना				3. 1 ट्री गार्ड सहित पेड़ लगाना = प्रति यूनिट ₹1,200 4. रखरखाव लागत: a. 1 तालाब/जलाशय = ₹3,75,000 b. 1 अवधारण तालाब (रिटेंशन तालाब) = ₹50,000 1 ट्री गार्ड सहित पेड़ = प्रति यूनिट ₹20
डब्ल्यू 2.3	जागरूकता क्षमता निर्माण और सामुदायिक सहभागिता	<ul style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत की जल और स्वच्छता समिति (डब्ल्यूएससी) (WSC) और निर्माण कार्य समिति सीडब्ल्यूसी (CWC) की क्षमता बढ़ाना नदियों/तालाबों के कायाकल्प और अवधारण तालाब (रिटेंशन तालाब) बनाने के लिए सभी का सहयोग प्राप्त करना उक्त गतिविधियों में समुदाय के सहयोग के लिए गांव के निवासियों के लिए प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना 				
कुओं का जीर्णोद्धार और भूजल को बेहतर बनाना (डब्ल्यू 3) (W 3)						
डब्ल्यू 3.1	भूमिगत जल के स्रोतों का जीर्णोद्धार और देखरेख करना	<ul style="list-style-type: none"> सभी कुओं की सफाई एवं मरम्मत पेयजल उपलब्धता हेतु हैण्ड पंपों की रिबोरिंग 				अनुमानित लागत: 1. 1 कुएं की सफाई और जीर्णोद्धार (सुरक्षा और मरम्मत, आदि) = ₹3,12,500 2. 1 हैण्ड पंप का गड्ढा फिर से खोदना = ₹60,000 3. 1 रिचार्ज गड्ढे का निर्माण = ₹10,000 4. 1 एक कुएं का रखरखाव = ₹60,000
डब्ल्यू 3.2	रिचार्ज गड्ढे	भूमिगत जल को बेहतर बनाने के लिए गड्ढे खोदना				
जल निकासी की व्यवस्था को बेहतर बनाना (डब्ल्यू 4) (W 4)						
डब्ल्यू 4.1	अपशिष्ट जल एवं वर्षा जल का प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> वर्तमान नालियों की सफाई और उनसे मिट्टी निकालना जल निकासी के लिए छोटी नालियों का निर्माण संवेदनशील स्थानों में नई नालियां बनाना 				
डब्ल्यू 4.2	जल पुनर्भरण और सिंचाई	जल पुनर्भरण और कृषि सिंचाई के लिए नहरें बनाना				

चरण II: 2027-28 से 2029-30					
कोड	प्रस्तावित गतिविधियां	लक्ष्य विवरण	वार्षिक लक्ष्य		कुल लागत
			2027-28	2028-29 2029-30	
बारिश का पानी इकट्ठा करने की संरचना का इंतजाम (डब्ल्यू 1) (W 1)					
डब्ल्यू 1.1	इमारतों में वर्षा जल संचयन प्रणाली की व्यवस्था करना	<ul style="list-style-type: none"> 1500 वर्ग फीट से अधिक वर्ग क्षेत्र वाले 25% घरों में वर्षा जल संचयन प्रणाली का निर्माण करना सभी नई इमारतों (100%) जो 1000 वर्ग फीट से अधिक वर्ग क्षेत्र वाले प्लॉट पर बनेंगी उनमें वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना अनिवार्य करना 			अनुमानित लागत: 10 m ³ रिचार्ज गड्डे युक्त वर्षा जल संचयन प्रणाली = प्रति यूनिट ₹35,000
नदियों/तालाबों का कार्याकल्प एवं अवधारण तालाबों का निर्माण (रिटेंशन तालाब) (डब्ल्यू 2) (W 2)					
डब्ल्यू 2.1	वर्तमान जलाशयों (झील/तालाबों) का जीर्णोद्धार	<ul style="list-style-type: none"> सभी जलाशयों की देखभाल करते रहना जलाशयों (तालाब/झील) के आसपास पेड़ लगाना (ट्री गार्ड सहित) और वर्तमान पेड़ों की देखरेख करना 			अनुमानित लागत: 1. तालाब का जीर्णोद्धार (सफाई, मिट्टी निकालना, जलभराव वाले स्थानों की गहराई बढ़ाना, आदि) = ₹7 लाख 2. अवधारण तालाब (रिटेंशन तालाब) (300 m ³ क्षमता वाला) का निर्माण = ₹7 लाख 3. ट्री गार्ड सहित पेड़ लगाना = प्रति यूनिट ₹1,200 4. रखरखाव लागत: <ol style="list-style-type: none"> 1 तालाब/जलाशय = ₹3,75,000 1 अवधारण तालाब (रिटेंशन तालाब) = ₹50,000 ट्री गार्ड सहित पेड़ = प्रति यूनिट ₹20
डब्ल्यू 2.2	अवधारण तालाब (रिटेंशन तालाब)	चरण I में विकसित किए गए अवधारण तालाबों (रिटेंशन तालाब) का रखरखाव निचले स्थानों में भूमि खोदकर अतिरिक्त अवधारण तालाब (रिटेंशन तालाब) बनाना			
डब्ल्यू 2.3	जागरूकता, क्षमता विकास और सामुदायिक सहभागिता	<ul style="list-style-type: none"> समुदाय और अन्य हितधारकों का क्षमता विकास मरम्मत और नवीनीकरण के कार्यों में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाना 			

कुओं का जीर्णोद्धार और भूजल को बेहतर बनाना (डब्ल्यू 3) (W 3)

डब्ल्यू 3.1	भूमिगत जल के स्रोतों का उद्धार और उनकी देखरेख	वर्तमान कुओं और हैण्ड पंपों का नियमित रखरखाव								अनुमानित लागत: 1. 1 कुएं की सफ़ाई और जीर्णोद्धार (सुरक्षा और मरम्मत, आदि) = ₹3,12,500 2. 1 हैण्ड पंप का गड्ढा फिर से खोदना = ₹60,000 3. 1 रिचार्ज गड्ढे का निर्माण = ₹10,000 4. 1 कुएं का रखरखाव = ₹60,000
डब्ल्यू 3.2	रिचार्ज गड्ढे	सभी रिचार्ज गड्ढों का नियमित रखरखाव								

जल निकासी की व्यवस्था को बेहतर बनाना (डब्ल्यू 4) (W 4)

डब्ल्यू 4.1	अपशिष्ट जल एवं वर्षा जल का प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> वर्तमान नालियों की देखरेख करना अतिरिक्त नालियों का निर्माण करना (यदि आवश्यकता हो) अतिरिक्त छोटी नालियों का निर्माण (यदि आवश्यकता हो) 								
डब्ल्यू 4.2	जल पुनर्भरण और सिंचाई	<ul style="list-style-type: none"> वर्तमान नहरों का रखरखाव करना अतिरिक्त नहरों का निर्माण करना (यदि आवश्यकता हो) 								

चरण III: 2030-31 से 2034-35

कोड	प्रस्तावित गतिविधियां	लक्ष्य विवरण	वार्षिक लक्ष्य					कुल लागत	
			2030-31	2031-32	2032-33	2033-34	2034-35		
डब्ल्यू 1.1	इमारतों में बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतजाम करना	<ul style="list-style-type: none"> 1500 वर्ग फीट से बड़े प्लॉट पर बनी सभी आवासीय इमारतों (100%) में वर्षा जल संचयन प्रणाली का निर्माण करना 						प्रति यूनिट लागत	अनुमानित लागत: 10 m ³ क्षमता रिचार्ज गड्ढे युक्त वर्षा जल संचयन प्रणाली = प्रति यूनिट ₹35,000

कुओं का जीर्णोद्धार और भूजल को बेहतर बनाना (डब्ल्यू 3) (W 3)

डब्ल्यू 3.1	भूमिगत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार और उनकी देख-रेख	कुओं और हैण्ड पंपों का रखरखाव							अनुमानित लागत 1. 1 कुएं की सफ़ाई और जीर्णोद्धार (सुरक्षा और मरम्मत, आदि) = ₹3,12,500 2. 1 हैण्ड पंप के गड्डे को फिर से खोदना = ₹60,000 3. 1 रिचार्ज गड्डे का निर्माण = ₹10,000 4. 1 कुएं का रखरखाव = ₹60,000
डब्ल्यू 3.2	रिचार्ज गड्डे	सभी रिचार्ज गड्डों का रखरखाव							

जल निकासी की व्यवस्था को बेहतर बनाना (डब्ल्यू 4) (W 4)

डब्ल्यू 4.1	अपशिष्ट जल एवं वर्षा जल का प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> ▪ वर्तमान नालियों की देखरेख करना ▪ अतिरिक्त नालियों का निर्माण करना (यदि आवश्यकता हो) ▪ अतिरिक्त साइपन नाली का निर्माण (यदि आवश्यकता हो) 							
डब्ल्यू 4.2	जल पुनर्भरण और सिंचाई	<ul style="list-style-type: none"> ▪ वर्तमान नहरों का रखरखाव ▪ अतिरिक्त नहरों का निर्माण करना (यदि आवश्यकता हो) 							

कृषि संबंधी गतिविधियां (ए) (A)

चरण I: 2024-25 से 2026-27

कोड	प्रस्तावित गतिविधियां	लक्ष्य विवरण	वार्षिक लक्ष्य			प्रति यूनिट लागत	कुल लागत
			2024-25	2025-26	2026-27		

कृषि के लिए अकाल प्रबंधन (ए 1) (A 1)

ए 1.1	सिंचाई के बेहतर तरीके अपनाना	<ul style="list-style-type: none"> कम-से-कम 30% कृषि भूमि में ड्रिप सिंचाई और स्प्रींकलर सिंचाई जैसे सूक्ष्म-सिंचाई तरीकों से सिंचाई करना कृषि तालाब बनाना 				अनुमानित लागत: 1. सूक्ष्म सिंचाई = ₹1 लाख प्रति हेक्टेयर 2. मेड़बंदी = ₹ 150 प्रति मीटर 3. कृषि तालाब (300 m ³) = ₹ 90,000 प्रति तालाब	
ए 1.2	अच्छी सहन शक्ति वाली फसल के प्रकार	<ul style="list-style-type: none"> धान और गेहूं के सूखारोधी प्रकार लगाना ड्राई डायरेक्ट-सीडेड राइस को अपनाना 					
ए 1.3	वृक्षारोपण करना	75% कृषि भूमि के आस-पास पेड़ों की मेड़बंदी का निर्माण करना					

प्राकृतिक कृषि (ए 2) (A 2)

ए 2.1	जैविक कृषि इनपुट अपनाना	<ul style="list-style-type: none"> कम-से-कम 15 % कृषि भूमि में जैविक उर्वरक, जैव-कीटनाशक और जैव- खरपतवार नाशक को अपनाना जैविक उपज प्रमाणन प्रक्रिया स्थापित कर उसे अपनाना बिक्री हेतु बाज़ार का चयन तथा विक्रेताओं से संपर्क स्थापित करना 				अनुमानित लागत: 1. प्रशिक्षण और प्रदर्शन = प्रति सत्र ₹20,000 से ₹30,000 2. भूमि को जैविक बनाना = ₹2,47,000 प्रति हेक्टेयर	
ए 2.2	अच्छी सहन शक्ति वाली कृषि पध्दति अपनाना	मिश्रित फसल, फसल चक्र, मल्विग और शून्य जुताई जैसी पध्दतियाँ अपनाना					

ए 2.3	जागरूकता और क्षमता विकास	<p>किसानों, एफपीओ (FPOs) और अन्य हितधारक समूहों के लिए निम्न विषयों पर प्रशिक्षण सत्रों और प्रदर्शनों का आयोजन करना</p> <ul style="list-style-type: none"> a. जैविक खेती और अच्छी सहन शक्ति वाली फसलों के महत्व b. अच्छी सहन शक्ति वाले फसल पैटर्न को अपनाने के तरीके c. सतत सिंचाई d. प्रमाणन व्यवस्थाएं e. बाजार पहुंच और लाभ 					
सतत पशुधन प्रबंधन (ए 3) (A 3)							
ए 3.1	जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	<ul style="list-style-type: none"> ▪ पशुपालन में संलग्न परिवारों के लिए सतत पशुपालन पद्धतियों, रोग की रोकथाम और पशुधन स्वास्थ्य के प्रबंधन पर जागरूकता और क्षमता निर्माण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन ▪ पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए सामुदायिक सदस्यों³² को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता/पैरा-वेट्स के रूप में प्रशिक्षित करना 				<p>अनुमानित लागत: मवेशी पूरक आहार = प्रत्येक दिन हर एक गाय/भैंस के लिए ₹6</p>	
ए 3.2	मीथेन उत्सर्जन कम करने के लिए आहार देना	20% मवेशियों को पूरक ³³ आहार देने की व्यवस्था					

32 ग्राम पंचायत की आवश्यकता के अनुसार पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किए जाने वाले सामुदायिक सदस्यों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है

33 हरित धारा और टमरिन प्लस जैसे पूरक आहार

चरण II: 2027-28 से 2029-30						
कोड	प्रस्तावित गतिविधियां	लक्ष्य विवरण	वार्षिक लक्ष्य			कुल लागत
			2027-28	2028-29	2029-30	
कृषि के लिए अकाल प्रबंधन (ए 1) (A 1)						
ए 1.1	उन्नत सिंचाई पद्धति	<ul style="list-style-type: none"> कम-से-कम 70% कृषि भूमि में ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसे सूक्ष्म-सिंचाई तरीकों को अपनाना अतिरिक्त कृषि तालाबों का निर्माण करना (आवश्यकता के अनुसार) और वर्तमान तालाबों का रखरखाव करना 				अनुमानित लागत: 1. सूक्ष्म सिंचाई = ₹1 लाख प्रति हेक्टेयर 2. मेड़बंदी = ₹ 150 प्रति मीटर 3. कृषि तालाब (300 m ²) = ₹ 90,000 प्रति तालाब
ए 1.2	अच्छी सहन शक्ति वाली फ़सल के प्रकार	<ul style="list-style-type: none"> धान और गेहूं के सूखारोधी प्रकारों के उपयोग को बढ़ाना बाजरा और दलहन जैसे सूखा प्रतिरोधी क्षमता वाली फसलें अपनाना 				
ए 1.3	वृक्षारोपण	कृषि भूमि (100%) में मेड़बन्दी वाले पेड़ों की देखभाल करना				
प्राकृतिक कृषि (ए 2) (A 2)						
ए 2.1	जैविक कृषि इनपुट अपनाना	<ul style="list-style-type: none"> 40% कृषि भूमि में जैविक उर्वरक, जैव-कीटनाशक का उपयोग जैविक उपज प्रमाणन और पुरिकरण प्रक्रिया अपनाना उचित दर (अधिक लाभ के साथ) पर जैविक उत्पाद की बिक्री हेतु बाज़ार का चयन 				अनुमानित लागत: 1. प्रशिक्षण और प्रदर्शन = प्रति सत्र ₹20,000 से ₹30,000 2. भूमि को जैव बनाना = ₹ 2,47,000 प्रति हेक्टेयर

ए 2.2	अच्छी सहन शक्ति वाली कृषि पध्दति अपनाना	मिश्रित फसल, फसल चक्र, मल्लिंंग और शून्य जुताई जैसी कृषि पध्दतियाँ के उपयोग को बढ़ाना						
ए 2.3	जागरूकता और क्षमता विकास	<p>किसानों, एफपीओ (FPOs) और अन्य हितधारक समूहों के लिए प्रशिक्षण सत्रों और प्रदर्शनों का आयोजन करना जिससे</p> <p>a. उन्हें जैविक खेती और सूखारोधी फ़सलों के बारे में जानकारी</p> <p>b. अच्छी सहन शक्ति वाले फ़सल पैटर्न को अपनाने के तरीके</p> <p>c. सतत सिंचाई के तरीके</p> <p>d. प्रमाणन व्यवस्थाएं बाज़ार पहुंच और लाभों के बारे में ज्ञान</p>						
सतत पशुधन प्रबंधन (ए 3) (A 3)								
ए 3.1	जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	<ul style="list-style-type: none"> ▪ पशुपालन में संलग्न परिवारों हेतु आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त और लगातार कार्यशालाओं का आयोजन ▪ पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/पैरा-वेट्स के रूप में समुदाय के सदस्यों का नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण 						<p>अनुमानित लागत: मवेशी पूरक आहार = प्रत्येक दिन हर एक गाय/भैंस के लिए ₹ 6</p>
ए 3.2	मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए पूरक आहार देना	50% मवेशियों को पूरक आहार देने की व्यवस्था						

कोड	प्रस्तावित गतिविधियां	लक्ष्य विवरण	वार्षिक लक्ष्य				प्रति यूनिट लागत	कुल लागत
			2030-31	2031-32	2032-33	2033-34		
कृषि के लिए अकाल प्रबंधन (ए 1) (A 1)								
ए 1.1	सिंचाई के बेहतर तरीके अपनाना	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 70% कृषि ज़मीनों में ड्रिप सिंचाई और स्प्रींकलर सिंचाई जैसे सूक्ष्म-सिंचाई तरीके अपनाना ▪ मौजूदा कृषि तालाबों की देखरेख करना 						
ए 1.2	अच्छी सहन शक्ति वाली फसल के प्रकार	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% सूखारोधी प्रकार के धान और गेहूं की खेती ▪ सूखारोधी फसलें जैसे बाजरा और दलहन के उपयोग को बढ़ाना 						अनुमानित लागत: 1. सूक्ष्म सिंचाई = ₹1 लाख प्रति हेक्टेयर 2. मेड़बंदी = ₹ 150 प्रति मीटर 3. 1 कृषि तालाब (300 m ³) = ₹ 90,000
ए 1.3	वृक्षारोपण	मेड़बन्दीयों का रखरखाव करना और वृक्षारोपण का विस्तार						

प्राकृतिक कृषि (ए 2) (A 2)

ए 2.1	जैविक कृषि इनपुट अपनाना	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% कृषि भूमि में जैविक उर्वरक, जैव-कीटनाशक और जैव-खरपतवार नाशक अपनाना ▪ जैविक उपज प्रमाणन और पुष्टिकरण प्रक्रिया अपनाना ▪ अधिक-से-अधिक जैविक उपज बेचने के लिए नए बाज़ार ढूँढना और उनसे संपर्क बनाकर सबसे फ़ायदेमंद कीमत सुनिश्चित करना 								अनुमानित लागत: 1. प्रशिक्षण और प्रदर्शन = प्रति सत्र ₹20,000 से ₹30,000 2. भूमि को जैव बनाना = ₹ 2,47,000 प्रति हेक्टेयर	
ए 2.2	अच्छी सहन शक्ति वाली कृषि पद्धति अपनाना	सभी कृषि भूमि में मिश्रित फसल, फसल चक्र, मल्लिग और शून्य जुलाई जैसे तरीके अपनाना									
ए 2.3	जागरूकता और क्षमता विकास	किसानों, एफपीओ (FPOs) और अन्य हितधारक समूहों के लिए प्रशिक्षण सत्रों और प्रदर्शनों का आयोजन करना ताकि <ol style="list-style-type: none"> a. जैविक खेती और सूखारोधी फसलों की जानकारी b. अच्छी सहन शक्ति वाले फ़सल पैटर्न को अपनाने के तरीके c. सतत सिंचाई के तरीके d. प्रमाणन व्यवस्थाएं e. बाज़ार पहुंच और लाभों के बारे में ज्ञान 									

सतत पशुपालन प्रबंधन (ए 3) (A 3)

ए 3.1	जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	<ul style="list-style-type: none"> ▪ पशुपालन में संलग्न परिवारों हेतु आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त और लगातार कार्यशालाओं का आयोजन ▪ पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/पैरा-वेट्स के रूप में समुदाय के सदस्यों का नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण 						अनुमानित लागत: मवेशियों के लिए पूरक आहार = प्रत्येक दिन हर एक गाय/भैंस के लिए ₹ 6
ए 3.2	मीथेन उत्सर्जन कम करने के लिए आहार देना	100% मवेशियों को पूरक आहार देने की व्यवस्था						

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियां (एसडब्ल्यूएम) (SWM)

चरण I: 2024-25 से 2026-27

कोड	प्रस्तावित गतिविधियां	लक्ष्य विवरण	वार्षिक लक्ष्य			प्रति यूनिट लागत	कुल लागत
			2024-25	2025-26	2026-27		
कचरा प्रबंधन व्यवस्था की स्थापना करना (एसडब्ल्यूएम 1) (SWM 1)							
एसडब्ल्यूएम 1.1	अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण	<ul style="list-style-type: none"> ▪ घरों और दुकानों से गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग एकत्र करने की व्यवस्था ▪ इलेक्ट्रिक वाहनों की सुविधा- <ol style="list-style-type: none"> a. सभी घरों, दुकानों (100%) आदि से बायोडिग्रेडेबल और गैर-बायो-डिग्रेडेबल कचरे को एकत्र करना b. प्लास्टिक के कचरे को विकासखंड स्तरीय पुनर्चक्रण केंद्र तक ले जाना ▪ अलग-अलग सार्वजनिक स्थानों में कूड़ेदान रखना (बाज़ार, विद्यालय, दुकानें, चाय के स्टाल आदि) 				अनुमानित लागत: <ol style="list-style-type: none"> 1. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड/केंद्र (पृथक्करण/भंडारण स्थान, कम्पोस्ट यूनिट, आदि) = 35 लाख रुपए 2. 1 कचरा ले जाने वाला इलेक्ट्रिक वाहन = 1 से 5 लाख रुपए (वाहन के प्रकार के हिसाब से) 3. 1 कूड़ादान/डिब्बा = 15,000 रुपए 4. 1 प्लास्टिक श्रेडर यूनिट = ₹ 50,000 	
एसडब्ल्यूएम 1.2	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड/केंद्र	<p>ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड की स्थापना करना जिसमें:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. कचरा अलग करने की सुविधा और भंडारण स्थान हो (दूसरी बार कचरे का पृथक्करण करने के लिए) b. कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्डे (अगले भाग एसडब्ल्यूएम 2 (SWM 2) में व्याख्या की गई है) 					

एसडब्ल्यूएम 1.3	सहभागिता विकास	पंचायत तथा अनौपचारिक कचरा बीनने वालों, कबाड़ी वालों, स्थानीय व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ सहभागिता कर: a. कचरा एकत्र कर उसे उचित स्थान तक ले जाना अपशिष्ट प्रबंधन पार्क का संचालन करना				
जैविक कचरे का सतत प्रबंधन(एसडब्ल्यूएम 2) (SWM 2)						
एसडब्ल्यूएम 2.1	कम्पोस्ट बनाने का केंद्र	<ul style="list-style-type: none"> ▪ कम्पोस्ट और वर्मी कम्पोस्ट गड्डे बनाना: <ol style="list-style-type: none"> a. ताकि 100% घर के जैविक कचरे का निपटान हो सके b. कृषि अपशिष्ट एवं पशुधन अपशिष्ट का कुछ भाग³⁴ ▪ उक्त सामुदायिक पहल के प्रोत्साहन हेतु आवश्यक सेवाओं के शुल्क जैसे पानी शुल्क या कचरा संग्रहण शुल्क पर छूट या बायोगैस की खरीद पर सब्सिडी दी जा सकती है। 				<p style="text-align: center;">अनुमानित लागत: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड/केंद्र (पृथक्करण, भंडारण स्थान, कम्पोस्ट यूनिट, आदि) = ₹ 35 लाख</p>
एसडब्ल्यूएम 2.2	सहभागिता विकास	पंचायत, तथा समुदाय के सदस्यों एवं किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल: a. कम्पोस्ट का उत्पादन और बिक्री b. कृषि अपशिष्ट की बिक्री				
एसडब्ल्यूएम 2.3	प्रशिक्षण और क्षमता विकास	समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों का निम्न विषयों क्षमता विकास a. कम्पोस्ट और जैविक उर्वरक के महत्व b. घरेलू स्तर पर कम्पोस और वर्मी कम्पोस्ट बनाने के तरीके c. ग्राम पंचायत में और बाहर कम्पोस्ट का प्रचार और बिक्री				

34 कम्पोस्ट की मात्रा बढ़ाने के लिए निश्चित समय अवधि के उपरांत खाद बनाना

एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध और वैकल्पिक सामग्रियों का प्रचार (एसडब्ल्यूएम 3) (SWM 3)

<p>एसडब्ल्यूएम 3.1</p>	<p>एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध</p>	<p>एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) (SUPs) पर लगे वर्तमान प्रतिबंध को लागू करना</p>					
<p>एसडब्ल्यूएम 3.2</p>	<p>सहभागिता विकास</p>	<p>पंचायत तथा गांव की महिलाएं एवं स्वयं-सहायता समूहों के बीच सहभागिता स्थापित करना: a. वैकल्पिक सामग्री से उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन जैसे थैले, घर सजाने का सामान, छुरी-कांटा, कापी/पेंसिल, फर्नीचर आदि</p>					

<p>एसडब्ल्यूएम 3.3</p>	<p>जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ प्लास्टिक के कचरे का प्रबंधन और वैकल्पिक सामग्रियों के उपयोग के प्रचार हेतु निम्नलिखित हितभागियों के लिए जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना: <ol style="list-style-type: none"> a. ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) (VMWSC) b. विद्यार्थी और युवा समूह c. समुदाय के सदस्य d. दुकानदार आदि ▪ रेस (RACE) अभियान और लाइफ़ मिशन के माध्यम से जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना ▪ प्लास्टिक वैकल्पिक सामग्रियों से उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन के व्यवसायों में संलग्न महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और उद्यमियों की क्षमता का विकास करना प्लास्टिक का विनिर्माण-वैकल्पिक उत्पाद: <ol style="list-style-type: none"> a. उत्पादों की श्रृंखला में वृद्धि b. ग्राम पंचायत में और बाहर उत्पादों का विपणन एवं बिक्री 				
--	---	--	--	--	--	--

चरण II: 2027-28 से 2029-30

कोड	प्रस्तावित गतिविधियां	लक्ष्य विवरण	वार्षिक लक्ष्य			प्रति यूनिट लागत	कुल लागत
			2027-28	2028-29	2029-30		

अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था की स्थापना करना (एसडब्ल्यूएम 1) (SWM 1)

एसडब्ल्यूएम 1.1	अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण	<ul style="list-style-type: none"> भविष्य में बढ़ती हुई ज़रूरतों को देखते हुए अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की व्यवस्था करना नए सार्वजनिक स्थानों में कूड़ेदान रखना वर्तमान इलेक्ट्रिक वाहनों और कूड़ेदानों का रखरखाव 					
एसडब्ल्यूएम 1.2	ठोस कचरा प्रबंधन यार्ड/केंद्र	<ul style="list-style-type: none"> ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड का रखरखाव करना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड के अंदर वृक्षरोपित बगीचे का निर्माण (कचरे से बने कम्पोस्ट/उर्वरक का उपयोग) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड के अंदर प्लास्टिक पुनर्चक्रण केंद्र की स्थापना 					<p>अनुमानित लागत:</p> <ol style="list-style-type: none"> ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड/केंद्र (पृथक्करण, भंडारण स्थान, कम्पोस्ट यूनिट, आदि) = ₹35 लाख 1 इलेक्ट्रिक वाहन = ₹95,000 – ₹1,00,000 1 कूड़ादान/डिब्बा = ₹15,000 1 प्लास्टिक श्रेडर यूनिट = ₹50,000
एसडब्ल्यूएम 1.3	सहभागिता निर्माण	अन्य गावों/जिलों के साथ सहभागिता					

जैविक कचरे का सतत प्रबंधन(एसडब्ल्यूएम 2) (SWM 2)					
एसडब्ल्यूएम 2.1	कम्पोस्ट बनाने का केंद्र	<ul style="list-style-type: none"> ▪ वर्तमान कम्पोस्ट गड्डों का नियमित रखरखाव ▪ सभी (100%) बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे के उपचार के लिए वर्तमान कम्पोस्ट गड्डों की क्षमता बढ़ाना या गड्डों का निर्माण 			अनुमानित लागत: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड/केंद्र (पृथक्करण, भंडारण स्थान, कम्पोस्ट यूनिट, आदि) = ₹35 लाख
एसडब्ल्यूएम 2.2	सहभागिता निर्माण	अन्य गावों/जिलों के साथ सहभागिता का विस्तार			
एसडब्ल्यूएम 2.3	प्रशिक्षण और क्षमता विकास	समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों की क्षमता का विकास			
एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध और अन्य सामग्रियों का प्रचार (एसडब्ल्यूएम 3) (SWM 3)					
एसडब्ल्यूएम 3.1	एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध	एकल उपयोग प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध को लागू रखना			
एसडब्ल्यूएम 3.2	सहभागिता विकास	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ग्राम पंचायत एवं अन्य ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त स्वयं सहायता समूहों और महिलाओं को सम्मिलित कर सहभागिता को बढ़ाना ▪ सहभागिता को बढ़ाते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और उद्यमियों को सम्मिलित करना 			
एसडब्ल्यूएम 3.3	जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास	जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रमों को जारी रखना			

चरण III: 2030-31 से 2034-35

कोड	प्रस्तावित गतिविधियां	लक्ष्य विवरण	वार्षिक लक्ष्य					प्रति यूनिट लागत	कुल लागत
			2030-31	2031-32	2032-33	2033-34	2034-35		
कचरा प्रबंधन व्यवस्था की स्थापना करना (एसडब्ल्यूएम 1) (SWM 1)									
एसडब्ल्यूएम 1.1	अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण	<ul style="list-style-type: none"> ▪ भविष्य में आवश्यकता होने पर अतिरिक्त इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराना ▪ नए सार्वजनिक स्थानों में कूड़ेदान रखना ▪ वर्तमान इलेक्ट्रिक वाहनों और कूड़ेदानों का रखरखाव 						अनुमानित लागत: 1. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड/केंद्र (पृथक्करण, भंडारण स्थान, कम्पोस्ट यूनिट, आदि) = ₹35 लाख 2. 1 कचरा ले जाने वाला इलेक्ट्रिक वाहन = ₹ 95,000 - ₹ 1,00,000 3. 1 कूड़ादान/डिब्बा = ₹15,000 4. 1 प्लास्टिक श्रेडर यूनिट = ₹50,000	
एसडब्ल्यूएम 1.2	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड/केंद्र	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड का रखरखाव करना जिसमें: <ol style="list-style-type: none"> a. कचरा अलग-अलग करने और भंडारण की जगह हो b. कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गट्टे हों c. खुला बगीचा हो d. प्लास्टिक पुनर्चक्रण केंद्र हो 							
एसडब्ल्यूएम 1.3	सहभागिता विकास	अन्य गावों/जिलों के साथ सहभागिता का विस्तार							

जैविक कचरे का सतत प्रबंधन(एसडब्ल्यूएम 2) (SWM 2)

एसडब्ल्यूएम 2.1	कम्पोस्ट बनाने का केंद्र	<ul style="list-style-type: none"> वर्तमान कम्पोस्ट गड्डों का नियमित रखरखाव वर्तमान कम्पोस्ट गड्डों की क्षमता बढ़ाना/नए कम्पोस्ट गड्डों का निर्माण ताकि (100%) बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे का उपचार हो जाए 							अनुमानित लागत: ठोस अपशिष्ट निपटान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड/केंद्र (पृथक्करण, भंडारण स्थान, कम्पोस्ट यूनिट, आदि) = ₹35 लाख
एसडब्ल्यूएम 2.2	सहभागिता विकास	अन्य गावों/जिलों के साथ सहभागिता का विस्तार							
एसडब्ल्यूएम 2.3	प्रशिक्षण और क्षमता विकास	समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों की क्षमता का विकास करना							

एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध और अन्य सामग्रियों का प्रचार (एसडब्ल्यूएम 3) (SWM 3)

एसडब्ल्यूएम 3.1	एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध	एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लागू रखना							
एसडब्ल्यूएम 3.2	सहभागिता निर्माण	सहभागिता को बढ़ाना अन्य गावों/जिलों के साथ सहभागिता का विस्तार करना							
एसडब्ल्यूएम 3.3	जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास	नियमित रूप से जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास सत्रों का आयोजन							

गतिशीलता संबंधी गतिविधियां (एम) (M)

चरण I: 2024-25 से 2026-27						
कोड	प्रस्तावित गतिविधियां	लक्ष्य विवरण	वार्षिक लक्ष्य			कुल लागत
			2024-25	2025-26	2026-27	
सड़कों और पैदल चलने वालों के लिए रास्तों का सुधार (एम 1) (M 1)						
एम 1.1	सड़कों तक पहुंच और उन्हें ठीक रखना	<ul style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत की सभी (100%) कच्ची सड़कों को पक्का करना सभी सड़कों (100%) की मरम्मत ग्राम पंचायत में हर स्थान (100%) तक पहुँच संभव करने हेतु नई सड़कों का निर्माण 				अनुमानित लागत: 1. फुटपाथ/पगडंडियों (खड़्जा और इंटरलॉकिंग) का निर्माण = प्रति मीटर लंबाई ₹1,10,000 2. सड़कों की ऊंचाई 2 फीट बढ़ाना = प्रति किलोमीटर ₹75,00,000 प्रति किलोमीटर लंबाई 3. सड़क आरसीसी (RCC कार्य)/इंटर-लॉकिंग = ₹7,000 प्रति मीटर लंबाई 4. सड़क मरम्मत = ₹ 50 लाख प्रति किलोमीटर लंबाई
एम 1.2	पैदल चलने वालों के लिए रास्तों की मरम्मत एवं निर्माण	<ul style="list-style-type: none"> सभी (100%) फुटपाथों की मरम्मत चुने गए क्षेत्रों में फुटपाथ/रास्ते बनाना: <ol style="list-style-type: none"> बाजारों में विद्यालयों/संस्थाओं के आसपास स्वास्थ्य केन्द्रों के आसपास सार्वजनिक स्थानों में बगीचों/पार्कों में आदि 				
ई-गतिशीलता को प्रोत्साहन देना (एम 2) (M 2)						
एम 2.1	ग्राम पंचायत के सभी स्थानों तक पहुँचने के लिए मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) (IPT) (जैसे ई-ऑटोरिक्शा)	<ul style="list-style-type: none"> ई-ऑटोरिक्शा प्रदान करना (गांव के निवासियों की आवश्यकता के अनुसार) ताकि ग्राम पंचायत के सभी स्थानों में पहुंचना आसान हो हरित आजीविका और उद्यमी अवसर के रूप में ई-ऑटोरिक्शा को किराए पर देने की व्यवस्था स्थापित करना वर्तमान में उपलब्ध ई-ऑटोरिक्शा की देखरेख और मरम्मत (यदि आवश्यकता हो) 				अनुमानित लागत: 1. 1 ई-ऑटोरिक्शा = ₹3 लाख [सब्सिडी ³⁵ : प्रति वाहन ₹12,000 तक; इस प्रकार, सब्सिडी के बाद लागत = प्रति ई-ऑटोरिक्शा ₹2,88,000] 2. 1 ई-ट्रैक्टर (35 HP) = ₹6 लाख 3. 1 मिनी गुड्स इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट ट्रक = ₹9 से ₹10 लाख

35 ई-ऑटोरिक्शा की लागत ₹1,50,000 से लेकर ₹4,00,000 या उससे अधिक होती है, जो बनावट, बैटरी के प्रकार और अन्य चीजों पर निर्भर करती है। ई-ऑटोरिक्शा की कीमत मुख्य रूप से परोपकारी/सहयोगी संस्थाओं और अन्य फंडिंग एजेंसियों से संचालित सब्सिडी/अनुदान सीड केपिटल/व्यवहार्यता अंतर निधि को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्तरों के मध्य में मानी गयी है।

एम 2.2	ई-माल वाहक और ई-ट्रेक्टर	<ul style="list-style-type: none"> ई-माल वाहकों और ई-ट्रेक्टरों को किराए पर देने के लिए केंद्र स्थापित करना प्रोत्साहन देने के लिए किसानों और ट्रांसपोटर्स को छूट प्रदान करना ताकि वे डीज़ल से चलने वाले वाहनों के स्थान पर ई-वाहन (ट्रेक्टर/माल वाहक) चुनें 						
एम 2.3	सहभागिता, जागरूकता और क्षमता विकास	<ul style="list-style-type: none"> उद्यमियों/ई-ऑटोरिक्षा, ई-माल वाहक और ई-ट्रेक्टर बेचने वाले व्यवसायों और चालकों, किसान और ट्रांसपोटर्स के बीच सहभागिता स्थापित कर ई-ऑटोरिक्षा, ई-मालवाहक और ई-ट्रेक्टर किराए पर प्रदान करने की सुविधा ई-माल वाहकों और ई-ट्रेक्टरों के लाभों के बारे में हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाना (किसान/ लॉजिस्टिक्स मालिकों) गांव के निवासियों में आईपीटी (IPT) और ई-यातायात के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना 						
चरण II: 2027-28 से 2029-30								
कोड	प्रस्तावित गतिविधियां	लक्ष्य विवरण	वार्षिक लक्ष्य			प्रति यूनिट लागत	कुल लागत	
			2027-28	2028-29	2029-30			
सड़कों और पैदल चलने वालों के लिए रास्तों की मरम्मत (एम 1) (M 1)								
एम 1.1	सड़कों तक पहुंच और उन्हें ठीक रखना	<ul style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत की सभी सड़कों की मरम्मत और रखरखाव चयनित स्थानों में अतिरिक्त सड़कों का निर्माण(यदि आवश्यक हो) 						अनुमानित लागत: 1. फूटपाथ/पगडंडियों (खड़न्जा और इंटरलॉकिंग) का निर्माण = ₹1,10,000 प्रति मीटर लंबाई

<p>एम 1.2</p>	<p>पैदल चलने वालों के लिए रास्तों की मरम्मत एवं निर्माण</p>	<ul style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत के सभी फुटपाथों की मरम्मत और रखरखाव अतिरिक्त फुटपाथों का निर्माण (यदि आवश्यक हो) 			<p>2. सड़कों की ऊंचाई 2 फीट बढ़ाना = ₹75,000 प्रति किलोमीटर लंबाई</p> <p>3. सड़क आरसीसी (RCC कार्य)/इंटरलॉकिंग = ₹7,000 प्रति मीटर लंबाई</p> <p>4. सड़क मरम्मत = ₹ 50 लाख प्रति किलोमीटर लंबाई</p>	
<p>ई-गतिशीलता को प्रोत्साहन देना (एम 2) (M 2)</p>						
<p>एम 2.1</p>	<p>ग्राम पंचायत के सभी स्थानों तक पहुँचने के लिए मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) (IPT) (जैसे ई-ऑटोरिक्शा))</p>	<ul style="list-style-type: none"> अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा उपलब्ध कराना (यदि आवश्यक हो) ई-ऑटोरिक्शा किराए पर लेने की व्यवस्था में विस्तार वर्तमान में उपलब्ध ई-ऑटोरिक्शा की देखरेख और मरम्मत 			<p>अनुमानित लागत:</p> <p>1. 1 ई-ऑटोरिक्शा = ₹3 लाख [सब्सिडी: प्रति वाहन ₹12,000 तक; इस प्रकार, सब्सिडी के बाद लागत = प्रति ई-ऑटोरिक्शा ₹2,88,000]</p> <p>2. 1 ई-ट्रैक्टर (35 एचपी) (35 HP) = ₹6 लाख</p> <p>3. 1 मिनी गुड्स इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट ट्रक = ₹9 से ₹10 लाख</p>	
<p>एम 2.2</p>	<p>ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर</p>	<ul style="list-style-type: none"> ई-माल वाहकों और ई-ट्रैक्टरों को किराए पर लेने की सुविधा में विस्तार वर्तमान में उपलब्ध ई-माल वाहकों और ई-ट्रैक्टरों का रखरखाव और मरम्मत करना 				
<p>एम 2.3</p>	<p>सहभागिता जागरूकता और क्षमता विकास</p>	<ul style="list-style-type: none"> सहभागिता को बढ़ाना उपभोक्ताओं और स्थानीय लोगों के बीच क्षमता विकास कार्य को आगे बढ़ाते रहना 				

चरण III: 2030-31 से 2034-35									
कोड	प्रस्तावित गतिविधियां	लक्ष्य विवरण	वार्षिक लक्ष्य				प्रति यूनिट लागत	कुल लागत	
			2030-31	2031-32	2032-33	2033-34			2034-35
सड़कें और पैदल चलने वालों के लिए रास्तों का सुधार (एम 1) (M 1)									
एम 1.1	सड़कों तक पहुँच और उन्हें ठीक रखना	<ul style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत की सभी सड़कों की मरम्मत और रखरखाव चयनित स्थानों में अतिरिक्त सड़कों का निर्माण (यदि आवश्यक हो) 						अनुमानित लागत: 1. फुटपाथ /पगडंडियों (खड़न्जा और इंटरलॉकिंग) का निर्माण = ₹1,10,000 प्रति मीटर लंबाई 2. सड़कों की ऊंचाई 2 फीट बढ़ाना = ₹75,00,000 प्रति किलोमीटर लंबाई 3. सड़क आरसीसी (RCC कार्य)/इंटरलॉकिंग = ₹7,000 प्रति मीटर लंबाई 4. सड़क मरम्मत = ₹ 50 लाख प्रति किलोमीटर लंबाई	
एम 1.2	पैदल चलने वालों के लिए रास्तों की मरम्मत एवं निर्माण	<ul style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत के सभी फुटपाथों की मरम्मत और रखरखाव चयनित स्थानों में अतिरिक्त फुटपाथों का निर्माण करना (यदि आवश्यक हो) 							

ई-गतिशीलता को प्रोत्साहन देना (एम 2) (M 2)

एम 2.1	<p>ग्राम पंचायत के सभी स्थानों तक पहुँचने के लिए मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) (IPT) (जैसे ई-ऑटोरिक्शा)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा की व्यवस्था करना (यदि आवश्यक हो) ▪ ई-ऑटोरिक्शा को किराए पर देने की व्यवस्था में विस्तार वर्तमान में उपलब्ध ▪ ई-ऑटोरिक्शा का रखरखाव और मरम्मत 							<p>अनुमानित लागत:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 ई-ऑटोरिक्शा = ₹3 लाख [सब्सिडी: प्रति वाहन ₹12,000 तक; इस प्रकार, सब्सिडी के बाद लागत = प्रति ई-ऑटोरिक्शा ₹2,88,000] 2. 1 ई-ट्रैक्टर (35 एचपी) (35 HP) = ₹6 लाख 3. 1 मिनी गुड्स इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट ट्रक = ₹9 से ₹10 लाख
एम 2.2	<p>ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ई-माल वाहकों और ई-ट्रैक्टरों को किराए पर देने की व्यवस्था का विस्तार ▪ वर्तमान में उपलब्ध ई-माल वाहकों और ई-ट्रैक्टरों का रखरखाव और मरम्मत करना 							
एम 2.3	<p>सहभागिता, जागरूकता और क्षमता विकास</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ सहभागिता को बढ़ाना ▪ उपभोक्तकों और स्थानीय लोगों के बीच क्षमता विकास कार्य को आगे बढ़ाना 							

ऊर्जा संबंधी गतिविधियां (ई) (E)

चरण I: 2024-25 से 2026-27

कूट	प्रस्तावित गतिविधियां	लक्ष्य विवरण	वार्षिक लक्ष्य			प्रति यूनिट लागत	कुल लागत
			2024-25	2025-26	2026-27		
इमारतों और सड़कों पर सौर यंत्रों की स्थापना करना (ई 1) (E 1)							
ई 1.1	सोलर रूफटॉप की स्थापना	सभी (100%) सरकारी/पंचायत की (PRI) इमारतों (पंचायत भवन, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज, प्राथमिक उपचार केंद्र (PHC) आदि) में सोलर रूफटॉप की स्थापना				अनुमानित लागत: 1. सोलर रूफटॉप की स्थापना = ₹50,000 रुपये प्रति kWp [सब्सिडी ³⁶ : ~40% (राज्य + सीएफए); अतः सब्सिडी के बाद लागत = ₹30,000 रुपये प्रति kWp] 2. हाई मास्ट = ₹50,000 प्रति हाई मास्ट 3. सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट = ₹ 10,000 प्रति लाइट	
ई 1.2	सोलर स्ट्रीट लाइट	<ul style="list-style-type: none"> मुख्य स्थानों में सोलर हाई मास्ट एवं सोलर एलईडी (LED) स्ट्रीट लाइट लगाना: पंचायत भवन, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज, प्राथमिक उपचार केंद्र (पीएचसी) (PHC), खेल के मैदान, बगीचे नदी/तालाबों के आस पास आदि ग्राम पंचायत की 50% सड़कों, रास्तों, और फुटपाथों में पुराने लाइटके स्थान पर नयी सोलर एलईडी (LED) स्ट्रीटलाइट लगाना 					

कृषि में सौर ऊर्जा का उपयोग करना (ई 2) (E 2)

ई 2.1	कृषि-फोटो-वोल्टेक की स्थापना	किसानों, किसान समूहों आदि को जागरूक करना				अनुमानित लागत: 1. कृषि-फोटोवोल्टेक = प्रति kWp ₹1 लाख (सब्सिडी: प्रधानमंत्री कुसुम का भाग ए (A)) 2. सोलर पंप = ₹3 से 5 लाख प्रति 7.5 एचपी/हॉर्स पावर सोलर पंप [सब्सिडी: 60% (राज्य + सीएफए); सब्सिडी के बाद लागत = ₹1.2 से 2 लाख प्रति सोलर पंप]	
ई 2.2	सौर पंप	कम-से-कम 20% वर्तमान डीज़ल पंपों के स्थान पर सौर पंप लगाना					

³⁶ सब्सिडी परिवर्तनशील है और समय-समय पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए विभिन्न मापदंडों के अनुसार बदल सकती है। अतः अनुमानित सब्सिडी राशि पिछले रूझानों व औसतों पर आधारित है और वर्तमान समय में सटीक न हो ऐसा भी हो सकता है।

ऊर्जा कुशल एवं ऊर्जा संरक्षण उपाय (ई 3) (E 3)

ई 3.1	ऊर्जा कुशल लाइट और पंखे	<ul style="list-style-type: none"> सभी (100%) सरकारी/ पंचायत की (PRI) इमारतों (पंचायत भवन, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज, प्राथमिक उपचार केंद्र (PHC) आदि) में वर्तमान लाइट और पंखों के स्थान पर उर्जा कुशल लाइट और पंखे लगाना सभी घरों में एक पारंपरिक/सीएफएल (CFL) बल्ब के स्थान पर एलईडी (LED) बल्ब लगाना और 1 पारंपरिक (फ्लुरोसेंट) ट्यूब लाइट के स्थान पर एलईडी (LED) ट्यूब लाइट लगाना 			अनुमानित लागत: <ol style="list-style-type: none"> एलईडी बल्ब = ₹ 70 प्रति बल्ब एलईडी ट्यूबलाइट = ₹ 220 प्रति ट्यूबलाइट उर्जा कुशल पंखे = ₹ 1110 प्रति पंखा वैकल्पिक कूल रूफ सामग्री: : <ol style="list-style-type: none"> सफ़ेद चूना = ₹0.50 प्रति वर्ग फीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग = फीट ₹20 से ₹40 प्रति वर्ग
ई 3.2	कूल रूफ	<ul style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत में कूल रूफ कार्यक्रम की स्थापना सभी (100%) सरकारी इमारतों (पंचायत भवन, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों, इंटर कॉलेज, प्राथमिक उपचार केंद्र (पीएचसी) (PHC), आदि) में ठंडी छत विकल्प³⁷ को अपनाना 			

रसोई में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग(ई 4) (E 4)

ई 4.1	स्वच्छ खाना बनाना	<p>निम्नलिखित परिदृश्यों (सिनेरियो) में से परिवार सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर सकते हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> परिदृश्य I: 25% उच्च आय वर्ग के परिवार जिनके पास 6 से 7 मवेशियां हैं बायोगैस प्लांट का उपयोग करते हैं + बाकि परिवार एलपीजी (LPG) का उपयोग करें परिदृश्य II: 25% उच्च आय वर्ग के परिवार सौर इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग करें + बाकि परिवार एलपीजी (LPG) का उपयोग करें परिदृश्य III: 25% उच्च आय वर्ग के परिवार सौर इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग करें + 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं वे उन्नत चूल्हों का उपयोग करें + शेष परिवारों द्वारा एलपीजी (LPG) का उपयोग 		अनुमानित लागत: <ol style="list-style-type: none"> 1 बायोगैस प्लांट (2 से 3 मीटर) = 50,000 1 सौर कुकस्टोव (दो बर्नर बिना बैटरी वाला) = 45,000 रुपए बेहतर चूल्हे 3,000 रुपए
----------	-------------------	--	--	---

37 सफ़ेद चूना, सफ़ेद पेंट, रिफ्लेक्टिव कोटिंग, झिल्ली, आदि

कोड	प्रस्तावित गतिविधियाँ	लक्ष्य विवरण	वार्षिक लक्ष्य			प्रति यूनिट लागत	कुल लागत
			2027-28	2028-29	2029-30		

इमारतों और सड़कों पर सौर यंत्रों की स्थापना करना (ई 1) (E 1)

ई 1.1	सोलर रूफटॉप की स्थापना	<ul style="list-style-type: none"> वर्तमान में बने हुए 40% पक्के घरों में रूफटॉप सोलर पैनल की स्थापना सभी नई इमारतों में (जिनका निर्माण चरण II के दौरान हुआ है) सोलर रूफटॉप पैनल लगाना 				<p>अनुमानित लागत:</p> <ol style="list-style-type: none"> सोलर रूफटॉप की स्थापना = ₹50,000 रुपये प्रति kWp [सब्सिडी: ~40% (राज्य + सीएफए); अतः; सब्सिडी के बाद लागत = ₹30,000 रुपये प्रति kWp] हाई मास्ट = ₹50,000 प्रति हाई मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट = ₹ 10,000 प्रति लाइट 	
ई 1.2	सोलर स्ट्रीट लाइट	<ul style="list-style-type: none"> मुख्य स्थानों में अतिरिक्त सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट एवं सोलर हाई मस्त लगाना जैसे : आरोग्य वन, बाल वन, नदी/तालाबों के आस-पास , आदि ग्राम पंचायत के 50% सड़कों, रास्तों, और फुटपाथों में पुराने लाइट को हटाकर नई सौर एलईडी (LED) स्ट्रीटलाइट लगाना वर्तमान में स्थापित स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव 					

कृषि में सौर ऊर्जा का उपयोग (ई 2) (E 2)

ई 2.1	कृषि-फोटोवोल्टेक की स्थापना	25% कृषि भूमि जिसमें फल, सब्जियां, व दलहन की फसल (आलू, राजमा, मसूर, पालक और टमाटर) लगी हुई हैं उनमें कृषि-फोटोवोल्टेक की स्थापना करना				<p>अनुमानित लागत:</p> <ol style="list-style-type: none"> कृषि-फोटोवोल्टेक = प्रति kWp ₹1 लाख (सब्सिडी: प्रधानमंत्री कुसुम का भाग ए (A)) सोलर पंप = ₹3 से 5 लाख प्रति 7.5 एचपी/हॉर्स पावर सोलर पंप [सब्सिडी: 60% (राज्य + सीएफए); अतः; सब्सिडी के बाद लागत = ₹1.2 से 2 लाख प्रति 7.5 एचपी/हॉर्स पावर सोलर पंप] 	
ई 2.2	सौर पंप	अतिरिक्त डीजल पंप सेट के स्थान पर सौर पंप लगाना ताकि ग्राम पंचायत में 50% सौर पम्पों का उपयोग हो					

ऊर्जा कुशल एवं ऊर्जा संरक्षण सुझाव(ई 3) (E 3)

ई 3.1	ऊर्जा कुशल लाइट और पंखे	<ul style="list-style-type: none"> सभी घरों में (100%) सभी पारंपरिक /सीएफएल (CFL) बल्बों के स्थान पर एलईडी (बल्ब) लगाना और सभी (100%) पारंपरिक ट्यूब लाइट के स्थान पर एलईडी (LED) ट्यूब लाइट लगाना सभी घरों में कम-से-कम 1 पारंपरिक पंखे के स्थान पर ऊर्जा दक्ष पंखे लगाना 			अनुमानित लागत: <ol style="list-style-type: none"> एलईडी बल्ब = ₹ 70 प्रति बल्ब एलईडी ट्यूबलाइट = ₹ 220 प्रति ट्यूबलाइट ऊर्जा कुशल पंखे= ₹ 1110 प्रति पंखा वैकल्पिक कूल रूप सामग्री: <ol style="list-style-type: none"> सफेद चूना = ₹0.50 पैसे प्रति वर्ग फीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग = ₹20 से ₹40 प्रति वर्ग फीट
ई 3.2	कूल रूप	<ul style="list-style-type: none"> कम-से-कम 50% पक्के घरों में कूल रूप विकल्प को अपनाना सरकारी/पंचायत की (PR) इमारतों में कूल रूप का नियमित रखरखाव उसे फिर से लगाना 			

रसोई में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग (ई 4) (E 4)

ई 4.1	स्वच्छ खाना पकाना	<p>व्यवस्था का विस्तार:</p> <ol style="list-style-type: none"> परिदृश्य I: 50% परिवार जिनके पास 6 से 7 मवेशियां हैं उनके द्वारा बायोगैस का उपयोग + बाकी घरों द्वारा एलपीजी (LPG) का उपयोग परिदृश्य II: 50% उच्च आय वर्ग के परिवारों द्वारा सौर इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग + शेष परिवारों द्वारा एलपीजी (LPG) का उपयोग परिदृश्य III: 50% उच्च आय वर्ग के परिवारों द्वारा सौर इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग + 100% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का कर रहे हैं उनके द्वारा बेहतर चूल्हों का उपयोग + और शेष परिवारों द्वारा एलपीजी (एलपीजी) का उपयोग 			अनुमानित लागत: <ol style="list-style-type: none"> बायोगैस प्लांट (2 से 3 m³) = ₹50,000 1 सोलर कुकस्टोव (दो बर्नर बिना बैटरी वाला) = ₹45,000 उन्नत चूल्हे = ₹3,000 प्रति चूल्हा
-------	-------------------	--	--	--	---

चरण III: 2030-31 से 2034-35								
कोड	सुझावित गतिविधियाँ	लक्ष्य विवरण	वार्षिक लक्ष्य				प्रति यूनिट लागत	कुल लागत
			2030-31	2031-32	2032-33	2033-34		
इमारतों और सड़कों पर सौर यंत्रों की स्थापना करना (ई 1) (E 1)								
ई 1.1	सोलर रूफटॉप की स्थापना	<ul style="list-style-type: none"> वर्तमान में बने 100% पक्के घरों में सोलर रूफटॉप की स्थापना सभी नई इमारतों में (जिनका निर्माण चरण III के दौरान हुआ है) सोलर रूफटॉप पैनल लगाना 					अनुमानित लागत: 1. सोलर रूफटॉप की स्थापना = ₹50,000 रुपये प्रति kWp [सब्सिडी: ~40% (राज्य + सीएफए); अतः, सब्सिडी के बाद लागत = ₹30,000 रुपये प्रति kWp] 2. हाई मास्ट = ₹50,000 प्रति हाई मास्ट 3. सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट = ₹10,000 प्रति लाइट	
ई 1.2	सोलर स्ट्रीट लाइट	<ul style="list-style-type: none"> वर्तमान में स्थापित स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव और सार्वजनिक जगहों में सोलर स्ट्रीट लगाना 						
कृषि में सौर ऊर्जा का उपयोग करना (ई 2) (E 2)								
ई 2.1	कृषि-फोटोवोल्टेक की स्थापना	50% कृषि भूमि जिसमें फल, सब्जियां, व दलहन वाली फसल (आलू, राजमा, मसूर, पालक और टमाटर) लगी हुई हैं उनमें कृषि-फोटोवोल्टेक की स्थापना करना					अनुमानित लागत: 1. कृषि-फोटोवोल्टेक = ₹1 लाख प्रति kWp (सब्सिडी: प्रधानमंत्री कुसुम का भाग ए (A)) 2. सोलर पंप = ₹3 से 5 लाख प्रति 7.5 एचपी/हॉर्स पावर सोलर पंप [सब्सिडी: 60% (राज्य + सीएफए); अतः, सब्सिडी के बाद लागत = ₹1.2 से 2 लाख प्रति 7.5 एचपी/हॉर्स पावर सोलर पंप]	
ई 2.2	सौर पंप	अतिरिक्त डीज़ल पंप सेट के स्थान पर सौर पंप लगाना ताकि ग्राम पंचायत में 100% सौर पंप का उपयोग हो						

ऊर्जा कुशल एवं ऊर्जा संरक्षण सुझाव (ई 3) (E 3)

ई 3.1	ऊर्जा कुशल लाइट और फैन	प्रत्येक घर में सभी पारंपरिक पंखों के स्थान पर ऊर्जा कुशल पंखे लगाना								<p>अनुमानित लागत:</p> <ol style="list-style-type: none"> एलईडी बल्ब = ₹ 70 प्रति बल्ब एलईडी ट्यूबलाइट = ₹ 220 प्रति ट्यूबलाइट ऊर्जा कुशल पंखे = ₹ 1110 प्रति पंखा वैकल्पिक ठंडी छत सामग्री: <ol style="list-style-type: none"> सफ़ेद चूना = ₹0.50 प्रति वर्ग फीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग = ₹20 से ₹40 प्रति वर्ग फीट
ई 3.2	कूल रूफ	<ul style="list-style-type: none"> शेष पक्के घरों में कूल रूफ सामग्री विकल्प का उपयोग करना ताकि कूल रूफ कार्यक्रम के अंतर्गत 100% घर आ जाएं सरकारी/पंचायत की (पीआरआई) इमारतों में कूल रूफ का नियमित रखरखाव/उसे फिर से लगाना 								

रसोई में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग (ई 4) (E 4)

ई 4.1	स्वच्छ खाना पकाना	<p>व्यवस्था को आगे बढ़ाना:</p> <ol style="list-style-type: none"> परिदृश्य I: 100% परिवार जिनके पास 6 से 7 मवेशियां हैं उनके द्वारा बायोगैस का उपयोग + शेष घरों द्वारा एलपीजी (LPG) का उपयोग परिदृश्य II: 100% उच्च आय वर्ग के परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा से संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग + शेष परिवारों द्वारा एलपीजी (LPG) का उपयोग 							<p>अनुमानित लागत:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 बायोगैस प्लांट (2 से 3 मीटर) = ₹50,000 1 सौर कुकस्टोव (दो बर्नर बिना बैटरी वाला) = ₹45,000 उन्नत चूल्हे = ₹3,000 प्रति चूल्हा
-------	-------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

उद्योग सम्बन्धी गतिविधियां (आई) (I)

चरण I: 2024-25 से 2026-27

कोड	सौर ऊर्जा अधिष्ठापन	लक्ष्य का विवरण	वार्षिक लक्ष्य			प्रति यूनिट लागत	कुल लागत
			2024-25	2025-26	2026-27		
ऊर्जा परिवर्तन (I 1) (आई 1)							
आई 1.1	सौर ऊर्जा अधिष्ठापन	<ul style="list-style-type: none"> कम से कम 40% बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय उद्योगों में सौर ऊर्जा प्रतिष्ठान स्थापित करना। उद्योगों में सौर ऊर्जा स्थापनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योगों को ऋण/वित्तीय सहायता, प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ जैसे हरित टैरिफ और कर कटौती जैसे तंत्र स्थापित करना। 				अनुमानित लागत: सोलर रूफटॉप की स्थापना = ₹50,000 रुपये प्रति kWp [सब्सिडी: ~40% (राज्य + सीएफए); अतः, सब्सिडी के बाद लागत = ₹30,000 रुपये प्रति kWp]	
आई 1.2	साझेदारी और व्यवसाय मॉडल	<ul style="list-style-type: none"> उद्योगों और पंचायत के बीच साझेदारी और व्यवसाय मॉडल की स्थापना: उत्पन्न अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड में वापस देना विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा (डीआरई) के विकास का समर्थन करना 					
आई 1.3	स्वच्छ प्रौद्योगिकियाँ	स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता					

उत्सर्जन में कमी एवं अवशोषण (आई 2) (I 2)

आई 2.1	मानकों का अनुपालन	ग्राम पंचायत में स्थित सभी उद्योगों द्वारा ईंधन से उत्सर्जन के आदर्श मानकों का अनुपालन हो							
आई 2.2	वैकल्पिक ईंधन और सामग्री	निम्न पर जागरूकता: a. विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों के लिए वैकल्पिक और कम उत्सर्जन वाला ईंधन b. सामग्रियां जो हरित हों एवं कम उत्सर्जन करती हैं							अनुमानित लागत: 1. वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, मजदूर आदि) = ₹70 प्रति पेड़ 2. ट्री गार्ड (धातु) = ₹1,200 प्रति यूनिट
आई 2.3	कार्बन अधिग्रहण	औद्योगिक स्थानों के चारों ओर वृक्षारोपण करना और हरित स्थान /बफर जोन की स्थापना करना							

ऊर्जा एवं संसाधन दक्षता (आई 3) (I 3)

आई 3.1	कुशल ऊर्जा	निम्न पर जागरूकता निर्माण: a. ऊर्जा-उपयोग कम करने वाली प्रौद्योगिकियाँ जैसे औद्योगिक संयंत्रों के इन्सुलेशन में सुधार, हीट एक्सचेंजर्स का उपयोग करना आदि। b. स्मार्ट ऊर्जा-कुशल प्रणालियाँ							
आई 3.2	संसाधन दक्षता	निम्नलिखित को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम: a. जल का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण जैसी प्रथाएँ b. सामग्रियों का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण							

चरण II: 2027-28 से 2029-30

कोड	प्रस्तावित हस्तक्षेप	लक्ष्य का विवरण	वार्षिक लक्ष्य			प्रति यूनिट लागत	कुल लागत
			2027-28	2028-29	2029-30		
उर्जा परिवर्तन (आई 1) (I 1)							
आई 1.1	सौर ऊर्जा अधिष्ठापन	<ul style="list-style-type: none"> कम से कम 75% बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत के उद्योगों में अतिरिक्त सौर ऊर्जा स्थापना। उद्योगों में सौर ऊर्जा अधिष्ठापनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, ऋण/वित्तीय सहायता, प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ तंत्र जैसे हरित टैरिफ एवं कर कटौती जैसे प्रबंधनों को बढ़ाना 				<p>अनुमानित लागत: सोलर रूफटॉप की स्थापना = ₹50,000 रुपये प्रति kWp [सब्सिडी: ~40% (राज्य + सीएफए); अतः, सब्सिडी के बाद लागत = ₹30,000 रुपये प्रति kWp]</p>	
आई 1.2	साझेदारी और व्यवसाय मॉडल	आस-पास की पंचायतों, हउद्योगों और स्थानीय सुशासन के बीच साझेदारी को बढ़ाना					
आई 1.3	स्वच्छ प्रौद्योगिकियां	सब्सिडी के माध्यम से स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देना					
उत्सर्जन में कमी एवं अवशोषण (आई 2) (I 2)							
आई 2.1	मानकों का अनुपालन	वर्तमान ईंधन उत्सर्जन मानकों का ग्राम पंचायत में सभी उद्योगों (100%) द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना				<p>अनुमानित लागत: 1. वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, मजदूर आदि) = ₹70 प्रति पेड़ 2. ट्री गार्ड (धातु) = ₹1,200 प्रति यूनिट</p>	

आई 2.2	वैकल्पिक ईंधन और सामग्री	सब्सिडी जैसे तंत्रों के माध्यम से निम्नलिखित के उपयोग को प्रोत्साहित करना: a. विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों के लिए वैकल्पिक और कम उत्सर्जन वाले ईंधन b. ऐसी सामग्रियां जो कम उत्सर्जन करती हैं और हरित हैं					
आई 2.3	कार्बन पृथक्करण	हरित स्थान और बफर जोन बनाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र के भीतर और उसके आसपास वृक्षारोपण का विस्तार और वर्तमान पेड़ों का रखरखाव					
ऊर्जा एवं संसाधन दक्षता (आई 3) (13)							
आई 3.1	कुशल ऊर्जा	<ul style="list-style-type: none"> ▪ सब्सिडी जैसे तंत्रों के माध्यम से निम्नलिखित के उपयोग को प्रोत्साहित करना ▪ ऊर्जा-उपयोग कम करें हेतु प्रौद्योगिकियों का उपयोग जैसे औद्योगिक संयंत्रों के इन्सुलेशन में सुधार, हीट एक्सचेंजर्स का उपयोग आदि ▪ स्मार्ट ऊर्जा-कुशल प्रणालियाँ ▪ ऊर्जा दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना (पीएटी) को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना 					
आई 3.2	संसाधन दक्षता	सब्सिडी जैसे तंत्रों के माध्यम से निम्नलिखित के उपयोग को प्रोत्साहित करना: <ul style="list-style-type: none"> ▪ जल का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण ▪ सामग्री का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण 					

चरण III: 2030-31 से 2034-35

कोड	प्रस्तावित हस्तक्षेप	लक्ष्य का विवरण	वार्षिक लक्ष्य				प्रति यूनिट लागत	कुल लागत	
			2030-31	2031-32	2032-33	2033-34			2034-35
ऊर्जा परिवर्तन (आई 1) (I 1)									
आई 1.1	सौर ऊर्जा अधिष्ठापन	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100 % बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत में स्थित उद्योगों में अतिरिक्त सौर ऊर्जा स्थापना ▪ उद्योगों में सौर ऊर्जा अधिष्ठापनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, ऋण/वित्तीय सहायता, प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ तंत्र जैसे हरित टैरिफ एवं कर कटौती जैसे प्रबंधनों को बढ़ाना 						<p>अनुमानित लागत: सोलर रूफटॉप की स्थापना = ₹50,000 रुपये प्रति kWp [सब्सिडी: ~40% (राज्य + सीएफए); अतः, सब्सिडी के बाद लागत = ₹30,000 रुपये प्रति kWp]</p>	
आई 1.2	साझेदारी और व्यवसाय मॉडल	आस-पास की पंचायतों, उद्योगों और स्थानीय सुशासन के बीच साझेदारी को बढ़ाना							
आई 1.3	स्वच्छ प्रौद्योगिकियां	सब्सिडी के माध्यम से स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देना							


उत्सर्जन में कमी एवं अवशोषण (आई 2) (I 2)

आई 2.1	मानकों का अनुपालन	वर्तमान ईंधन उत्सर्जन मानकों का ग्राम पंचायत में सभी उद्योगों (100%) द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना							
आई 2.2	वैकल्पिक ईंधन और सामग्री	सब्सिडी जैसे तंत्रों के माध्यम से निम्नलिखित के उपयोग को प्रोत्साहित करना: a. विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों के लिए वैकल्पिक और कम उत्सर्जन वाले ईंधन b. ऐसी सामग्रियां जो कम उत्सर्जन करती हैं और हरित हैं							अनुमानित लागत: 1. वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, मजदूर आदि) = ₹70 प्रति पेड़ 2. ट्री गार्ड (धातु) = ₹1,200 प्रति यूनिट
आई 2.3	कार्बन पृथक्करण	हरित स्थान और बफर जोन बनाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र के भीतर और उसके आसपास वृक्षारोपण का विस्तार और वर्तमान पेड़ों का रखरखाव							

उत्सर्जन में कमी एवं अवशोषण (आई 3) (I 3)

आई 3.1	कुशल उर्जा	<ul style="list-style-type: none"> ▪ सब्सिडी जैसे तंत्रों के माध्यम से निम्नलिखित के उपयोग को बढ़ाना: <ul style="list-style-type: none"> a. ऊर्जा-उपयोग कम करने हेतु प्रौद्योगिकियाँ के उपयोग को और बढ़ाना जैसे औद्योगिक संयंत्रों के इन्सुलेशन में सुधार, हीट एक्सचेंजर्स का उपयोग आदि। b. स्मार्ट ऊर्जा-कुशल प्रणालियाँ ▪ ऊर्जा दक्षता प्राप्त करने के लिए और अधिक उद्योगों द्वारा प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना (पीएटी) को अपनाना 							
आई 3.2	संसाधन दक्षता	<p>सब्सिडी जैसे तंत्रों के माध्यम से निम्नलिखित के उपयोग को बढ़ाना :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. जल का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण b. सामग्री का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण 							

3.3 कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन संरचना



अनुलग्नक VII अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिए प्रस्तावित संकेतकों की विस्तृत सूची प्रदान करता है।

4

कलाइमेट स्मार्ट ग्राम
पंचायत कार्ययोजना
हेतु प्रारूप



4

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना हेतु प्रारूप

कार्ययोजना की रूपरेखा

1. सारांश और एक व्यापक दृष्टिकोण निर्धारित करना

आप अपनी ग्राम पंचायत में क्या बदलाव देखना चाहेंगे और कब तक ?

2. ग्राम पंचायत रूपरेखा (अनुलग्नक IV में संलग्न)

- ग्राम पंचायत एक नजर में
- जलवायु परिवर्तनशीलता और भेद्यता रूपरेखा
- प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ
- महिलाओं हेतु पंचायत में रोजगार के अवसर
- कृषि
- प्राकृतिक संसाधन
- ग्राम पंचायत की सुविधाएं (ग्राम पंचायत के भीतर और आसपास)

3. कार्बन फुटप्रिंट रूपरेखा

- ऊर्जा
- कृषि एवं पशुधन
- वन/हरित आवरण से पृथक्करण (यदि लागू हो)
- अपशिष्ट पदार्थ

4. ग्राम पंचायत में चिह्नित किए गए मुख्य मुद्दे और परिणामी प्रभाव

एकत्र किए गए आंकड़ों और प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विस्तृत विश्लेषण:

- केन्द्रित समूह चर्चा (एफजीडी)
- सर्वेक्षण प्रश्नावली
- खतरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता मूल्यांकन (एचआरवीसीए)

5. प्रस्तावित सुझाव/गतिविधियाँ

ग्राम पंचायत के संदर्भ और मुद्दों के आधार पर अनुकूलन और शमन दोनों को जोड़ते हुए हस्तक्षेपों के लिए सुझाए गए विषयगत क्षेत्र:

- हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना
- जल निकायों का प्रबंधन एवं कायाकल्प
- सतत कृषि
- सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच
- सतत एवं उन्नत गतिशीलता
- उद्योग सम्बन्धी गतिविधियाँ
- आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

चरणबद्ध: हस्तक्षेप निम्नलिखित चरणों में प्रस्तावित किए जाने हैं:

- a. (चरण I): 2024-25 से 2026-27 तक
- b. (चरण II): 2027-28 से 2029-30 तक
- c. (चरण III): 2030-31 से 2034-35 तक

विभिन्न चरणों में की जाने वाली गतिविधियाँ ग्राम पंचायत के व्यापक दृष्टिकोण के साथ-साथ राष्ट्रीय और राज्य की प्राथमिकताओं, कार्यक्रमों और लक्ष्यों 38 के अनुरूप होनी चाहिए।

अनुमानित लागत: प्रत्येक विषयगत क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक प्रस्तावित गतिविधि के लिए अनुमानित लागत की गणना की जानी चाहिए। इसके अलावा, संचयी लागत की गणना की जा सकती है।

6. वित्तपोषण के स्रोत

- i. वर्तमान राज्य और केंद्रीय योजनाएं/कार्यक्रम जो कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान कर सकते हैं/हस्तक्षेपों के लिए सब्सिडी प्रदान कर सकते हैं।
- ii. सीएसआर, निजी क्षेत्र आदि से वित्तपोषण के अतिरिक्त स्रोतों को सम्मिलित किया जा सकता है।


निगरानी एवं मूल्यांकन: प्रत्येक विषयगत क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों की प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए संकेतकों की सूची।

7. सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के साथ जुड़ाव

- i. सह-लाभ: प्रस्तावित हस्तक्षेपों के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक सह-लाभ
- ii. एसडीजी लिंकेज: विशिष्ट एसडीजी, उनके लक्ष्यों और संकेतकों के साथ हस्तक्षेप का जुड़ाव

38 कुछ राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों के लिए अनुबंध V और VI देखें

अनुलग्नक



अनुलग्नक

अनुलग्नक I: द्वितीयक डेटा और संभावित विभाग एवं स्रोत

पंचायत का नाम :

विकास खंड का नाम:

जिले का नाम:

विषय-वस्तु/डोमेन	संकेतक	विभाग एवं स्रोत
पंचायत का भौगोलिक विवरण (हेक्टेयर)	a) वन सीमांत गांव	राजस्व विभाग
	b) पहाड़ी ढलान	
	c) समतल भूमि	
	d) नदी तट पर	
	e) शुष्क भूमि	
	f) ऊसर/मरुस्थलीकृत भूमि	
जल संसाधन	a) भूजल (कुआँ, ट्यूबवेल)	<ol style="list-style-type: none"> 1. जल कल विभाग 2. सिंचाई विभाग (जल कल विभाग के अंतर्गत) 3. ग्राम्य विकास विभाग 4. केन्द्रीय भूजल बोर्ड 5. डब्ल्यूआरआईएस (भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली) पोर्टल, जल शक्ति मंत्रालय लिंक: https://indiawris.gov.in/wris/#/GWResources
	b) सतही जल निकाय (तालाब, झीलें, मानव निर्मित संरचना)	
	c) वर्षा जल	
	d) नदी/नहर	
उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन	a) वन (वर्तमान क्षेत्र और पूर्व समय से क्षेत्र में परिवर्तन)	<ol style="list-style-type: none"> 1. वन विभाग 2. प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) 3. राज्य जैवविविधता बोर्ड 4. ग्राम पंचायत कार्यालय
	b) दलदली भूमि (वर्तमान क्षेत्र और पूर्व समय से क्षेत्र में परिवर्तन)	
स्थानीय मौसम	a) अधिकतम तापमान	<ol style="list-style-type: none"> 1. निकटतम आईएमडी (भारत मौसम विज्ञान विभाग) स्टेशन लिंक:https://cdsp.imdpune.gov.in/vivaranika_climateinfo.php#climateinfo 2. कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) 3. कृषि विभाग
	b) न्यूनतम तापमान	
	c) औसत वर्षा	

विषय-वस्तु/डोमेन	संकेतक	विभाग एवं स्रोत
	d) वर्षा के महीने e) सर्दी के महीने f) गर्मी के महीने	4. भुवन पोर्टल लिंक: https://bhuvan-panchayat3.nrsc.gov.in/
चरम मौसमी घटनाएँ/ आपदाएँ (घटित होना , आवृत्ति, तीव्रता)	a) गर्म हवाएं b) शीत लहरें c) ओलावृष्टि d) सूखा e) बाढ़ f) भूकंप g) उपरोक्त आपदाओं में आया परिवर्तन (वृद्धि/ कमी/कोई परिवर्तन नहीं)	1. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) 2. ग्राम आपदा प्रबंधन समिति 3. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) 4. ई-ग्राम स्वराज पोर्टल, एमओपीआर (पंचायती राज मंत्रालय) (जीपीडीपी) लिंक: https://egramswaraj.gov.in/mprDashboard.do
आपदा सम्बन्धी तैयारियां	a) ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन योजना b) आपदा रोधी बुनियादी ढांचा c) पूर्व चेतावनी प्रणाली/मौसम सम्बन्धी चेतावनी प्रणाली/एडब्ल्यूएस (अमेज़न वेब सर्विसेज) d) सामुदायिक जागरूकता f) आपातकालीन खाद्य सूची	
कृषि (सभी क्षेत्र हेक्टेयर में)	a) कुल बंजर भूमि b) कुल कृषि भूमि c) शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र a) सकल कृषि योग्य क्षेत्र	1. कृषि विभाग 2. सिंचाई विभाग (जल कल विभाग के अंतर्गत) 3. राजस्व विभाग

विषय-वस्तु/डोमेन	संकेतक	विभाग एवं स्रोत
	b) सिंचित क्षेत्र	
	c) वर्षा सिंचित क्षेत्र	
	d) जैविक खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	
	e) क्या ग्राम पंचायत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की जाती है?	
	f) शून्य बजट प्राकृतिक खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र	
	g) कोई अन्य स्थायी कृषि पद्धतियां	
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना	a) मूल्यांकन की आवृत्ति	कृषि विभाग
	b) फसल पद्धति पर प्रभाव	
	c) उर्वरक इनपुट पर प्रभाव	
	d) उपज/पैदावार पर प्रभाव	
	e) क्या कोई भंडारण/कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध है ?	
	f) उपलब्ध सुविधाओं की क्षमता	
	g) सुविधाओं की लागत	
वॉश-(डब्ल्यूएसएच) (जल, साफ़-सफाई एवं स्वच्छता) और स्वास्थ्य	a) घर जहाँ पाइप से जलापूर्ति होती है	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम्य विकास विभाग (जल जीवन मिशन) पंचायती राज विभाग (एसबीएम-जी) (जलापूर्ति अनुभाग) स्वास्थ्य विभाग वाटरशेड (जल-सम्भर) विभाग सिंचाई विभाग (जल कल विभाग के अंतर्गत) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) वन विभाग
	b) जल आपूर्ति की समयावधि	
	c) ग्राम पंचायत में जल निकायों की संख्या और उनके कुल क्षेत्रफल की सूची	
	d) जल गुणवत्ता	
	e) भूजल गुणवत्ता (प्रमुख जल प्रदूषक जैसे टीडीएस, क्षारीयता, फ्लोराइड, नाइट्रेट, फॉस्फेट, आदि)	

विषय-वस्तु/डोमेन	संकेतक	विभाग एवं स्रोत
	f) वाटरशेड विकास गतिविधियाँ (जल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन, आईडब्ल्यूएमपी (एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम), अन्य	
	g) कुल उत्पन्न ठोस अपशिष्ट (टन, किग्रा, किग्रा/घरेलू)	
	h) ग्राम पंचायत में अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (प्रतिशत, मात्रा और क्षमता)	
	i) ग्राम पंचायत में अस्पतालों की संख्या या निकटतम अस्पताल/पीएचसी की दूरी।	
	j) ग्राम पंचायत में आईसीडीएस (एकीकृत बाल विकास योजना), आंगनवाड़ी केंद्रों और आशा कार्यकर्ताओं की संख्या	
	k) आंगनवाड़ी केंद्रों पर या अन्यथा अन्य ग्राम पंचायत में महिला डॉक्टरों की संख्या।	
	l) सरकारी योजनाओं और उनकी आवृत्ति के अनुसार मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिक/विभिन्न स्वास्थ्य मेलों/शिविरों तक पहुंच।	
	m) डिजिटल हेल्थकेयर क्लीनिक तक पहुंच	
	n) विभिन्न बीमारियों के दर्ज किये गए मामलों की संख्या (वेक्टर-जनित, जल-जनित, श्वसन संबंधी बीमारी)	
	o) गैर-संचारी रोगों जैसे (हीट स्ट्रोक, सर्दी लगना) की घटनाओं में वृद्धि और सर्वाधिक प्रभावित आयु वर्ग	

सामाजिक-आर्थिक	a) कुल जनसंख्या	<ol style="list-style-type: none"> 1. सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2019 (उत्तर प्रदेश सरकार) लिंक: https://secc.gov.in/getAllHhdSummaryStatereport.htm/09 2. जनगणना 2011 लिंक: https://censusindia.gov.in/census.website/data/census-tables 3. ग्राम्य विकास विभाग (मिशन अंत्योदय) 4. राजस्व विभाग (स्वामित्व योजना) 5. ग्राम पंचायत कार्यालय 6. सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग (एमएसएमई) 7. कौशल विकास केंद्र (कौशल विकास मिशन)
	b) कुल पुरुष जनसंख्या	
	c) कुल महिला जनसंख्या	
	d) पक्के मकानों की संख्या	
	e) कच्चे घरों की संख्या	
	f) नौकरी करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत	
	g) औसत घरेलू आय	
	h) एकल आय वाले परिवारों की संख्या	
	i) कृषि पर (केवल) आश्रित परिवारों की संख्या	
	j) एकाधिक आय वाले परिवारों की संख्या (सदस्यों की संख्या) <ul style="list-style-type: none"> » लघु उद्योग/कुटीर उद्योग » कला/हस्तशिल्प » पशुपालन » व्यवसाय (स्थानीय दुकानों) » अन्य 	

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)	a) स्वयं सहायता समूहों की संख्या और प्रत्येक स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या	<ol style="list-style-type: none"> 1. कृषि विभाग 2. नाबार्ड 3. ग्राम पंचायत कार्यालय 4. ग्राम्य विकास विभाग (राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन) 5. राज्य कृषि उपज मण्डी बोर्ड (मण्डी परिषद)
	b) स्वयं सहायता समूहों की वार्षिक आय	
	c) एफपीओ की संख्या और प्रत्येक एफपीओ में सदस्यों की संख्या	
	d) एफपीओ से प्राप्त वार्षिक राजस्व	
	e) अन्य पंजीकृत समूह/समिति/संगठन का विवरण	
बाज़ार/खरीद केंद्र	निकटवर्ती बाजारों/खरीद केन्द्रों की सूची	
	बाज़ारों और दरों/मूल्यों पर जानकारी का स्रोत	

विषय-वस्तु/डोमेन	संकेतक	विभाग एवं स्रोत
योजनाएं	निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत प्रारंभ की गई परियोजनाओं या कार्यों के लाभार्थियों की संख्या	1. ग्राम्य विकास विभाग 2. ग्राम पंचायत कार्यालय 3. कौशल विकास केंद्र 4. कृषि विभाग 5. पंचायती राज विभाग 6. वन विभाग 7. यूपीनेडा 8. कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके)
	a) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	
	b) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	
	c) प्रधानमंत्री आवास योजना(पीएमएवाई)/ मुख्यमंत्री आवास योजना(सीएमएवाई)	
	d) कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	
	e) यूपी कौशल विकास मिशन	
	f) राष्ट्रीय कौशल विकास योजना (आरकेवीवाई)	
	g) प्रधानमंत्री उज्वला योजना (पीएमयूवाई)	
	h) मौसम आधारित फसल बीमा योजना	
	i) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई)	
	j) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)	
	k) मृदा स्वास्थ्य कार्ड	
	l) किसान क्रेडिट कार्ड	
	m) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा)	
	n) सौर सिंचाई पंप योजना	
	o) नया राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक उर्वरक कार्यक्रम	
	p) खाद्यान्न की विकेंद्रीकृत खरीद योजना	
	q) गोबर धन योजना	
	r) अन्य	
बैंकिंग/ई-बैंकिंग	सक्रिय बैंक खाते वाले परिवारों की संख्या , ई-बैंकिंग/ डिजिटल भुगतान ऐप का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या	1. ग्राम पंचायत कार्यालय 2. पंचायती राज विभाग

विषय-वस्तु/डोमेन	संकेतक	विभाग एवं स्रोत
शिक्षा	a) स्कूलों की संख्या (प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय)	<ol style="list-style-type: none"> शिक्षा विभाग समग्र शिक्षा अभियान यूपीएसडीएम (उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपीएमएसपी)-माध्यमिक शिक्षा विभाग
	b) कॉलेजों की संख्या	
	c) प्रत्येक में नामांकन का प्रतिशत	
	d) ड्रॉपआउट दर और उसका कारण	
	e) कौशल विकास/व्यावसायिक प्रशिक्षण/पुनर्कौशल संस्थान और नामांकन का प्रतिशत	
सड़क	a) निकटतम राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग से दूरी	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम्य विकास विभाग पंचायती राज विभाग (जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत) लोक निर्माण विभाग (सड़क एवं भवन विभाग)
	b) शहरी केंद्रों/बाजारों से जुड़ने वाली सड़कों की स्थिति	
	c) ग्राम पंचायत में सड़कों की स्थिति	
विद्युत उर्जा	a) ग्राम पंचायत में बिजली कनेक्शन वाले घरों की संख्या	<ol style="list-style-type: none"> यूपीपीसीएल (उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ग्राम पंचायत कार्यालय
	b) बिजली कटौती और वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की आवृत्ति	
	c) वोल्टेज में उतार-चढ़ाव के कारण उपकरणों या उपकरण को नुकसान (जैसे: कृषि-पंप सेट)	
	d) कृषि-फीडर की सुविधा का लाभ उठाने वाले किसानों की संख्या और इसका स्रोत/ईंधन।	
	ग्राम पंचायत में कितने सौर कृषि फीडर है?	
	सौर कृषि-फीडरों की स्थापित क्षमता क्या है?	
नवीकरणीय ऊर्जा	गाँव में गैर-जीवाश्म ईंधन या नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के उपयोग की स्थिति (उदाहरण: सौर स्ट्रीट लैंप, पवन, या हाइड्रो आधारित नवाचार)	यूपीएनईडीए (उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण)
उद्योग	a) ग्राम पंचायत में उद्योगों की संख्या	एमएसएमई विभाग यूपीपीसीएल (उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) जिला औद्योगिक केंद्र (डीआईसी)
	b) विद्युत ऊर्जा का स्रोत	
	c) विद्युत ऊर्जा की खपत	

अनुलग्नक II: ग्राम पंचायत (जीपी) सर्वेक्षण के लिए प्राथमिक प्रश्नावली

यूपी क्लाइमेट स्मार्ट जीपी सर्वे प्रश्नावली³⁹

ग्राम पंचायत

विकासखंड

जिला

i. सामान्य प्रोफाइल

		संख्या (सूचना का राज्य स्रोत - समुदाय के सदस्यों का अनुमान (1))
1	राजस्व ग्रामों की संख्या	
2	बस्तियों की संख्या	
3	a	कुल जनसंख्या
	b	कुल पुरुष जनसंख्या
	c	कुल महिला जनसंख्या
	d	विकलांगता वाले व्यक्तियों की जनसंख्या
	e	बच्चों की जनसंख्या कुल
	f	वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति)
4	परिवारों की कुल संख्या	
a	बीपीएल परिवारों की संख्या	
5	कुल भौगोलिक क्षेत्र	
6	a	साक्षरता दर
7	a	पक्के मकानों की संख्या
	b	कच्चे घरों की संख्या (प्रमुख रूप से उपयोग की जाने वाली सामग्री निर्दिष्ट करें)

ii. सामाजिक-आर्थिक

8	ग्राम पंचायत में कृषि पर (केवल) आश्रित परिवारों का प्रकार	परिवारों की कुल संख्या
	खुद की जमीन के साथ	
	किरायेदार के रूप में	
	कॉन्ट्रैक्ट खेती के रूप में	
	दिहाड़ी मजदूर के रूप में	
	अन्य व्यवस्थाओं में अतिरिक्त जानकारी (इंगित करें कि क्या परिवार एक से अधिक प्रकार की कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं)	

³⁹ यह प्रश्नावली ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वेक्षण करने के लिए है

9	ग्राम पंचायत (जीपी) में आय के स्रोत	परिवारों की कुल संख्या
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: शिक्षण, बैंक, सरकारी नौकरी, आदि)	
	लघु उद्योग/कुटीर उद्योग	
	कृषि	
	कला/हस्तशिल्प	
	पशुपालन	
	व्यवसाय (स्थानीय दुकानें)	
	उद्यमशीलता	
	मजदूरी (गैर-कृषि)	
	अन्य	

10	प्रवासन				हाँ	नहीं	
	a	क्या पिछले 5 वर्षों में आपके ग्राम पंचायत से ग्रामीणों का पलायन हुआ है?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b	वे स्थान जहाँ वे प्रवासित हुए हैं	पिछले 5 वर्षों में परिवारों/व्यक्तिगत (विशिष्ट) प्रवासन की संख्या	पिछले 5 वर्षों में पलायन करने वाले अनुसूचित जाति परिवारों की औसत संख्या	पिछले 5 वर्षों में पलायन करने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों की औसत संख्या	पिछले 5 वर्षों में पलायन करने वाले ओबीसी परिवारों की औसत संख्या	प्रवासन के मुख्य कारण
		अन्य गाँव					
		आस-पास के शहर					
		राज्य के प्रमुख शहरी केंद्र					
		देश के प्रमुख महानगर					
	c	क्या पिछले 5 वर्षों में कोई व्यक्ति/परिवार आपके ग्राम पंचायत में प्रवासित हुए है			हाँ <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>	
		पिछले 5 वर्षों में कितने परिवार आपके ग्राम पंचायत में स्थानांतरित हुए हैं? मुख्य कारण क्या है?					
11	महिलाओं की स्थिति						
	a	महिला मुखिया वाले परिवारों की संख्या (अर्थात्, महिलाएं मुख्य/एकमात्र कमाने वाली हैं)					
	b	खेती में काम करने वाली महिलाएं			कुल संख्या		
		खुद की जमीन					

	किराएदार	
	संविदा आधारित खेती	
	मजदूरी करने वाला मजदूर	
	अन्य व्यवस्थाएं	
	अतिरिक्त जानकारी (इंगित करें कि महिलाएं एक से अधिक प्रकार की कृषि गतिविधियों में लगी हुई हैं)	
c	अन्य नौकरियों/क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएँ	कुल संख्या
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: शिक्षण, बैंक, सरकारी नौकरी, आदि)	
	लघु उद्योग/कुटीर उद्योग	
	कृषि	
	कला/हस्तशिल्प	
	पशुपालन	
	व्यवसाय (स्थानीय दुकानें)	
	मजदूरी (गैर-कृषि)	
	अन्य	

12 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)					
	एसएचजी का नाम	सदस्यों की संख्या	प्रारंभ की गई गतिविधि	वार्षिक बचत	जुड़ा है या नहीं जुड़ा है

13 एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन)						
	एफपीओ का नाम	क्या इसकी मुखिया महिलाएं हैं	प्रत्येक एफपीओ में सदस्यों की संख्या	एफपीओ/ वार्षिक बचत से उत्पन्न वार्षिक राजस्व (दशाईं)	खेत की उपज	कटाई के बाद की जिन गतिविधियों में लगी हुई है/ गतिविधियों का क्षेत्र
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
14 अन्य समुदाय आधारित संगठन/सहकारिताएँ						
	सामाजिक समूहों/ सहकारिताओं का नाम	क्या इसकी मुखिया महिलाएं हैं?	प्रत्येक में सदस्यों की संख्या	उत्पन्न वार्षिक राजस्व/वार्षिक बचत	उत्पाद/सेवा	बाजार/लक्ष्य उपभोक्ता
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				

15 योजनाएं						
a	योजना का नाम	पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या	लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या	पिछले वर्ष जीपी में प्राप्त कुल भुगतान (₹)	बकाया राशि, यदि कोई हो (₹)	प्रारंभ की गई गतिविधियाँ
	एमजीएनआरईजीए					
	पीएमजीकेएवाई (गरीब कल्याण अन्न योजना)/ एनएफएसए					
	प्रधानमंत्री उज्वला योजना (पीएमयूवाई)					
	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)					
	प्रधानमंत्री कुसुम					
b	अन्य योजनाएँ	पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या	लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या	पिछले वर्ष जीपी में प्राप्त कुल भुगतान (₹)	बकाया राशि, यदि कोई हो (₹)	प्रारंभ की गई गतिविधियाँ
	ग्राम उजाला योजना					
	ऊर्जा दक्षता योजनाएं					
	प्रधानमंत्री आवास योजना					
	सार्वजनिक वितरण प्रणाली					
	कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम					
	उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन					
	राष्ट्रीय कौशल विकास योजना (आरकेवीवाई)					
	मौसम आधारित फसल बीमा योजना					
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)					
	फसल बीमा योजनाएँ					
	मृदा स्वास्थ्य कार्ड					

	स्वच्छ भारत मिशन					
	सौर सिंचाई पम्प योजना					
	नया राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक उर्वरक कार्यक्रम					
	खाद्यान्न की विकेन्द्रीकृत खरीद योजना					
	गोबर धन योजना					
	वर्षा जल संचयन योजनाएँ					
	आईडब्ल्यूडीपी (एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम)					
	अन्य जलग्रहण विकास योजनाएँ					
	अन्य (एक जिला एक उत्पाद, मेक इन इंडिया, अन्य उद्यमिता सहायता योजनाएं आदि)					

16	सक्रिय बैंक खाते वाले व्यक्तियों की संख्या
17	ई-बैंकिंग/डिजिटल भुगतान ऐप्स/यूपीआई का उपभोक्ताओं की संख्या

18	निकटवर्ती कृषि-बाज़ार/खरीद केंद्र/सरकारी केंद्र	क्या जीपी द्वारा बाज़ार या केंद्र का उपयोग किया जाता है?		यदि नहीं तो केन्द्र/बाजार का उपयोग क्यों नहीं किया जाता?	उत्पादित फसलें (क्विंटल)	बेची गई फसलें (क्विंटल)	जीपी से दूरी (यदि जीपी के बाहर) (किमी)
		हाँ	नहीं				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

19		शिक्षा (केवल जीपी के भीतर)						
प्रकार/स्तर	छत पर कितना क्षेत्र उपलब्ध है? (एम2)	नामांकित विद्यार्थियों की संख्या			पिछले वर्ष कितने छात्रों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी			पढ़ाई छोड़ने का प्रमुख कारण: स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे (1) अभिगम्यता संबंधी मुद्दे (2) आर्थिक समस्याएँ (3) अन्य (4) (कृपया निर्दिष्ट करें)
		कुल	लड़कियाँ	अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल	लड़कियाँ	अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग	
a	प्राथमिक विद्यालय							
b	माध्यमिक विद्यालय							
c	उच्च प्राथमिक विद्यालय							
e	अन्य संस्थान							

20	कौशल विकास/ व्यावसायिक प्रशिक्षण/ कौशल उन्नयन संस्थानों का नाम (केवल जीपी के भीतर)	उपलब्ध छत क्षेत्र (एम2)	संस्थान का प्रकार सरकार (1) निजी (2)	नामांकित व्यक्तियों की संख्या	नामांकित व्यक्तियों का आयु वर्ग

21	राज्य/राष्ट्रीय राजमार्गों तक पहुंच			
	राजमार्ग का नाम	राज्य राजमार्ग (1) राष्ट्रीय राजमार्ग (2)	जीपी से दूरी	संपर्क मार्ग की स्थिति अच्छा (1) बुरा (2) गरीब (3) बहुत खराब (4)

iii. भूमि संसाधनों की जानकारी

22	वन भूमि का विवरण	
a	ग्राम वन के अंतर्गत क्षेत्र (एकड़)	
b	वन विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र (एकड़)	
c	सार्वजनिक पहुंच/उपयोगिता के लिए उपलब्ध क्षेत्र (एकड़)	
d	कितना अतिक्रमण है? (एकड़)	
e	पिछले 5 वर्षों में वनों की कटाई संबंधी कोई गतिविधियाँ?	
f	कटाई की वनों का अनुमानित क्षेत्र? (एकड़)	

23	अन्य भूमि वर्गीकरण			
a	ग्राम पंचायत (एकड़) में कितनी सामान्य भूमि उपलब्ध है?			
b	इस भूमि का कितना भाग अतिक्रमित है (एकड़)?			
c	ग्राम पंचायत के भीतर खनन गतिविधियाँ	हाँ <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>	कवर क्षेत्र (एकड़ में):
	खनन का प्रकार रेत खनन (1) खनिज खनन - खनिज विनिर्दिष्ट करें (2) अन्य - निर्दिष्ट करें (3)			
	अतिरिक्त जानकारी			

24		जल निकाएं		
		विवरण	हाँ	नहीं
	a	क्या आपके ग्राम पंचायत में कोई जल निकाय हैं?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b	ग्राम पंचायत में जल निकायों की कुल संख्या		
	c	क्या जल निकायों पर अतिक्रमण हो गया है?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d	अतिक्रमण कब से देखा जा रहा है?		
	e	क्या जल निकाय के आस-पास की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है?		

25		जल आपूर्ति	
	a	घरेलू आपूर्ति के लिए ग्राम पंचायत में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल (2) भूजल (3) तालाब/झीलें (4) अन्य (5)	
	b	क्या उपरोक्त स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	
	c	घरों में पानी की आपूर्ति कैसे की जाती है? (एकाधिक विकल्प चुन सकते हैं) पाइप से जल आपूर्ति (1) पंचायत के भीतर सामान्य संग्रह बिंदु (2) पानी की टंकियाँ (3) महिलाओं/बच्चों द्वारा दूर से लाया गया (4) हैंडपंप (5) ऊंचा सतही जलाशय (6) कुंआ (7) अन्य (8) - निर्दिष्ट करें *यदि 4, तो प्रतिदिन तय की गई औसत दूरी?	
	d	पाइप से जलापूर्ति वाले घरों की संख्या?	
	e	क्या प्रवाह दर कम, अधिक या संतोषजनक है?	
	f	पाइप से जलापूर्ति की नियमितता 24*7 (1) बिल्कुल नियमित (2) अनियमित (3)	

g	ग्राम पंचायत में सिंचाई के लिए पानी का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल (2) भूजल: ट्यूबवेल (3ए); कुआ(3ख); तालाब/झीलें (4) पानी की टंकियाँ (5) नदी (6) अन्य (7)	
h	क्या उपरोक्त स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	
i	क्या आपूर्ति की प्रवाह दर कम, अधिक या संतोषजनक है?	
j	अतिरिक्त जानकारी (उदाहरण के लिए, क्या पानी की आपूर्ति घरों, कृषि और संबंधित गतिविधियों, उद्योगों के लिए पर्याप्त है; क्या पिछले कुछ वर्षों में भूजल, नदी या नहर से पानी की उपलब्धता बढ़ी है, घटी है या वही बनी हुई है? क्या सूखे या गर्मी के मौसम में पानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाता है?)	

iv. जलवायु धारणा

तापमान एवं वर्षा में बड़े परिवर्तन				
26				
a	ग्रीष्म ऋतु के महीनों का अवलोकन किया गया			
b	गर्मी के तापमान में देखा गया परिवर्तन (पिछले 5 वर्षों में)	गर्म दिनों की संख्या में वृद्धि	गर्म दिनों की संख्या में कमी	गर्म दिनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं
	दिनों की संख्या	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या			
d	अतिरिक्त जानकारी (ग्रीष्म ऋतु के महीनों में कोई भी बदलाव)			
27				
a	शीत ऋतु के महीनों का अवलोकन किया गया			
b	सर्दियों के तापमान में देखा गया परिवर्तन (पिछले 5 वर्षों में)	ठंड के दिनों की संख्या में वृद्धि	ठंडे दिनों की संख्या में कमी	ठंड के दिनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या			
d	अतिरिक्त जानकारी (शीत ऋतु के महीनों में कोई भी बदलाव)			

28				
a	मानसून के महीनों का अवलोकन किया			
b	मानसून के मौसम में वर्षा में देखा गया परिवर्तन (पिछले 5 वर्षों में)	वर्षा के दिनों की संख्या में वृद्धि	वर्षा के दिनों की संख्या में कमी	बरसात के दिनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या			
d	अतिरिक्त जानकारी (मानसून के महीनों में देखा गया कोई बदलाव)			
29				
a	क्या गैर-मानसूनी मौसम में (पिछले 5 वर्षों में) वर्षा में कोई बदलाव आया है?	वर्षा के दिनों की संख्या में वृद्धि	वर्षा के दिनों की संख्या में कमी	बरसात के दिनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	ग्रीष्म ऋतु की वर्षा में परिवर्तन देखा गया	वर्षा के दिनों की संख्या में वृद्धि	वर्षा के दिनों की संख्या में कमी	बरसात के दिनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या			
d	शीत ऋतु की वर्षा में देखा गया परिवर्तन	वर्षा के दिनों की संख्या में वृद्धि	वर्षा के दिनों की संख्या में कमी	बरसात के दिनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e	दिनों की संख्या			
f	अतिरिक्त जानकारी			

अत्यधिक मौसमी घटनाएँ

30 सूखा						
a	सूखे की घटना	वर्ष 1 (2022)	वर्ष 2 (2021)	वर्ष 3 (2020)	वर्ष 4 (2019)	वर्ष 5 (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	कौन से महीने में सूखा पड़ा?					
c	सूखे का प्रबंधन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता, कुँए खोदना, आदि)	पारिवारिक स्तर पर प्रबंधन:			कृषि स्तर पर प्रबंधन:	
d	सूखे की घटना कितनी बार हुई : सूखे की घटनाओं की घटना (पिछले 5 वर्षों में)	बढ़ी	कमी हुई	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त जानकारी (i)कोई भी प्रमुख पुरानी घटनाएँ; (ii) स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव					

31		बाढ़					
	a	बाढ़ की घटना	वर्ष 1 (2022)	वर्ष 2 (2021)	वर्ष 3 (2020)	वर्ष 4 (2019)	वर्ष 5 (2018)
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b	किन महीनों में बाढ़ आई?					
	c	बाढ़ का प्रबंधन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता, आदि)	पारिवारिक स्तर पर प्रबंधन:			कृषि स्तर पर प्रबंधन:	
	d	बाढ़ की घटनाएं कितनी बार हुईं: सूखे की घटनाओं की घटना (पिछले 5 वर्षों में)	बढ़ी	कमी हुई	कोई परिवर्तन नहीं		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	e	अतिरिक्त जानकारी (i)कोई भी प्रमुख पुरानी घटनाएँ; (ii) स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव					
32		भूस्खलन/ कीचड़ धंसाव					
	a	भू-स्खलन की घटना	वर्ष 1 (2022)	वर्ष 2 (2021)	वर्ष 3 (2020)	वर्ष 4 (2019)	वर्ष 5 (2018)
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b	भूस्खलन की घटना किस माह में हुई?					
	c	भूस्खलन का प्रबंधन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता, आदि)	पारिवारिक स्तर पर प्रबंधन:			कृषि स्तर पर प्रबंधन:	
	d	भूस्खलन की घटनाएं कितनी बार हुईं : भूस्खलन की घटनाओं की घटना (पिछले 5 वर्षों में)	बढ़ी	कमी हुई	कोई परिवर्तन नहीं		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	e	अतिरिक्त जानकारी (i)कोई भी प्रमुख पुरानी घटनाएँ; (ii) स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव					
33		ओलावृष्टि					
	a	ओलावृष्टि की घटना	वर्ष 1 (2022)	वर्ष 2 (2021)	वर्ष 3 (2020)	वर्ष 4 (2019)	वर्ष 5 (2018)
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b	ओलावृष्टि किस महीने में हुई?					
	c	ओलावृष्टि का प्रबंधन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता, आदि)	पारिवारिक स्तर पर प्रबंधन:			कृषि स्तर पर प्रबंधन:	
	d	ओलावृष्टि की घटनाएं कितनी बार हुईं : ओलावृष्टि की घटनाएँ (पिछले 5 वर्षों में)	बढ़ी	कमी हुई	कोई परिवर्तन नहीं		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
34		कीट/फसल रोग					
	a	कीटों/बीमारियों का प्रकोप	वर्ष 1 (2022)	वर्ष 2 (2021)	वर्ष 3 (2020)	वर्ष 4 (2019)	वर्ष 5 (2018)
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b	कीट/रोग किस महीने देखे गए?					
		कौन से कीट/बीमारी देखी गई?					
	c	कीट/रोगों का प्रबंधन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता, आदि)					

d	कीट/बीमारियों की आवृत्ति: कीट/बीमारी की घटनाओं की घटना (पिछले 5 वर्षों में)	बढ़ी	कमी हुई	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	अतिरिक्त जानकारी					

35 पंचायत में आपदा तैयारी					
		क्या आपदा प्रबंधन/तैयारी के उपाय ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध है?		क्या ग्रामीणों की इस तक पहुंच है?	
आपदा तैयारी के उपाय		हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
ग्रामीण आपदा प्रबंधन योजना		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

36			

37	
मोबाइल फ़ोन/ऐप्स	
मौखिक बात	
केवीके (कृषि विज्ञान केंद्र)	
पशुपालन विभाग	

	बागवानी विभाग	
	अन्य	

कृषि एवं इससे जुड़े गतिविधियों पर प्रभाव (पिछले 5 वर्षों में)							
38		फसल का नुकसान					
	a	घटित होने का वर्ष	नुकसान का मौसम खरीफ़ (1) रबी (2) जैद/अन्य समय (3)	फसल का नाम	नुकसान का कारण (बीमारी, चरम घटना - गर्मी, सर्दी, बारिश, ओले, मिट्टी आदि)	नुकसान की अनुमानित मात्रा (क्विंटल)	परिणामी आय में हानि (औसत रूप में)
		वर्ष 1 (2022)					
		वर्ष 2 (2021)					
		वर्ष 3 (2020)					
		वर्ष 4 (2019)					
		वर्ष 5 (2018)					
	b	क्या आप फसल बीमा के बारे में जानते हैं?	हाँ	नहीं			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		अतिरिक्त जानकारी (फसल बीमा वाले व्यक्ति कौन हैं- बड़े भूमि मालिक, छोटे और मध्यम किसान, आदि) फसल बीमा का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों का संतुष्टि स्तर क्या है?)					

39		फसल पैटर्न में बदलाव				
	a	सामान्य फसलें (नाम)	खरीफ	रबी	जैद/ अन्य मौसमी पौधे	
	b	फसल का नाम	परंपरागत बुआई का समय	पिछले 5 वर्षों में बुआई के समय में परिवर्तन देखा गया?	नई बुआई का समय	परिवर्तन का कारण
	c	अतिरिक्त जानकारी (कोई भी फसल जो नष्ट हो गई हो)				

40		सिंचाई पैटर्न में बदलाव				
	a	फसल का नाम	सिंचाई के लिए प्रयुक्त वर्तमान विधि स्प्रिंकलर (1) ड्रिप सिंचाई (2) नहर (3) वर्षा आधारित (4) पारंपरिक (5) अन्य (6)-निर्दिष्ट करें	वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा (रुपए प्रति एकड़)	उपयोग की गई पिछली सिंचाई विधि (रुपये प्रति एकड़)	पहले उपयोग किये गये पानी की मात्रा (रुपये प्रति एकड़)

	b	पंचायत में पंपों की संख्या	डीजल आधारित	विद्युत आधारित	सौर पंप	पारंपरिक पम्पिंग विधियाँ
	c	अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो				

41		पशुधन/पशुपालन					
	a	पंचायत डेयरी में प्रचलित पशुधन एवं पशुपालन पद्धतियाँ (1) मुर्गी पालन (2) मत्स्य पालन (3) सुअर पालन (4) मधुमक्खी पालन (5) अन्य-निर्दिष्ट करें (6)					
	b	डेयरी पर प्रभाव	खोए हुए पशु गाय (1) भैंस (2) अन्य (3)	खोए हुए पशुओं की संख्या (प्रत्येक पशु के लिए निर्दिष्ट करें)	खोने का कारण (तापमान, बाढ़, बीमारियाँ, आयु, दुर्घटनाएँ आदि)	खोए जाने का मौसम	उत्पादकता में देखा गया कोई परिवर्तन? बढ़ा हुआ (1) कमी (2) कोई परिवर्तन नहीं (3)
		वर्ष 1 (2022)					
		वर्ष 2 (2021)					
		वर्ष 3 (2020)					
		वर्ष 4 (2019)					
		वर्ष 5 (2018)					
		अतिरिक्त जानकारी					
	c	कुक्कुट पालन पर प्रभाव	खोए हुए पशु चिकन (1) बत्तखें (2) अन्य (3)	खोए हुए पशुओं की संख्या (प्रत्येक पशु को विनिर्दिष्ट करें)	खोने का कारण	खोए जाने का मौसम	उत्पादकता में कोई परिवर्तन देखा गया? बढ़ा हुआ (1) कमी (2) कोई परिवर्तन नहीं (3)
		वर्ष 1 (2022)					

		वर्ष 2 (2021)					
		वर्ष 3 (2020)					
		वर्ष 4 (2019)					
		वर्ष 5 (2018)					
		अतिरिक्त जानकारी					
	d	बकरियों और भेड़ों पर प्रभाव	खोया हुआ पशु बकरियाँ(1) भेड़ (2)	खोए हुए पशुओं की संख्या (प्रत्येक पशु को विनिर्दिष्ट करें)	खोने का कारण	खोए जाने का मौसम	उत्पादकता में कोई परिवर्तन देखा गया? बढ़ा हुआ (1) कमी (2) कोई परिवर्तन नहीं (3)
		वर्ष 1 (2022)					
		वर्ष 2 (2021)					
		वर्ष 3 (2020)					
		वर्ष 4 (2019)					
		वर्ष 5 (2018)					
		अतिरिक्त जानकारी					
	d	अन्य प्राणियों पर प्रभाव	खोए हुए पशु (पशु को विनिर्दिष्ट करें)	खोए हुए पशुओं की संख्या (प्रत्येक पशु को विनिर्दिष्ट करें)	खोने का कारण	खोए जाने का मौसम	उत्पादकता में कोई परिवर्तन देखा गया? बढ़ा हुआ (1) कमी (2) कोई परिवर्तन नहीं (3)
		वर्ष 1 (2022)					
		वर्ष 2 (2021)					
		वर्ष 3 (2020)					
		वर्ष 4 (2019)					
		वर्ष 5 (2018)					
		अतिरिक्त जानकारी					

V. कृषि एवं पशुधन

42 a		उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें और उनसे संबंधित जानकारी											
		उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें और उनसे संबंधित जानकारी			उर्वरक का उपयोग			कीटनाशकों का उपयोग			खरपतवारनाशी का उपयोग		
		मौसम	क्षेत्रफल (एकड़)	उपज (क्विंटल)	प्रयुक्त उर्वरक का प्रकार	प्रयुक्त औसत मात्रा (किग्रा/एकड़)	पिछले 5 वर्षों में उर्वरक की मात्रा का उपयोग हुआ है बढ़ा हुआ (1) कमी (2) कोई परिवर्तन नहीं (3)	प्रयुक्त कीटनाशक का प्रकार	प्रयुक्त औसत मात्रा (किग्रा/एकड़)	पिछले 5 वर्षों में उर्वरक की मात्रा का उपयोग हुआ है बढ़ा हुआ (1) कमी (2) कोई परिवर्तन नहीं (3)	प्रयुक्त खरपतवारनाशी का प्रकार	प्रयुक्त औसत मात्रा (किग्रा/एकड़)	पिछले 5 वर्षों में उर्वरक की मात्रा का उपयोग हुआ है बढ़ा हुआ (1) कमी (2) कोई परिवर्तन नहीं (3)
	फसल (कृषि भूमि पर फसलें, बागवानी, फूलों की खेती आदि सम्मिलित हैं)												

43 जैविक खेती का अभ्यास					
फसल	क्षेत्र	प्रति इकाई फसल से आय (रुपये/क्विटल)	बाज़ार जहाँ फसल बिकती है	तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणित/सत्यापित	

44 अन्य सतत कृषि पद्धतियाँ (जैसे शून्य बजट प्राकृतिक खेती)				
फसल	सतत अभ्यास (शून्य जुताई, मल्लिचिंग, फसल चक्र, अंतर फसल, वर्मिकम्पोस्ट, उर्वरक, मिश्रित फसल जीवित जड़, प्राकृतिक कीट प्रबंधन, जैविक अवशेषों को बढ़ाना, अन्य)	क्षेत्रफल (एकड़)	प्रति इकाई फसल से अर्जित की गई आय	

45 कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, बंजर भूमि विकास और अन्य वृक्षारोपण गतिविधियाँ										
वृक्षारोपण गतिविधि के प्रकार	कवर किया गया क्षेत्र	स्थान	प्रयुक्त योजना: राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन (1) एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (2) वर्षा सिंचित क्षेत्र कार्यक्रम (3) मनरेगा (4) वृक्षारोपण जन आंदोलन (5) अन्य (6) - विनिर्दिष्ट करें	एकल कृषि (1) मिश्रित प्रजातियाँ (2)	रोपी गई प्रजातियाँ	आरंभ की तिथि	% सफलता	कृषि-वानिकी गतिविधि का उपयोग करने या उससे लाभ उठाने के लिए लोगों तक पहुंच/अवसर	पिछले 10 वर्षों में पहुंच/अवसर में परिवर्तन। वृद्धि (1) कमी (2) कोई परिवर्तन नहीं (3)	परिवर्तन का कारण: लाभप्रदता में वृद्धि (1) प्रजाति संबंधी (2) वनों की कटाई (3) अन्य (4) - विनिर्दिष्ट करें

46	सतत पशुधन प्रबंधन के लिए अपनाई गई तकनीकें			
	पशुधन प्रकार	जीपी में कुल संख्या (लगभग)	अपनाई गई प्रथाएं (आहार परिवर्तन, पोषक तत्वों की खुराक, खुले में चराई आदि)	प्रति इकाई पशु उत्पन्न औसत आय
	गायें (स्वदेशी)			
	गायें (संकर)			
	भैंस (स्वदेशी)			
	भैंस (संकर)			
	बकरी			
	भेड़			
	सुअर			
	मुर्गी पालन			
	मछली पालन			
	अन्य			

vi. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

47	जल की गुणवत्ता (पीने के पानी या घरों को आपूर्ति किए जाने वाले पानी की)						
a	आपूर्ति किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता कैसी है?	उपयुक्त	अनुपयुक्त				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
b	पानी का स्वाद कैसा लगता है?	कड़वा	नमकीन	सामान्य			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
c	आपूर्ति किए जाने वाले जल में सामान्य संदूषक क्या हैं?	लवण	गंदलापन	मलिनकिरण	कीचड़/रेत	गंध	
d	जल को शुद्ध करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करते हैं?	उबलना	पानी शुद्ध करने वाला यंत्र	आयोडीन (फिटकरी) का मिश्रण	सौर शुद्धिकरण	मिट्टी के बर्तन से निस्पंदन	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

48	ठोस अपशिष्ट उत्पादन/अपशिष्ट प्रबंधन						
a	आपके घर से प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला औसत कचरा।						

b	आपके जीपी में कचरा कैसे एकत्र किया जाता है?						
c	अपशिष्ट संग्रहण कितनी बार होता है?	<input type="checkbox"/> प्रतिदिन	<input type="checkbox"/> साप्ताहिक	<input type="checkbox"/> वैकल्पिक दिन			
		हाँ	नहीं				
d	क्या आपके क्षेत्र में कोई सार्वजनिक स्थान है जहाँ कूड़ा डाला जा सके? यदि हां, तो कृपया अपने जीपी से स्थान या दूरी का उल्लेख करें।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	जीपी /जीपी के भीतर स्थान से दूर_____			
e	क्या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में कोई सामान्य कूड़ेदान रखे गए हैं?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
f	क्या आप कचरे को सूखे और गीले कचरे की श्रेणी में अलग करते हैं?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
h	आप घरेलू स्तर पर कचरे का निपटान कैसे करते हैं?	पुनर्चक्रण	उर्वरक	कृमि उर्वरक	अपशिष्ट	जलना	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

49	ओडीएफ की स्थिति					
a	क्या आपका गांव ओडीएफ/ओडीएफ+ घोषित हो गया है?	<input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं			
b	ऐसे परिवारों की संख्या जिनके पास अपना शौचालय है	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
c	सामुदायिक शौचालय/इज्जतघरों की संख्या	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		मुख्य स्थान	
d	क्या शौचालयों का उपयोग किया जा रहा है? (हां नहीं)					
e	यदि शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो क्यों? (साफ-सफाई की कमी, रख-रखाव की कमी, बहुत दूर आदि)					

50	व्यर्थजल	घरेलू	वाणिज्यिक	औद्योगिक	कृषि पद्धतियाँ	मलजल
a	अपशिष्ट जल के स्रोत क्या हैं?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा (प्रतिदिन लीटर में अनुमानित)					

c	गाँव में किया गया अपशिष्ट जल उपचार, यदि कोई हो				
d	अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण या पुनः उपयोग प्रथाएं, यदि कोई हों				
51	स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा				
	स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों की उपलब्धता	हाँ	नहीं	उपलब्ध छत के उपार क्षेत्र (एम2)	
a	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
b	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
c	स्वास्थ्य उपकेंद्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
d	आंगनवाड़ी	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	आशा	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
f	स्वास्थ्य शिविर/मेला	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
g	डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

52	रोग								
	पिछले 1 वर्ष में कितने लोग निम्नलिखित रोगों से प्रभावित हुए?	प्रभावित व्यक्तियों की कुल संख्या प्रभावित बच्चों की संख्या	प्रभावित आयु वर्ग			चुना गया सामान्य उपचार का विकल्प			
			प्रभावित वयस्कों की संख्या	प्रभावित वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (विनिर्दिष्ट करें)	घर की देखभाल	घर-घर	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	
a	वेक्टर जनित रोग (मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि)						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b	जल जनित रोग (हैजा/डायरिया/ टाइफाइड/ हेपेटाइटिस आदि)						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c	श्वसन संबंधी बीमारियाँ जो वायु प्रदूषण के कारण हो सकती हैं (इनडोर और आउटडोर)						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d	कुपोषण						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

VII. ऊर्जा

53		
a	आपकी ग्राम पंचायत में कुल कितने घरों में विद्युतीकरण हुआ?	
b	जीपी में निम्नलिखित उपकरणों की अनुमानित संख्या	
	एयर कंडिशनर	
	एयर कूलर	
	रेफ्रिजरेटर	

54		बिजली की कटौती कितनी बार होती है
a	दिन में कुछ ही बार	<input type="checkbox"/>
	प्रतिदिन एक बार	<input type="checkbox"/>
	कोई बिजली कटौती नहीं	<input type="checkbox"/>
b	प्रतिदिन कितने घंटे बिजली गुल?	
	यदि प्रतिदिन नहीं तो प्रति सप्ताह कितने घंटे बिजली की कटौती होती?	

55		वोल्टेज के उतार-चढ़ाव की आवृत्ति क्या है?
	दिन में कुछ ही बार	<input type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	कोई उतार-चढ़ाव नहीं	<input type="checkbox"/>

56	पॉवर आउटेज के दौरान उपयोग किया जाना वाला पॉवर बैकअप का साधन है?	संख्या
	डीजल जनरेटर	
	सौर	
	आपातकालीन लाइट	
	इन्वर्टर	
	अन्य साधन (विनिर्दिष्ट करें)	

57		ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत		
a	क्या गाँव में निम्नलिखित में से किसी की कोई अधिष्ठापना हुई है?	संस्थापनों की संख्या	संस्थापित कुल क्षमता (किलोवाट)	
	घरों में सौर रूफटॉप की अधिष्ठापना			
	स्कूलों में सौर रूफटॉप की अधिष्ठापना			
	अस्पतालों में सौर छत की अधिष्ठापना			
	ग्राम पंचायत भवनों में सौर रूफटॉप की अधिष्ठापना			
	अन्य सौर छत की अधिष्ठापना			
	सौर स्ट्रीट लाइट			
	बायोगैस			
	विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा/मिनी ग्रिड?			
b	क्या आप सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए उपलब्ध सब्सिडी के बारे में जानते हैं? (कुछ योजनाएं/कार्यक्रम बताएं)			

58		खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन	परिवारों की संख्या	प्रति परिवार उपयोग की जाने वाली औसत मात्रा (किलो/माह)
		पारंपरिक बायोमास (गाय का गोबर/ईंधन की लकड़ी)		
		बायोगैस		
		रसोई गैस		
		बिजली		
		सौर		
		अन्य (कोयला, मिट्टी का तेल, लकड़ी का कोयला आदि)		
59		वाहनों की संख्या		
		वाहन का प्रकार	ग्राम पंचायत में वाहनों की संख्या (लगभग)	प्रयुक्त ईंधन का प्रकार
a		जीप		तय की गई औसत दूरी (किमी/दिन)
b		कारें		
c		दुपहिया वाहन		

	d	ईवीएस			
	e	ऑटो			
	f	ई-रिक्शा			
	g	अन्य			

60	कृषि मशीनरी	पंचायत में मशीनों की संख्या	प्रयुक्त ईंधन का प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी/दिन)
a	ट्रैक्टर			
b	फ़सल काटने की मशीन			
c	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें)			

61	ग्राम पंचायत के भीतर स्थित पेट्रोल पंप (यदि कोई हो)									
	ईंधन का प्रकार	प्रति दिन बिक्री	ये पंप कितने गांवों की जरूरतों को पूरा करते हैं? ट्रैक्टर	एक दिन या महीने में पंप से विभिन्न प्रकार के कितने वाहन ईंधन लेते हैं (समय अवधि विनिर्दिष्ट करें)?						
				कृषि मशीनरी	जीप	कार	दो पहिया	ऑटो	ई-रिक्शा	अन्य
a	पेट्रोल									
b	डीज़ल									

62	उद्योग			
	उद्योग के प्रकार	संख्या	ऊर्जा का स्रोत ग्रिड बिजली (1) डीज़ल जेनरेटर (2) नवीकरणीय ऊर्जा (3)	ऊर्जा की खपत प्रति माह उपयोग की जाने वाली बिजली (किलोवाट) प्रयुक्त ईंधन (लीटर/दिन)

अनुलग्नक III: एसएपीसीसी 2.0 से जिला सुभेद्यता का मानचित्रण

क्र. सं.	जिला का नाम	कृषि सुभेद्यता सूचकांक (एवीआई)	जल भेद्यता सूचकांक (डब्ल्यूवीआई)	वन सुभेद्यता सूचकांक (एफवीआई)	विद्युत् ऊर्जा सुभेद्यता सूचकांक (ईवीआई)	ग्रामीण सुभेद्यता सूचकांक (आरडीवीआई)	शहरी सुभेद्यता सूचकांक (यूडीवीआई)	स्वास्थ्य सुभेद्यता सूचकांक (एचवीआई)	आपदा प्रबंधन ईएनटी सुभेद्यता सूचकांक (डीएमवीआई)	समग्र सुभेद्यता सूचकांक
1	आगरा	कम	बहुत उच्च	उच्च	बहुत कम	कम	मध्यम	कम	कम	बहुत उच्च
2	अलीगढ़	कम	बहुत उच्च	उच्च	मध्यम	कम	बहुत उच्च	मध्यम	उच्च	उच्च
3	अमेठी ⁴⁰	मध्यम	उच्च	मध्यम	उच्च	उच्च		मध्यम	मध्यम	मध्यम
4	औरिया	कम	कम	उच्च	उच्च	मध्यम		कम	मध्यम	मध्यम
5	बदायूं	मध्यम	बहुत उच्च	बहुत उच्च	बहुत उच्च	बहुत उच्च		बहुत उच्च	बहुत उच्च	बहुत उच्च
6	बहराइच	उच्च	मध्यम		बहुत उच्च	बहुत उच्च		बहुत उच्च	बहुत उच्च	कम
7	बलरामपुर	बहुत उच्च	कम	कम	बहुत उच्च	बहुत उच्च		बहुत उच्च	बहुत उच्च	मध्यम
8	बाँदा	बहुत उच्च		बहुत उच्च	उच्च	मध्यम		मध्यम	उच्च	मध्यम
9	चंदौली	बहुत कम	कम	बहुत कम	उच्च	मध्यम		कम	मध्यम	कम
10	चित्रकूट	बहुत उच्च	मध्यम	मध्यम	उच्च	मध्यम		मध्यम	उच्च	मध्यम
11	एटा	बहुत कम	उच्च	बहुत उच्च	उच्च	मध्यम		मध्यम	मध्यम	बहुत उच्च
12	फर्रुखाबाद	कम	मध्यम	मध्यम	उच्च	उच्च		उच्च	उच्च	उच्च
13	गोंडा	उच्च	उच्च	उच्च	बहुत उच्च	उच्च		मध्यम	उच्च	कम
14	हमीरपुर	उच्च	बहुत कम	कम	उच्च	कम		कम	मध्यम	कम
15	हरदोई	उच्च	बहुत उच्च	बहुत उच्च	उच्च	बहुत उच्च		उच्च	उच्च	उच्च
16	जौनपुर	मध्यम	मध्यम	उच्च	उच्च	मध्यम		मध्यम	मध्यम	मध्यम
17	झाँसी	मध्यम	कम	कम	मध्यम	बहुत कम		बहुत कम	बहुत कम	उच्च
18	कन्नौज	कम		बहुत उच्च	उच्च	उच्च		मध्यम	मध्यम	बहुत उच्च
19	कानपुर देहात	उच्च	मध्यम	उच्च	बहुत उच्च	मध्यम		कम	कम	उच्च
20	कानपुर नगर	मध्यम	मध्यम	मध्यम	कम	कम	बहुत कम	बहुत कम	बहुत कम	बहुत उच्च

⁴⁰ यूपी एसएपीसीसी 2.0 अमेठी के लिए क्षेत्रीय भेद्यता वर्ग प्रदान नहीं करता है

क्र. सं.	जिला का नाम	कृषि सुभेद्यता सूचकांक (एवीआई)	जल भेद्यता सूचकांक (डब्ल्यूवीआई)	वन सुभेद्यता सूचकांक (एफवीआई)	विद्युत् ऊर्जा सुभेद्यता सूचकांक (ईवीआई)	ग्रामीण सुभेद्यता सूचकांक (आरडीवीआई)	शहरी सुभेद्यता सूचकांक (यूडीवीआई)	स्वास्थ्य सुभेद्यता सूचकांक (एचवीआई)	आपदा प्रबंधन ईएनटी सुभेद्यता सूचकांक (डीएमवीआई)	समग्र सुभेद्यता सूचकांक
21	कासगंज	कम	बहुत उच्च	बहुत उच्च	उच्च	उच्च		उच्च	बहुत उच्च	उच्च
22	कौशांबी	मध्यम	उच्च		उच्च	उच्च		मध्यम	उच्च	कम
23	ललितपुर	मध्यम	बहुत कम	उच्च	उच्च	मध्यम		मध्यम	मध्यम	बहुत उच्च
24	महोबा	उच्च	कम	मध्यम	उच्च	मध्यम		कम	मध्यम	उच्च
25	मैनपुरी	कम	मध्यम	बहुत उच्च	उच्च	मध्यम		कम	मध्यम	बहुत उच्च
26	मथुरा	कम	उच्च	बहुत उच्च	मध्यम	कम		कम	कम	बहुत उच्च
27	मिर्जापुर	मध्यम	मध्यम	कम	उच्च	मध्यम		मध्यम	मध्यम	उच्च
28	मुरादाबाद	कम	बहुत उच्च	उच्च	मध्यम	उच्च	मध्यम	उच्च	उच्च	उच्च
29	प्रतापगढ़	मध्यम	उच्च	मध्यम	उच्च	मध्यम		मध्यम	कम	कम
30	रायबरेली	कम	उच्च		उच्च	उच्च		कम	मध्यम	मध्यम
31	रामपुर	बहुत कम	कम	उच्च	उच्च	उच्च		मध्यम	उच्च	उच्च
32	संत कबीर नगर		मध्यम		बहुत उच्च			कम	मध्यम	मध्यम
33	संत रविदास नगर	मध्यम	बहुत उच्च	कम	उच्च	उच्च		मध्यम	उच्च	मध्यम
34	शाहजहाँपुर आर	कम	उच्च		उच्च	बहुत उच्च		बहुत उच्च	बहुत उच्च	उच्च
35	श्रावस्ती		उच्च	मध्यम	बहुत उच्च	बहुत उच्च		बहुत उच्च	बहुत उच्च	मध्यम
36	सुल्तानपुर आरटी नगर	मध्यम	बहुत कम	उच्च	बहुत उच्च	बहुत उच्च		बहुत उच्च	बहुत उच्च	मध्यम
37	सीनभद्र	मध्यम	कम	कम	उच्च	मध्यम		मध्यम	मध्यम	बहुत उच्च
38	सुल्तानपुर	मध्यम		मध्यम	उच्च	उच्च		मध्यम	कम	उच्च
39	उन्नाव	मध्यम	मध्यम	मध्यम	बहुत उच्च	उच्च		कम	मध्यम	मध्यम

अनुलग्नक IV: ग्राम पंचायत रूपरेखा प्रारूप

ग्राम पंचायत (जीपी) रूपरेखा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण शीर्षक सम्मिलित हैं:

i. ग्राम पंचायत एक नजर में

स्थान, क्षेत्र, प्रशासनिक संरचना, जनसांख्यिकी रूपरेखा, भूमि उपयोग वितरण, कृषि-जलवायु क्षेत्र (जलवायु, अधिकतम और न्यूनतम तापमान, वार्षिक वर्षा, मिट्टी का प्रकार और फसलें)

ii. जलवायु परिवर्तनशीलता और संवेदनशीलता प्रोफाइल

a. **जलवायु परिवर्तनशीलता:** प्रवृत्ति: पिछले 3 दशकों में तापमान और वर्षा में रुझान और सामुदायिक जलवायु धारणा/अनुभव (जीपी ग्राम पंचायत हेतु के लिए जलवायु परिवर्तनशीलता विश्लेषण हेतु, निकटतम आईएमडी स्टेशन से डेटा बिंदुओं का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि कोई जीपी ग्राम पंचायत में कोई विशिष्ट डेटा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा अतिरिक्त, उपग्रहों के माध्यम से उपलब्ध ग्रिडयुक्त मौसम डेटा बहुत बड़े स्थानिक पैमाने का है (उदाहरण के लिए, 25 किमी * 25 किमी ग्रिड), इस प्रकार निकटतम आईएमडी स्टेशन डेटा अधिक विश्वसनीय और सटीक होगा)

b. **जलवायु संवेदनशीलता :** ग्राम पंचायत की संवेदनशीलता संबंधित जिले की संवेदनशीलता के मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित की जाती है⁴¹। किसी क्षेत्र की संवेदनशीलता मोटे तौर पर निम्नलिखित पर निर्भर करती है:

जलवायु
परिवर्तनशीलता

समुदाय की सामाजिक
रूपरेखा

आर्थिक रूपरेखा

iii. मुख्य आर्थिक गतिविधियाँ

ग्राम पंचायत में परिवारों के लिए आय के स्रोत, प्राथमिक आय के स्रोत, परिवारों का आय-वार वर्गीकरण परिवारों और राशन कार्ड लाभार्थी।

iv. महिलाओं के रोजगार की स्थिति

महिला प्रधान परिवार, आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी और ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह एवं उनके काम का प्रकार।

v. कृषि

- कृषि: शुद्ध बोया गया क्षेत्र, सकल फसल क्षेत्र, फसलवार उपज और भूमि क्षेत्र रूपरेखा और सिंचाई का प्रकार।
- पशुधन: पशुपालन में लगे परिवार और पशुधन प्रकार-वार जनसंख्या की रूपरेखा।

vi. प्राकृतिक संसाधन

वन भूमि, जल निकाय, वानिकी गतिविधियाँ और अन्य जैसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रकार और विवरण।

vii. ग्राम पंचायत की सुविधाएं

- बिजली और एलपीजी: घरों में पहुंच और कवरेज
- जल आपूर्ति: जलापूर्ति का प्राथमिक स्रोत और घरों में पाइप द्वारा जलापूर्ति कवरेज
- अपशिष्ट: खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति और घरेलू शौचालय कवरेज।
- गतिशीलता और बाजार तक पहुंच: निकटतम राजमार्ग से कनेक्टिविटी, निकटतम रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कृषि बाजार, राशन की दुकान, डाकघर, बैंक आदि से दूरी।
- शिक्षा: प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च विद्यालयों, महाविद्यालयों/संस्थानों और आंगनवाड़ी का विवरण।
- स्वास्थ्य: प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं, आशा केंद्र आदि का विवरण।

41 ग्राम पंचायत स्तरीय क्षेत्रवार भेद्यता के अलावा, ग्राम पंचायत की जलवायु भेद्यता के लिए यूपी एसएपीसीसी 2.0 से जिला भेद्यता का संदर्भ लिया जा सकता है।

अनुलग्नक V: राष्ट्रीय दृष्टिकोण और जलवायु लक्ष्य

- a) राष्ट्रीय सौर मिशन को यूपी राज्य सौर नीति 2023 के साथ पढ़ा जाएगा
- b) ई-मोबिलिटी का लक्ष्य -30% वर्ष 2030 तक
- c) भारत के एनडीसी (नॅशनली डेटर्मिन्ड कंट्रिब्यूशंस) लक्ष्य:
 - वर्ष 2005 के उत्सर्जन स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत कम करना।
 - अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण।
 - वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50 प्रतिशत संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता।
- d) आत्मनिर्भर भारत
- e) पर्यावरण के लिए मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट (लाइफ)

अनुलग्नक VI: CSGPAP को लागू करने में सहायक योजनायें और विभाग

क्र. सं.	एलएसडीजी थीम	योजना का नाम	कार्यान्वयन विभाग	मानव संसाधन जो जीपी स्तर पर सहायता कर सकते हैं
1-	गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका वाला गाँव	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	ग्रामीण ग्राम्य विकास	<ul style="list-style-type: none"> ▪ आशा स्वास्थ्य - कर्मी ▪ डॉक्टर ▪ आंगनबाडी कार्यकर्त्री ▪ कृषि से संबंधित पदाधिकारी ▪ शिक्षा मित्र एवं शिक्षक ▪ सीआरपी (समुदाय संसाधन व्यक्ति) ▪ बैंकर्स ▪ रोजगार सेवक ▪ सामाजिक कार्यकर्ता ▪ पीटीए(अभिभावक शिक्षक संघ)/विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) ▪ स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ▪ प्राइवेट सेक्टर ▪ गैर-सरकारी संगठन और सीबीओ (समुदाय आधारित संगठन) ▪ स्थानीय विशेषज्ञ
		दीन दयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई)-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	ग्रामीण ग्राम्य विकास	
		प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण	ग्रामीण ग्राम्य विकास	
		राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	ग्रामीण ग्राम्य विकास	
		बाज़ार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमएलएस-पीएसएस)	कृषि	
		कौशल विकास (अम्ब्रेला योजना)	कौशल विकास	
		प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	एमएसएमई	
		प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना	श्रम विभाग	
		रोजगार प्रोत्साहन योजना	श्रम विभाग	
		प्रधानमंत्री मुद्रा योजना	श्रम विभाग	
		प्रधानमंत्री जनधन योजना	वित्तीय सेवा विभाग	
		अनुसूचित जाति और अन्य कमजोर समूहों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम	समाज कल्याण	
		जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए से टीएसएस)	जनजातीय मामले (ट्राइफेड)	

		फिटिंग उपकरणों की खरीद के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता (एडीआईपी)	विकलांग कल्याण विभाग	
		अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम	(दिव्यांगजन)	
		अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग	
		10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन	जनजातीय मामले (ट्राइफेड)	
		कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत आय सृजन योजनाएं		
		ई-श्रम	श्रम	
		प्रधानमंत्री कृषि सम्पदा योजना	कृषि	
2-	स्वस्थ गांव	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	स्वास्थ्य विभाग	<ul style="list-style-type: none"> ▪ सहायक नर्स और दाई (एएनएम) ▪ डॉक्टर ▪ आशाआंगनबाडी कार्यकर्त्री ▪ शिक्षक, विभिन्न विभागों से जुड़े सरकारी अधिकारी ▪ स्वयं सहायता समूहवीएचएसएनसी (ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति) ▪ आंगनवाड़ी निगरानी समिति ▪ सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (सीआरपी)
		सघन मिशन इंद्रधनुष	स्वास्थ्य विभाग	
		राष्ट्रीय आयुष मिशन	आयुष	
		आईसीडीएस (एकीकृत बाल विकास योजना)	महिला एवं बालकल्याण	
		मातृ वंदना योजना	स्वास्थ्य	
		पोषण अभियान	स्वास्थ्य	
		राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	पंचायती राज	
		स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - ग्रामीण	स्वास्थ्य	
		राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (आयुष्मान भारत)	स्वास्थ्य	

		राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	स्वास्थ्य	<ul style="list-style-type: none"> रोगी कल्याण समिति युवा गैर सरकारी संगठन/सीबीओ
		राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	स्वास्थ्य	
		गैर-संचारी रोगों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	स्वास्थ्य	
		राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम	स्वास्थ्य	
		राष्ट्रीय पोषण	स्वास्थ्य	
		एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम	स्वास्थ्य	
		राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	स्वास्थ्य	
3-	बाल हितैषी गांव	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	स्वास्थ्य	<ul style="list-style-type: none"> आईसीडीएस पर्यवेक्षक आशा, डॉक्टर आंगनबाडी कार्यकर्त्री शिक्षा मित्र, शिक्षक स्वास्थ्य - कर्मी पुलिस बाल संरक्षण अधिकारी अन्य एजेंसियां, अन्य विभाग के अधिकारी, खेल अधिकारी और संघ स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और उनके संघ एनआरएलएम सीआरपी रोज़गारसेवक पीटीए (अभिभावक शिक्षक संघ)/स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) वीएलसीपीसी (ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति) वीएचएसएनसी (ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति)
		पोषण अभियान	महिला एवं बाल विकास कल्याण	
		बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	महिला एवं बाल विकास कल्याण	
		समग्र शिक्षा	शिक्षा	
		1098 चाइल्ड हेल्पलाइन	महिला एवं बाल विकास कल्याण	
		मध्याह्न भोजन योजना	शिक्षा	
		आयुष्मान भारत (राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन)	स्वास्थ्य	
		अंब्रेला एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना	महिला एवं बाल विकास कल्याण	
		एकीकृत बाल संरक्षण योजना	महिला एवं बाल विकास कल्याण	
		खेलो इंडिया	खेल	
		फिट इंडिया मूवमेंट	खेल	
		15वें वित्त आयोग अनुदान	पंचायती राज	
		राज्य वित्त आयोग अनुदान	पंचायती राज	
		एमजीएनआरईजीएस (मनरेगा)	ग्रामीण ग्राम्य विकास	

		स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम	स्वास्थ्य	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय विशेषज्ञ सामाजिक कार्यकर्ता गैर सरकारी संगठन/सीबीओ (समुदाय आधारित संगठन)
		किशोरियों के लिए योजना (एसएजी)	महिला एवं बाल विकास कल्याण	
		मिशन वात्सलय	महिला एवं बाल विकास कल्याण	
		सुकन्या समृद्धि योजना (मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना)	महिला एवं बाल विकास कल्याण	
4-	जल पर्याप्त गांव	जल जीवन मिशन	ग्राम्य विकास	<ul style="list-style-type: none"> जल आपूर्ति योजना संचालक राजमिस्त्री मनरेगा के पंजीकरणकर्ता रोजगार सेवक स्वास्थ्य - कर्मी शिक्षक पेयजल एवं स्वच्छता और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और पदाधिकारी एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) स्वच्छता दूत वीडब्ल्यूएससी (ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति) या पानी समितियां वीएचएसएनसी (ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति) स्वास्थ्य - कर्मी युवा गैर सरकारी संगठन/सीबीओ (समुदाय आधारित संगठन)
		राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)	ग्राम्य विकास	
		स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	पंचायती राज	
		महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन	महिला एवं बाल कल्याण	
		राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (एनआरसीपी)	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	
		नदी बेसिन प्रबंधन	सिंचाई एवं जल संसाधन	
		राष्ट्रीय गंगा योजना और घाट कार्य	सिंचाई एवं जल संसाधन	
		राष्ट्रीय जल मिशन	सिंचाई एवं जल संसाधन	
		नदियों को आपस में जोड़ना	सिंचाई एवं जल संसाधन	
		बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्रीय कार्यक्रम	सिंचाई एवं जल संसाधन	
		मनरेगा	ग्राम्य विकास	
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	कृषि एवं किसान कल्याण	
		जल स्रोतों के सूचना सम्बन्धी प्रणाली का विकास	सिंचाई (जल कल) और रिमोट सेंसिंग	
भूजल प्रबंधन और विनियमन	सिंचाई (जल कल) और रिमोट सेंसिंग			

		प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	
		रुर्बन	ग्राम्य विकास	
5-	स्वच्छ एवं हरित गांव	राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (एनआरसीपी)	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	<ul style="list-style-type: none"> ▪ कृषि विभाग ▪ कृषि विज्ञान केन्द्र ▪ राजस्व विभाग ▪ सरकारी विभाग के अधिकारी (बिजली जैसे विभाग, ▪ नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण विकास, नागरिक आपूर्ति) ▪ पर्यटन विभाग ▪ शिक्षण संस्थानों ▪ तकनीकी और शैक्षणिक संस्थान जैसे आईटीआई, पॉलिटैक्निक और अनुसंधान संस्थान ▪ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ▪ एसएचजी ▪ स्वास्थ्य और स्वच्छता कार्यकर्ता ▪ जल आपूर्ति योजना संचालक ▪ स्वच्छता दूत, पर्यावरणविद ▪ मनरेगा के पंजीकरणकर्ता ▪ राजमिस्त्री, पारंपरिक किसान और मजदूर ▪ एनजीओ
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)	सिंचाई (जल कल)	
		राष्ट्रीय जल मिशन	ग्राम्य सिंचाई	
		महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	ग्राम्य विकास	
		दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)	उर्जा	
		स्वच्छ भारत मिशन	पंचायती राज	
		गोबरधन योजना	ग्राम्य विकास	
		राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	
		एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)	ग्राम्य विकास	
		राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	ग्राम्य विकास	
		ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम	यूपीनेडा	
		सौर पार्को का विकास	यूपीनेडा	
		पीएम-कुसुम	यूपीनेडा	
		राष्ट्रीय बायोगैस और उर्वरक प्रबंधन	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	
		15वाँ एवं राज्य वित्त आयोग अनुदान	पंचायती राज	
हरित भारत मिशन	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन			

6-	आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गाँव	एमजीएनआरईजीएस	ग्राम्य विकास	<ul style="list-style-type: none"> ▪ आशास्वास्थ्य - कर्मी ▪ आंगनबाडी कार्यकर्त्री ▪ कृषि से संबंधित ग्राम स्तरीय पदाधिकारी ▪ पानी की टंकी ऑपरेटर ▪ शिक्षा मित्र एवं शिक्षक ▪ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) सीआरपी ▪ बैंकर्स ▪ विभाग और एजेंसियाँ ▪ रोजगार सेवक ▪ सामाजिक कार्यकर्ता ▪ पीटीए (अभिभावक शिक्षक संघ) / विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) ▪ स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ▪ प्राइवेट सेक्टर ▪ गैर-सरकारी संगठन और सीबीओ (समुदाय आधारित संगठन) ▪ स्थानीय विशेषज्ञ
		प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	ग्राम्य विकास	
		पीएमएवाई (ग्रामीण)	ग्राम्य विकास	
		जल-जीवन मिशन	ग्राम्य विकास	
		स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	पंचायती राज	
		श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन	ग्राम्य विकास	
		राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	हथकरघा और कपड़ा	
		सांसद आदर्श ग्राम योजना	ग्राम्य विकास	
		राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	ग्राम विकास	
		ग्रिड कनेक्टेड सौर रूफटॉप कार्यक्रम एवं पीएम - कुसुम	यूपीनेडा	
		सौर पार्को का विकास	यूपीनेडा	
		समग्र शिक्षा	शिक्षा	
		15वें वित्त आयोग अनुदान	पंचायती राज	
		राज्य वित्त आयोग अनुदान	पंचायती राज	
डेयरी उद्योग विकास योजना (डीईडीएस)	नाबार्ड			
7-	सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव	प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM)	श्रम	<ul style="list-style-type: none"> ▪ साक्षरता कर्मी ▪ आशा ▪ स्वास्थ्य - कर्मी ▪ डॉक्टर ▪ शिक्षकों ▪ आंगनबाडी कार्यकर्ता ▪ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) समुदाय
		राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	ग्राम्य विकास	
		महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	ग्राम्य विकास	
		दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डी एवाई- एनआरएलएम)	ग्राम्य विकास	

		प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना	श्रम	
		प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य क्रेडिट सहायता योजनाएं	एमएसएमई	
		प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)	श्रम	
		महिला हेल्पलाइन	महिला एवं बाल कल्याण	
		चाइल्डलाइन 1098	महिला एवं बाल कल्याण	
		एकीकृत बाल विकास योजना	महिला एवं बाल कल्याण	
		समग्र शिक्षा अभियान	शिक्षा	
		वन-स्टॉप सेंटर	महिला एवं बाल कल्याण	
		एकीकृत बाल संरक्षण योजना	महिला एवं बाल कल्याण	
		पोषण अभियान	महिला एवं बाल कल्याण	
		बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	महिला एवं बाल कल्याण	
		अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोचिंग, मार्गदर्शन और छात्रवृत्ति	समाज कल्याण	
8-	सुशासन वाला गांव	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	पंचायती राज	
		15वें वित्त आयोग अनुदान	पंचायती राज	
		राज्य वित्त आयोग अनुदान	पंचायती राज	
		दीन दयाल अन्त्योदय योजना (डीएवाई-एनआरएलएम)	ग्रामीण विकास	
		महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	ग्रामीण विकास	
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ संसाधन व्यक्ति (सीआरपी) ▪ सामाजिक न्याय विभाग ▪ पुलिस/गृह विभाग ▪ वीएचएसएनसी (ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति) ▪ एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) ▪ रोजगार सेवक ▪ सामाजिक कार्यकर्ता, ▪ पीटीए (अभिभावक शिक्षक संघ /स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी)) ▪ स्थानीय विशेषज्ञ एवं युवा
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ आंगनबाडी कार्यकर्त्री ▪ ग्राम रोजगार सेवक ▪ शिक्षा मित्र एवं शिक्षक ▪ आशा ▪ ग्राम स्तरीय सामाजिक लेखा परीक्षक ▪ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) समुदाय

		दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)	ग्राम्य विकास		
		राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	ग्राम्य विकास		
		प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)	ग्राम्य विकास	<ul style="list-style-type: none"> ▪ संसाधन व्यक्ति (सीआरपी) ▪ पंचायत सचिव ▪ पशुधन कार्यकर्ता ▪ विभिन्न विभागों के अधिकारी ▪ स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ▪ ग्राम पंचायत स्तरीय संघ ▪ ग्राम जल, स्वच्छता एवं पोषण समिति ▪ पंचायत स्थायी समितियां 	
		सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)	स्वास्थ्य		
		राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई)	पंचायती राज		
		स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)	पंचायती राज		
		जल जीवन मिशन	ग्राम्य विकास		
		दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना			
		स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, पशुपालन, बागवानी और आजीविका पर राज्य प्रायोजित योजनाएं और कार्यक्रम			
9-	महिला हितैषी गांव	एमजीएनआरईजीएस	ग्राम्य विकास		<ul style="list-style-type: none"> ▪ आंगनबाडी कार्यकर्त्रीए. एन.एम ▪ आशाएनआरएलएम-सीआरपी ▪ शिक्षा मित्र ▪ अन्य विभाग के अधिकारी-कृषि, एमएसएमई, आईसीडीएस पर्यवेक्षक, डब्ल्यूसीडी विभाग के अधिकारी ▪ पुलिस और कानूनी सहायता
		मिशन वात्सल्य	महिला एवं बाल कल्याण		
		मिशन शक्ति	महिला एवं बाल कल्याण		
		किशोरी शक्ति योजना	महिला एवं बाल कल्याण		
		मिशन पोषण 2 0	महिला एवं बाल कल्याण		
		राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	ग्राम्य विकास		
		राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	स्वास्थ्य		
		बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	महिला एवं बाल कल्याण		
		समग्र शिक्षा	शिक्षा		

	प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र (पीएमएमएसके)	महिला एवं बाल कल्याण	<ul style="list-style-type: none"> ▪ गैर सरकारी संगठन और अन्य संस्थान ▪ स्वयं सहायता समूह ▪ ग्राम स्तरीय संगठन जैसे पंचायत स्तरीय और क्लस्टर संघ ▪ ग्राम शिक्षा समिति ▪ शिक्षक ▪ विद्यालय प्रबंधन समितियाँ ▪ वीएचएसएनसी ▪ स्वयं सहायता समूह ▪ ग्राम स्तरीय संगठन जैसे पंचायत स्तरीय और क्लस्टर संघ ▪ ग्राम शिक्षा समिति ▪ शिक्षक ▪ विद्यालय प्रबंधन समितियाँ ▪ वीएचएसएनसी
	प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र (पीएमएमएसके)	महिला एवं बाल कल्याण	
	उज्ज्वला, वन स्टॉप सेंटर	महिला एवं बाल कल्याण	
	निर्भया	महिला एवं बाल कल्याण	
	1098, महिला हेल्पलाइन, स्वाधार गृह	महिला एवं बाल कल्याण	
	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)	स्वास्थ्य	
	आईसीडीएस	महिला एवं बाल कल्याण	
	प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को सहायता (एस टीईपी)	महिला एवं बाल कल्याण एवं समाज कल्याण	
	माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय योजना (एनएसआईजीएसई)	शिक्षा	
	प्रगति (तकनीकी शिक्षा में लड़कियों की उन्नति के लिए सहायता प्रदान करना पहल)	शिक्षा	
	एकीकृत बाल संरक्षण योजना	महिला एवं बाल कल्याण एवं समाज कल्याण	

अनुलग्नक VII: अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिए प्रस्तावित संकेतक

क्र. सं.	प्रासंगिक/उपयुक्त क्षेत्र	प्रस्तावित हस्तक्षेप	प्रस्तावित अनुश्रवण संकेतक
1.	वन, हरित आवरण/हरियाली और जैवविविधता हस्तक्षेप (FGB)	<p>संपूर्ण ग्राम पंचायत में हरित आवरण/हरियाली में सुधार:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ समुदाय-आधारित वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ▪ छात्रों के लिए हरित प्रबंधन कार्यक्रम, खाद्य वन का निर्माण, बाल वन का निर्माण ▪ आरोग्य वन का विकास <p>जन जैवविविधता रजिस्टर:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ जन जैवविविधता रजिस्टर को अद्यतन करना ▪ जागरूकता बढ़ाना 	<p>कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्ष आच्छादन का अनुपात</p> <p>खाद्य वन के अंतर्गत क्षेत्र</p> <p>बाल वन के अंतर्गत क्षेत्र</p> <p>आरोग्य वन के अंतर्गत क्षेत्र</p> <p>गांव में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत लगाये गये वृक्षों की संख्या</p> <p>बंजर भूमि और पेड़ों से आच्छादित अन्य सामान्य भूमि क्षेत्र का अनुपात</p> <p>गांव में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत लगाये गये वृक्षों का प्रतिशत</p> <p>क्या लोगों द्वारा जन जैवविविधता रजिस्टर अद्यतन किया गया है ?</p> <p>ग्राम पंचायत में आयोजित जागरूकता अभियानों की संख्या</p> <p>क्रियाशील वर्षा जल संचयन प्रणाली वाले सार्वजनिक भवनों का प्रतिशत जिनका रखरखाव अच्छी तरह से किया जाता है</p> <p>क्रियाशील वर्षा जल संचयन प्रणाली वाले घरों का प्रतिशत जिनका रखरखाव अच्छी तरह से किया जाता है</p> <p>भूजल को रिचार्ज करने के लिए निर्मित रिचार्ज पिटों की संख्या</p> <p>वर्षा जल संचयन संरचना वाले नए भवनों की संख्या</p> <p>जल निकायों की संख्या जहां सफाई, गाद निकालने और बाड़ लगाने का काम किया गया है।</p> <p>गाँव के जल निकायों के टैकों की संख्या जिनसे मल-मुक्तियां उनकी विशेष मरम्मत का कार्य किया गया है</p> <p>क्या मौसम के अनुसार पंचायत में वीडब्ल्यूएससी (ग्राम जल और स्वच्छता समिति) कार्यशील है ?</p> <p>कुल कृषि जोत में डब्ल्यूए (जल उपभोक्ता संगठन) में सम्मिलित कृषि जोत</p>
2.	जल सम्बन्धी हस्तक्षेप (W)	<p>वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ सरकारी/ भवनों पंचायत भवन, स्कूलों और संस्थानों, सामुदायिक भवनों आदि में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना। ▪ भूजल रिचार्ज के लिए रिचार्ज पिट ▪ सभी नई इमारतों में वर्षा जल संचयन प्रणाली को सम्मिलित करना <p>जल निकायों का रखरखाव:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ जल निकायों की सफाई, गाद निकालना और बाड़ लगाना ▪ ट्री गार्ड सहित वृक्षारोपण ▪ कुओं/नलकूपों की सफाई एवं जीर्णोद्धार ▪ ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी), समुदाय और अन्य हितधारकों का क्षमता विकास 	<p>वर्षा जल संचयन संरचना वाले नए भवनों की संख्या</p> <p>जल निकायों की संख्या जहां सफाई, गाद निकालने और बाड़ लगाने का काम किया गया है।</p> <p>गाँव के जल निकायों के टैकों की संख्या जिनसे मल-मुक्तियां उनकी विशेष मरम्मत का कार्य किया गया है</p> <p>क्या मौसम के अनुसार पंचायत में वीडब्ल्यूएससी (ग्राम जल और स्वच्छता समिति) कार्यशील है ?</p> <p>कुल कृषि जोत में डब्ल्यूए (जल उपभोक्ता संगठन) में सम्मिलित कृषि जोत</p>

क्र. सं.	प्रासंगिक/ उपयुक्त क्षेत्र	प्रस्तावित हस्तक्षेप	प्रस्तावित निगरानी संकेतक
		<p>जल निकासी और सीवरेज बुनियादी ढांचे को बढ़ाना:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ वर्तमान नालियों की सफाई और गाद निकालना ▪ पानी के बहाव के लिए साइफन लगाना ▪ टूफानी जल और अपशिष्ट जल के बुनियादी ढांचे के कवरेज का विस्तार 	<p>कितने समय अंतराल में नालियों की सफाई की जाती है ?</p> <p>पानी को बहार निकलने के लिए साइफन की संख्या</p> <p>टूफानी जल और अपशिष्ट जल के बुनियादी ढांचे के कवरेज का विस्तार</p>
3.	<p>कृषि सम्बन्धी हस्तक्षेप (A)</p>	<p>कृषि हेतु सूखा प्रबंधन</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ पद्धतियों को बढ़ावा देना और अपनाना ▪ कृषि क्षेत्रों के चारों ओर वृक्षों वाली मेड़बन्दी ▪ कृषि तालाबों का निर्माण ▪ सूखा सहने योग्य फसलों की किस्म को अपनाना <p>जैविक खेती:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ जैविक उर्वरकों, जैव-कीटनाशकों और जैव-खरपतवार नाशकों के उपयोग से की जाने वाली जैविक खेती हेतु- <ul style="list-style-type: none"> » प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन » जैविक खेती प्रमाणन प्रक्रिया » बाजार संपर्क ▪ मिश्रित फसल, फसल चक्र, मल्विंग, शून्य जुताई जैसी पद्धतियों को बढ़ावा देना और अपनाना 	<p>एकीकृत कृषि प्रबंधन विधाओं का अभ्यास करने वाले किसानों का अनुपात</p> <p>कृषि क्षेत्रों के चारों ओर बनी मेड़बन्दी पर लगाये गए पेड़ों की संख्या</p> <p>निर्मित कृषि तालाबों की संख्या</p> <p>सूखा सहने वाले विभिन्न प्रकार की फसलों के अंतर्गत बुआई का क्षेत्र</p> <p>जैविक खेती के अंतर्गत शुद्ध कृषि क्षेत्र का प्रतिशत</p> <p>कुल उर्वरकों में उपयोग होने वाले नाइट्रोजन उर्वरक का प्रतिशत(एन.पी.के.)</p> <p>जैविक खेती प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले किसानों/एफपीओ की संख्या</p> <p>ब्रांडों से जुड़े किसानों/एफपीओ की संख्या</p> <p>उपयुक्त विधाओं को बढ़ावा देने हेतु आयोजित बैठक/ क्षमता विकास कार्यक्रमों की संख्या</p> <p>कुल किसानों की संख्या, जिन्होंने मिश्रित फसल, फसल चक्र, मल्विंग, शून्य जुताई को अपनाया</p> <p>जागरूकता सत्रों के प्रतिभाग करने वाले घरों की संख्या</p> <p>प्रशिक्षित पैरा-वेट्स की संख्या</p> <p>मवेशियों में मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए पूरक आहार का उपयोग करने वाले पशुपालकों की संख्या</p> <p>ग्राम पंचायत में चयनित स्थानों पर स्थापित कुड़ेदानों की संख्या</p>
4.	<p>ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हस्तक्षेप (SWM)</p>	<p>अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना:</p>	

क्र. सं.	प्रासंगिक/उपयुक्त क्षेत्र	प्रस्तावित हस्तक्षेप	प्रस्तावित निगरानी संकेतक
		<ul style="list-style-type: none"> ■ ग्राम पंचायत स्तरीय संग्रहण और पृथक्करण प्रणाली की स्थापना ■ अपशिष्ट को ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन ■ चुने गए स्थानों पर कूड़ेदान की स्थापना ■ पंचायत, एसएचजी, अनौपचारिक कचरा बीनने वालों, स्थानीय स्क्रेप डीलरों, स्थानीय व्यवसायों और एमएसएमई के बीच साझेदारी स्थापित करना <p>जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वर्मीकम्पोस्टिंग और कम्पोस्ट गड्डों की स्थापना ■ प्रोत्साहन द्वारा सामुदायिक पहल को बढ़ावा देना <p>एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) के उपयोग पर वर्तमान प्रतिबंध को लागू करना ■ निम्नलिखित के लिए जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम: <ul style="list-style-type: none"> » ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) » छात्र एवं युवा समूह » समुदाय के सदस्य ■ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए उन्मुखीकरण सत्र और विकल्पों को अपनाने को बढ़ावा देना ■ रेस अभियान और लाइफ़ मिशन का लाभ उठाना 	<p>सूखे और गीले कचरे को अलग करने वाले परिवारों का प्रतिशत</p> <p>सूखे और गीले कूड़े को अलग करने वाली संस्थाओं और व्यवसायों का प्रतिशत क्या गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे का वैज्ञानिक निपटान किया जा रहा है ?</p> <p>क्या बायोडिग्रेडेबल कचरे का वैज्ञानिक उपचार किया जा रहा है ?</p> <p>अपशिष्ट को ले जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या</p> <p>ग्राम पंचायत में सामुदायिक भागीदारी से स्थापित किये गए वर्मीकंपोस्टिंग और कम्पोस्ट गड्डों की संख्या</p> <p>ग्राम पंचायत में आयोजित प्रशिक्षण/क्षमता विकास/अभिमुखीकरण कार्यक्रम की संख्या</p> <p>आयोजित समिति की बैठकों की संख्या</p>
5.	ऊर्जा संबंधी हस्तक्षेप (E)	<p>सोलर रूफटॉप की स्थापना :</p> <p>ग्राम पंचायत में सभी सरकारी भवनों और पक्के घरों पर सोलर रूफटॉप की स्थापना</p>	<p>ग्राम पंचायत में सरकारी भवनों और पक्के घरों पर स्थापित सोलर रूफटॉप बिजली संयंत्रों की संख्या</p>

क्र. सं.	प्रासंगिक/ उपयुक्त क्षेत्र	प्रस्तावित हस्तक्षेप	प्रस्तावित निगरानी संकेतक
		<p>कृषि-फोटोवोल्टिक: बागवानी और दलहन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र पर कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापना</p> <p>सौर पंप: वर्तमान डीजल पंप सेटों को सौर पंपों या ऊर्जा कुशल पंपों से परिवर्तित करना</p> <p>स्वच्छ खाना पकाना: निम्नलिखित विकल्पों को जोड़ते हुए स्वच्छ खाना पकाने के तरीकों को बढ़ावा देना और प्राप्त करना:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ बायोगैस ▪ सौर ऊर्जा से संचालित इंडक्शन कुकस्टोव ▪ बेहतर चूल्हे ▪ रसोई गैस <p>ऊर्जा दक्षता: सभी सरकारी भवनों और आवासीय भवनों में सभी लाइट फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर से बदला जाएगा।</p> <p>सौर स्ट्रीट लाइट: सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना</p> <p>कूल रूफ : सरकारी, सामुदायिक और आवासीय भवनों के लिए कूल रूफ कार्यक्रम का कार्यान्वयन</p>	<p>बागवानी और दलहन फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र तथा कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापनाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का प्रतिशत।</p> <p>पंप सेट के लिए उपयोग की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का प्रतिशत</p> <p>गांव में स्थापित बायोगैस संयंत्रों की संख्या</p> <p>गांव में स्थापित सौर ऊर्जा से संचालित इंडक्शन कुकस्टोव की संख्या</p> <p>गांव में वितरित किये गये उन्नत चूल्हों की संख्या</p> <p>गाँव में एलपीजी कनेक्शनों की संख्या</p> <p>सरकारी भवन की संख्या, जहां सभी लाइट फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर से प्रतिस्थापित किया जाना है।</p> <p>आवासीय भवन की संख्या, जहां सभी लाइट फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर से प्रतिस्थापित किया जाना है।</p> <p>सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर स्थापित एलईडी स्ट्रीट लाइटों की संख्या।</p> <p>सरकारी, सामुदायिक और आवासीय भवनों की संख्या जहां कूल रूफ कार्यक्रम लागू किया गया है।</p>

क्र. सं.	प्रासंगिक/ उपयुक्त क्षेत्र	प्रस्तावित हस्तक्षेप	प्रस्तावित निगरानी संकेतक
6.	गतिशीलता संबंधी हस्तक्षेप (M)	<p>जलभराव को कम करने के लिए वर्तमान सड़क सम्बन्धी बुनियादी ढाँचों की मरम्मत/रख-रखाव :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ सड़क मरम्मत/ऊँचा करने का कार्य ▪ सड़क आरसीसी/इंटरलॉकिंग कार्य <p>विद्युत गतिशीलता के माध्यम से अंतिम-मील कनेक्टिविटी को बढ़ाना:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ई-ऑटोरिक्शा जैसे मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) के कवरेज का विस्तार ▪ ई-ऑटोरिक्शा का व्यावसायिक किराये हेतु उपयोग (किराए के आधार पर) 	<p>उचित नाली कवरेज वाली सड़कों का प्रतिशत (लंबाई)</p> <p>गड्डों/क्षति से मुक्त अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों का प्रतिशत (लंबाई)</p>
		<p>इलेक्ट्रिक वाहन और ई-ट्रैक्टर के लिए किराये की सुविधा:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ प्रोत्साहनों के माध्यम से ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना ▪ ई-ट्रैक्टर के उपयोग के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/ संचालन मालिकों) को संवेदित करना 	<p>गांव में ई-ऑटोरिक्शा की संख्या</p> <p>गांव में इलेक्ट्रिक माल वाहन और ई-ट्रैक्टर की संख्या</p>

अनुलग्नक VIII: उत्तर प्रदेश में कृषि-जलवायु क्षेत्रों की सूची⁴²

क्र. सं.	कृषि जलवायु क्षेत्र	तापमान (डिग्री सेल्सियस)		औसत वार्षिक वर्षा (मिमी)	सिंचित क्षेत्र (%)	मिट्टी का प्रकार	कुल खेती योग्य क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	जनपद
		न्यूनतम	अधिकतम					
1	भावर और मैदान, तराई मैदान	5.5	38.4	1400	73.29	अलूवियल, फास्फोरस में न्यून से मध्यम, पोटेशियम में मध्यम से उच्च तथा कार्बनिक पदार्थ उच्च मात्रा में		फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, हरदोई, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद (14 जिले)
2	पश्चिमी मैदानी क्षेत्र	1.5	43.3	795	89.23	अलूवियल, पी०एच० सामान्य से क्षारीय तथा कार्बनिक पदार्थ न्यून से मध्यम मात्रा में	19.36	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत (3 जिले)
3	मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र	4.5	45.4	1032	83.21	अधिकांश अलूवियल, सामान्य से हल्की क्षारीय तथा कार्बनिक पदार्थ मध्यम मात्रा में	30.36	बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर (7 जिले)
4	पश्चिमी उप उष्णकटिबंधीय / दक्षिण पश्चिमी अर्द्ध शुष्क क्षेत्र	4	47	662	75.52	अलूवियल एवं अरावली	22.3	अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी (6 जिले)
5	मध्य मैदान/मध्य मैदान क्षेत्र	5.5	45	863	66.41	अलूवियल, पी०एच० सामान्य से क्षारीय तथा कार्बनिक पदार्थ न्यून से मध्यम मात्रा में	61.22	फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, हरदोई, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद (14 जिले)

42 कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश (<https://upagriparidarshi.gov.in/StaticPages/jayadagroclaimetikzone-hi.aspx>)

क्र. सं.	कृषि जलवायु क्षेत्र	तापमान (डिग्री सेल्सियस)		औसत वार्षिक वर्षा (मिमी)	सिंचित क्षेत्र (%)	मिट्टी का प्रकार	कुल खेती योग्य क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	जनपद
		न्यूनतम	अधिकतम					
6	बुंदेलखंड अंचल	3	47.8	867	38.65	राकर, परवा, काबर तथा मार	29.61	ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा और चित्रकोट (7 जिले)
7	उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र	4.9	44.2	1240	48.24	अलूवियल तथा चूरे वाली (केलकेरियस) भाट मृदा	33.8	बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया (9 जिले)
8	पूर्वी मैदानी क्षेत्र	5.7	41.4	803	69.43	अलूवियल, सोडिक तथा दियारा मृदा	32.05	बाराबंकी, फ़ैजाबाद, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और संत रविदासनगर (10 जिले)
9	विंध्य अंचल	5	45.2	1134	52.85	काली भारी, लाल दानेदार तथा मैदानी क्षेत्रों में अलूवियल मृदा	11.34	मिर्जापुर और सोनभद्र (2 जिले)



upenv.upsdc.gov.in
vasudha-foundation.org